

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन

सितंबर 2019

खंड 73 अंक 9

संपादन समिति

राजीव रंजन
डी. पी. रथ
सितीकांत पट्टनाईक
जी. पी. सामंता
एस. गंगाधरन
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवडकर

संपादक

शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2019

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
<http://www.bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

भाषण

वित्तीय स्थिरता के मार्ग में उभरती चुनौतियाँ
शक्तिकांत दास 1

व्यापार युद्ध : क्या यह अवैधीकरण की पूर्वपीठिका है ?
बी. पी कानूनगो 7

20वाँ फिम्डा- पीडीएआई वार्षिक सम्मेलन
बी. पी कानूनगो 11

लेख

केंद्रीय बजट 2019-20 : एक मूल्यांकन 17

विदेशी व्यापार करार : एक विश्लेषण 39

वर्तमान सांख्यिकी 55

हाल के प्रकाशन 99

अनुपूरक

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

भाषण

वित्तीय स्थिरता के मार्ग में उभरती चुनौतियाँ

शक्तिकांत दास

व्यापार युद्ध : क्या यह अवैश्वीकरण की पूर्वपीठिका है ?

बी. पी कानूनगो

20वाँ फिम्डा- पीडीएआई वार्षिक सम्मेलन

बी. पी कानूनगो

वित्तीय स्थिरता के मार्ग में उभरती चुनौतियाँ*

शक्तिकांत दास

कारोबार और वित्तीय क्षेत्र को नेतृत्व देने वालों के बीच आज यहाँ आकर मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। इस आयोजन की अगुवाई कर रहे सहयोगियों, भारतीय बैंक संघ, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की), और बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप, को मेरी ओर से साधुवाद। आपको संबोधित करने की अतिरिक्त ऊर्जा वास्तव में इस बात से मिलती है कि आप लोगों ने बड़ी गंभीरता से इस वर्ष के सम्मलेन को विषयबद्ध किया है जो दर्शाता है कि बैंकिंग में एक नए प्रतिमान की आवश्यकता को आप समझ रहे हैं। विगत कुछ घटनाओं से, विशेषतः जिन्हें हुए अभी बहुत समय नहीं बीता, वित्तीय क्षेत्र के बारे में जो दृष्टिकोण पैदा हुआ है उसमें एक ओर जहाँ अस्तित्व को ही लेकर चिंता है, वहीं दूसरी ओर एक अधिक सकारात्मक नजरिया है जो हमें संकेत दे रहे अवसरों पर टिका है। मैं यह मानना चाहूँगा कि एक बेहतर भविष्य की कुंजी वैसी चिंता को जन्म देने वाली सीख को भूलने में और बदलते वित्तीय परिदृश्य में स्वयं के अनुकूल सबक को फिर से सीखने में है। विवेकपूर्ण शासन और डिजिटल दुनिया की उभरती धाराओं में ऐसी संभावना है जिससे वित्त संबंधी हमारी अवधारणा नए साँचे में ढल सकती है। इन्हीं व्यापक आधारों पर मैं वित्तीय स्थिरता की उभरती चुनौतियों पर अपने विचार रखूँगा। इस गरिमामय सभा को मेरे संबोधन का यह केंद्रीय विषय होगा।

वित्तीय स्थिरता की परिभाषा पर आम सहमति आज भी नहीं बनी है। मोटे तौर पर, वित्तीय स्थिरता के मूल सिद्धांतों को, आर्थिक संसाधनों के कुशल आबंटन में सहायता पहुँचाने की वित्तीय प्रणाली की क्षमता; वित्तीय जोखिमों के प्रभावी आकलन, मूल्य निर्धारण और प्रबंधन; और बाहरी आघातों से प्रभावित होने के बावजूद इन प्रमुख कार्यों को करने की अपनी क्षमता

* एफआईबीएसी 2019 - मुंबई में 19 अगस्त 2019 को भारतीय बैंक संघ (आईबीए), भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) द्वारा आयोजित वार्षिक वैश्विक बैंकिंग सम्मेलन में श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक।

बरकरार रखने के संदर्भ में देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि 2004 का आईएमएफ का एक शोध-पत्र कहता है, वित्तीय प्रणाली जब भी अर्थव्यवस्था के कार्य को सुगम बनाने में और अंदर से पनपने या बड़ी प्रतिकूल व अप्रत्याशित घटनाओं¹ से पैदा होने वाले असंतुलन को दूर करने में सक्षम हो, तो वित्तीय प्रणाली स्थिरता के एक दायरे में होती है।

वैश्विक संदर्भ

वित्तीय स्थिरता के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण 2008 के वित्तीय संकट के बाद से बहुत बदल गया जिससे यह काफी साफ़ हो गया कि एक-एक वित्तीय संस्थान की ताकत को जोड़ देने भर से वित्तीय स्थिरता नहीं हो जाती है। नीति निर्माताओं ने समझा कि सूक्ष्म विवेक-सम्मत विनियमनों को प्रणालीगत जोखिम उपायों को पूरक बनना होगा; अन्यथा प्रणालीगत स्थिरता जोखिम में पड़ सकती है।

संकट के दस वर्ष बीत चुके हैं और वित्तीय क्षेत्र के जिन प्रमुख सुधारों की राय जी20 ने दी थी और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्वारा जिनका समन्वय किया गया, वे अधिकांशतः अब लागू हो चुके हैं। बड़े बैंक पहले से बेहतर पूँजीकृत हैं, उनका लीवरेज कम है, और वे अधिक तरल हैं। अतः बैंकिंग प्रणाली आर्थिक आघातों को अब बेहतर झेलने की स्थिति में है। टू-बिग-टु-फ़ेल (टीबीटीएफ) सुधारों का कार्यान्वयन आगे बढ़ रहा है जिसमें बैंकों के लिए प्रभावी निपटान व्यवस्था की स्थापना शामिल है। ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव्स को सरलतर और अधिक पारदर्शी बनाया गया है। सेंट्रल क्लीयरिंग का प्रयोग बढ़ गया है और संपार्श्विकरण का चलन व्यापक है। बैंकेतर वित्तीय अंतरमध्यस्थता के जिन पक्षों का वित्तीय संकट में हाथ रहा है, वे अब कमजोर पड़ गए हैं। तथापि, सुधारों का कार्यान्वयन अभी भी पूरा नहीं हुआ है और इसमें, विशेषतः बैंकेतर क्षेत्र में, असंतुलन भी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन मुद्दों से निपटने के लिए देश विशेष की स्थितियों को ध्यान में रखा जाना जरूरी है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में हाल के घटनाक्रम को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के संकेतों के साथ प्रत्याशा से कम संवृद्धि, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान है, इस मोड़ पर वैश्विक वित्तीय

¹ गैरी, जे. एस. (2004). 'डिफाइनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी'। आईएमएफ वर्किंग पेपर, 2004: डबल्यूपी/04/187

स्थिरता के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक है। मँडराते व्यापार-तनाव, भू-राजनैतिक जोखिम और संबंधित अनिश्चितताओं का दबाव निवेश परिदृश्य पर बना हुआ है। आईएमएफ की अद्यतन वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जीएफएसआर) की चेतावनी है कि इन घटनाक्रमों के कारण, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कई देशों और क्षेत्रों में संप्रभु (सॉवरिन), कॉरपोरेट और बैंकेतर वित्तीय क्षेत्र की कमजोरियाँ अपने ऐतिहासिक मानकों की अपेक्षा बढ़ी हुई हैं। इन परिस्थितियों में, केंद्रीय बैंकों व अन्य विनियामकों को मूल सिद्धांत का पालन करना है – विनियामक की पलकें कभी नहीं झपकतीं। अतिशयोक्ति का आवरण हटा दें, तो इसका अर्थ है कि विनियामक व अन्य प्राधिकारियों को सतत सावधान रहना होगा और जो भी कदम आवश्यक हों, उन्हें अग्रसक्रियता से उठाना होगा।

वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र की वर्तमान स्थिति अनिश्चितता की कथा कहती है। यद्यपि संकटोत्तर काल में मुख्यतः बासल III सुधारों के कारण बैंक पूँजीकरण बढ़ गया है, बैंकों की लाभअर्जकता फीकी रही है। समष्टि आर्थिक व बैंक-विशेष के कारक दोनों का इसमें योगदान है। महत्वपूर्ण है कि, तकनीकी नवोन्मेष का लाभ उठा रहे फिन-टेक और बिग-टेक जैसे अपारंपरिक खिलाड़ियों से भी बैंकों को बढ़ती स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमईज) में ये घटनाक्रम वित्तीय स्थिरता पर असर डाल सकते हैं। यह वाकई जरूरी है कि तकनीक में हुई प्रगतियों और इनसे जुड़े कारोबारी मॉडलों का लाभ बैंक उठाएं। विनियामकों के लिए भी जरूरी है कि अपनी ओर से वे बैंकों व अपारंपरिक खिलाड़ियों के भी इन प्रयासों के फूलने – फलने लायक ढाँचा तैयार करें।

भारतीय परिदृश्य

वित्तीय स्थिरता भारत में सदा से नीतिगत प्राथमिकता रही है। मौद्रिक व वित्तीय स्थिरता दोनों पर ध्यान देना ही रिज़र्व बैंक का मूल उद्देश्य है। वैश्विक मामले की तरह ही भारत ने भी मौजूदा संस्थागत ढाँचे में बदलाव लाकर ही संकट का सामना किया ताकि वित्तीय स्थिरता के उद्देश्य को बढ़ावा मिले। वित्तीय अस्थिरता के विभिन्न माध्यमों को समझते हुए और इस तथ्य के मद्देनजर कि वित्तीय प्रणाली के विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग विनियामक हैं, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफएसडीसी) और रिज़र्व बैंक के गवर्नर की

अध्यक्षता में एफएसडीसी उप-समिति (सब कमेटी) के रूप में संस्थागत व्यवस्थाएं पूरी तरह कार्यरत हैं। अर्द्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर), जो एफएसडीसी सब-कमिटी की रिपोर्ट है, वित्तीय व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, इसके विभिन्न वर्गों में अंतर्संबद्धता की सीमा और कमजोरियों के संभावित स्रोतों का विश्लेषण करती है जो घरेलू वित्तीय स्थिरता पर असर डाल सकती है। अर्द्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर), जो एफएसडीसी सब कमिटी की रिपोर्ट है, ये विश्लेषण करती है कि वित्तीय व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है, इसके विभिन्न हिस्से किस हद तक आपस में जुड़े हुए हैं और वे संभावित कारण कौन से हैं जिनके चलते वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने वाली कमजोरियाँ पनप रही हैं। वित्तीय स्थिरता के लिए प्रतिकूलताएं अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से उद्भूत हो सकती हैं, जैसे, (i) ऋण (क्रेडिट) बाजार; (ii) वित्तीय बाजार; (iii) बाह्य क्षेत्र; और (iv) भुगतान प्रणाली। इसके कुछ अन्य स्रोत भी हो सकते हैं। लेकिन आज, मैं इन चार पक्षों पर प्रकाश डालूँगा।

बैंकिंग क्षेत्र से प्रतिकूलताएं

भारत में ऋण बाजार पर आधिपत्य है बैंकिंग क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था में वित्तीय अंतरमध्यस्थता में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। वित्तीय स्थिरता पर बैंकिंग व्यवस्था की मजबूती का असर विभिन्न माध्यमों से पड़ सकता है – अतिरिक्त ऋण वृद्धि; बेमेल परिपक्वताएं (परिपक्वताओं का बेमेल होना) और चलनिधि मामले; अनर्जक कर्जों का बड़ा अनुपात; और ओवरलीवरेजिंग (ज्यादा लीवरेजिंग) व अन्यान्य कई कारण। अलग-अलग संस्थान अपने आप में मजबूत हों तब भी समग्र तौर पर वित्तीय क्षेत्र के काम-काज से प्रणालीगत जोखिम हो सकता है। अतः वित्तीय स्थिरता के लिए यह बेहद जरूरी है कि बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य की निगरानी होती रहे।

हाल के वर्षों में, रिज़र्व बैंक और सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप बैंकिंग प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों की प्रचुरता में कमी आई है। आगे, ऋण जोखिम (क्रेडिट रिस्क) के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए समष्टि दबाव परीक्षण (मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट) संकेत दे रहे हैं कि आधार परिदृश्य (बेसलाइन सिनैरियो) के तहत, मार्च 2020² तक जीएनपीए अनुपात और गिर सकते हैं। अन्य संकेतों, जैसे प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर), पूँजी

² वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2019, भारतीय रिज़र्व बैंक।

पर्याप्तता एवं आस्तियों पर प्रतिलाभ में भी सुधार हुआ है। मैंने पहले इस पर जोर दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्य-निष्पादन, सक्षमता, आंतरिक स्थिरता और प्रशासन में सुधार की वास्तविक परीक्षा पूँजी बाजार तक पहुँचने की उनकी क्षमता होगी बजाय इसके कि पुनः-पूँजीकरण के लिए पहला और अंतिम उपाय वो सरकार को ही मान बैठें।

कुछ शुरुआती समस्याओं के होते हुए भी, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) बाजी पलटने वाली साबित हो रही है। जून 2019 में तैयार किए गए दबावग्रस्त आस्तियों वाले नए मानकों में शीघ्र निपटान के लिए प्रोत्साहन और निपटान प्रक्रिया में उधार देने वाले को विवेकाधिकार दिए गए हैं। उद्देश्य यह है कि अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के दबाव को भविष्य में और बढ़ने से रोका जा सके और बैंकिंग क्षेत्र को बचाया जा सके। आईबीसी में हाल के संशोधनों से भी दबावग्रस्त आस्तियों के शीघ्र निपटान में सहायता मिलनी चाहिए।

जैसा कि हमने हाल (विगत कुछ समय) में देखा है, अंतरसंबद्धता, एक्सपोजर संकेंद्रण, बाजार के तौर-तरीकों में अपारदर्शिता, प्रशासन की कमियों से विनियमित इकाइयों में जोखिमों के बढ़ने और इनके संक्रामक प्रभावों का असर वित्तीय स्थिरता पर पड़ता है। इस संबंध में बैंकों और गैर-बैंकों (बैंकेतर इकाइयों) में अंतरसंबद्धता को रिज़र्व बैंक गौर से देख रहा है। मूल निवेश कंपनियों पर गठित कार्यदल ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया है और इसकी राय पर रिज़र्व बैंक सीआईसी के विनियामक ढाँचे में आवश्यक परिवर्तन करना चाहता है। बैंकों और बैंकेतर इकाइयों (गैर-बैंकों) के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए हम एक विशेषज्ञता-प्राप्त कैडर बनाने की प्रक्रिया में भी हैं।

इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण विषय है बैंकों में कॉरपोरेट प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करने की तत्काल जरूरत जिस पर मैंने पहले भी प्रकाश डाला है। इसमें उनके बोर्डों और बोर्ड उप-समितियों, विशेषतः लेखा परीक्षा व जोखिम प्रबंधन समितियों का कुशलता से कार्य; एमडी/सीईओ के कार्य की निगरानी के लिए सुदृढ़ प्रणाली; और बैंकों के वित्तीय व परिचालनीय मानकों को बेहतर करने के लिए एक कार्य-निष्पादन की एक प्रभावी मूल्यांकन व्यवस्था शामिल होगी। पब्लिक सेक्टर बैंकों

(पीएसबी) में प्रशासन व्यवस्था संबंधी सुधार पर अपने सुझाव हमने सरकार को पहले ही भेज दिए हैं। कुल मिलाकर, यह महत्वपूर्ण है कि जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ, अनुपालन कार्य व आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ मजबूत हों और अधिक स्फूर्त/सक्रिय बनाई जाएं।

बैंकेतर क्षेत्र

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में आएँ, तो यह क्षेत्र बैंकिंग क्षेत्र का पूरक है और अंतिम मील को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करना चाहता है। आगे, विशिष्ट एनबीएफसी, आधारभूत संरचना की अपूर्ण और अलग किस्म की ऋण जरूरतों को पूरा करने, फैक्ट्रिंग, लीजिंग और इस प्रकार के अन्य कार्य करती हैं। अपारंपरिक और डिजिटल खिलाड़ी इस क्षेत्र में आकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए ढंग से वित्तीय सेवाएं दे रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र, पूँजी बाजार और वित्तीय क्षेत्र की अन्य इकाइयों से एनबीएफसी की अंतरसंबद्धताओं का एक जाल है। रिज़र्व बैंक इन अंतरसंबद्धताओं पर निगरानी रखता है ताकि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो। इस क्षेत्र को मजबूत करने, स्थिरता कायम करने और विनियामक अंतरपणन से बचने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक व सरकार अग्रसक्रियता से आवश्यक विनियामक व पर्यवेक्षी कदम उठा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि विनियमन व पर्यवेक्षण का स्तर पर्याप्त हो ताकि एनबीएफसी क्षेत्र वित्तीय रूप से प्रत्यास्थ (पुनरुत्थानशील) और सुदृढ़ हो। अल्प, मध्य व दीर्घावधि में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जो भी कदम आवश्यक हों, हम उठाने से हिचकिचाएंगे नहीं।

हमारा उद्देश्य है कि बैंकों व एनबीएफसी के विशिष्ट कारोबारी माडलों को ध्यान में रखते हुए, उनके चलनिधि मानकों में तालमेल बिठाया जाए है। हम एनबीएफसी में प्रशासन और जोखिम प्रबंधन संरचना को भी देख रहे हैं। हाल में मई 2019 में ₹5,000 करोड़ व उससे अधिक की आकार के एनबीएफसियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त करने को कहा गया है जिसकी निर्दिष्ट भूमिका व जिम्मेदारियाँ होंगी। प्रत्याशा है कि बड़ी एनबीएफसियों के काम-काज में इससे पेशेवर जोखिम प्रबंधन के तत्व आएंगे।

आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की आस्ति-देयता संरचनाओं को देखते हुए उन्हें रिज़र्व बैंक के विनियामक दायरे

में लाना एक महत्वपूर्ण कदम है। एचएफसी कंपनियों को शामिल करने से, एनबीएफसी क्षेत्र का आकार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संयुक्त बैलेंस शीट का लगभग 25 प्रतिशत हो जाता है। रिज़र्व बैंक इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

वित्तीय बाजारों की प्रतिकूलताएं/ से प्रतिकूल धाराएं

बैंकों व गैर-बैंकों के अलावा, वित्तीय स्थिरता के लिए प्रतिकूल धाराएं वित्तीय बाजारों से भी उद्भूत हो सकती हैं। मुद्रा व ऋण संकट की वैश्विक स्तर पर बढ़ती बारंबारता व तीव्रता तथा उत्पादन में हानि पहुँचाने की उनकी क्षमता के मद्देनजर यह आवश्यक हो जाता है कि वित्तीय बाजारों का विनियमन व निगरानी सावधानी पूर्वक हो। संक्रमण के जोखिम के बढ़ने व इसके चलते प्रभावी विनियमन हेतु नीति की गुंजाइश के घटने के कारण वित्त के वैश्वीकरण ने इस कार्य को और कठिन बना दिया है। मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति, विदेशी मुद्रा और ब्याज दर डेरिवेटिव्स आदि बाजार के विभिन्न वर्गों के विनियामक के रूप में रिज़र्व बैंक का रुख नपा-तुला, क्रमिक व सावधान रहा है ताकि इन बाजारों को विकसित किया जा सके व आपस में जोड़ा जा सके। व्यापक उद्देश्य यह रहा है कि तेजी से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप चला जाए और वित्तीय स्थिरता के संभावित जोखिमों के प्रति चौकस भी बरती जाए। इसके लिए हम आदेशात्मक से हटकर सिद्धांत-आधारित विनियमन अपनाते हुए बाजार की ताकतों को मुक्त कर रहे हैं जिसकी मुख्य विशेषताएं प्रक्रियाओं का सरलीकरण, उत्पादों में नवोन्मेष को प्रोत्साहन, विभिन्न सहभागी वर्गों के बीच विनियामक अंतर को दूर करना और खुदरा बाजार सहभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

मैं एक उदाहरण दूँ। हाल में हमने एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाने की अनुमति दी है जिस पर बाजार दरों पर विदेशी मुद्रा खरीदी या बेची जा सकती है। यह प्लेटफॉर्म इंटरनेट पर उपलब्ध है और अलग-अलग बैंकों/बिचौलिए (ब्रोकर) के पास गए बिना ग्राहक को सर्वोत्तम बाजार दर मिल सकती है। इस प्रकार फिनटेक के द्वारा वित्तीय बाजारों को अधिक सक्षम बनाया जा सकता है।

वित्तीय बाजार जैसे-जैसे खुल रहे हैं, स्थिरता संबंधी चिंताओं से पूँजी प्रवाह नियंत्रण उपायों (जैसे ऋण बाजार में विदेशी निवेश पर समग्र सीमा) या समष्टि-विवेकपूर्ण उपायों

(जैसे, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल बाह्य उधार पर सीमा) के माध्यम से निपटा जा रहा है।

बाजार की सत्यनिष्ठा को उन्नत बनाने के लिए विश्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया विनियमन का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। पिछले कुछ वर्षों में, विधिक संस्था अभिज्ञापक (एलईआई) प्रणाली को रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित डेरिवेटिव बाजारों सहित सभी वित्तीय बाजारों और बैंक के कर्जों के लिए भी क्रमशः लागू किया गया है। हमारा मानना है एक बार एलईआई प्रणाली का व्यापक प्रयोग होने लगे तो वित्तीय बाजारों की पारदर्शिता काफी बेहतर हो जाएगी। बाजार दुरुपयोग को नियंत्रित करने और मानक (बेंचमार्क) निर्धारण प्रक्रिया के उन्नयन के लिए हाल के विनियमन वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं।

पेशेवर और विशेषज्ञता रहित ग्राहकों के प्रति अलग-अलग व्यवहार डेरिवेटिव बाजारों के विनियमन की एक खास बात है। इसके अलावा डेरिवेटिव बाजारों की उपलब्धता (एक्सेस) में भेदभाव को क्रमशः हटाया जा रहा है। अब कोई भी – निवासी या अनिवासी – इन बाजारों का उपयोग एक समान शर्तों पर कर सकता है। अब किसी के लिए भी – निवासी या अनिवासी – ये बाजार एक समान शर्तों पर उपलब्ध हैं। वस्तुतः विनियमन का एक अहम लक्ष्य यह है कि अनिवासियों हेतु प्रोत्साहनों को इस तरह समायोजित किया जाए कि वे क्रमशः देशी बाजार की ओर आएँ। जैसा कि आप जानते होंगे, पूर्व उप गवर्नर श्रीमती उषा थोरात की अध्यक्षता में गठित अपटतीय (ऑफ़शोर) रुपया बाजार कार्यदल, ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जिनसे देश के (ऑनशोर) बाजार में अनिवासियों की भागीदारी बेहतर होने की संभावना है। हमारा लक्ष्य है कि देश में स्थित बाजार को अधिक सुगम बनाया जाए और लेन-देन की मात्रा बढ़ाई जाए।

बाह्य प्रतिकूलताएं और देशी वित्तीय स्थिरता

शेष विश्व के साथ व्यापार व वित्त संपर्क बढ़ने के कारण, बढ़ी हुई वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से प्रभावित होने की संभावना भारत के लिए बढ़ गई है। व्यापार चैनल पर वैश्विक आघातों का ठोस असर दिखने में थोड़ा समय लगता है, जबकि वित्त व विश्वास के चैनल वैश्विक आघातों को शीघ्र ही संचारित करते हैं जैसा कि भारत के मामले में 2013 के मध्य में टैपर टैंट्रम की अवधि में हुआ था। वस्तुतः बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ऋणात्मक व

कम ब्याज दरों के कारण ईएमई में संकटोत्तर अवधि में प्रत्यक्ष व पोर्टफोलियो निवेशों के रूप में निवल पूँजी प्रवाह लगभग दुगुना हो गया है। तथापि, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति की उच्च अनिश्चितताओं के कारण ये प्रवाह स्थिर नहीं साबित हुए और इसलिए ईएमई के लिए काफ़ी जोखिम का कारण बने। ठीक एक वर्ष पहले विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीतियों में प्रत्याशा-से-तीव्रतर कसाव के कारण भारत सहित कई ईएमई से पोर्टफोलियो पूँजी बाहर निकल गई जिससे घरेलू मुद्राओं पर अधोगामी दबाव पड़ा।

हाल के वर्षों में, भारत के बाह्य क्षेत्र को चालू खाता घाटे के वहनीय स्तर से फायदा मिला जिसके लिए वित्त अधिकांशतः मजबूत विदेशी निवेश के आगम और लचीली विनिमय दर नीति से मिला। 2018-19 में नाजुकता/ भेद्यता संकेतों (वल्नरेबिलिटी इंडिकेटर) में सुधार जैसे, बाह्य ऋण व जीडीपी अनुपात (2018 मार्च-अंत के 20.1 प्रतिशत से 2019 मार्च-अंत में 19.7 प्रतिशत) तथा कर्ज चुकौती अनुपात (2018 मार्च-अंत के 7.5 प्रतिशत से 2019 मार्च-अंत में 6.4 प्रतिशत) भी घरेलू वित्तीय बाजारों पर बाह्य प्रतिकूलताओं के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से अच्छे संकेत हैं। मजबूत समष्टि-आर्थिक मानकों के बावजूद, बाह्य प्रतिकूलताओं के लगातार बदलते समीकरण के कारण नीतिगत तैयारी जरूरी होती है ताकि वैश्विक आघातों के प्रभाव को कम किया जा सके और वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाई रखी जा सके। बचाव के एक अतिरिक्त उपाय के रूप में, रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ़ जापान के साथ 75 बिलियन यूएस डॉलर के एक द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य देश में विदेशी मुद्रा व पूँजी बाजारों में अधिक स्थिरता लाना है।

भुगतान प्रणाली और वित्तीय स्थिरता

खुदरा भुगतान में हुए कई नवोन्मेषों ने भुगतान प्रक्रिया को एक नया आकार दिया है और खुदरा भुगतान परिदृश्य को बदल डाला है। भारत की भुगतान व्यवस्थाएं सक्षम, संरक्षित व सुरक्षित मानी जाती हैं। इसे मानते हुए और आत्मसंतुष्ट न होते हुए रिजर्व बैंक ने देश की भुगतान प्रणाली व तौर-तरीकों को विश्व के प्रमुख देशों की तुलना में देखने की कोशिश की है। विनियमन व निगरानी सहित विभिन्न संकेतों के आकलन से पता चलता है कि भारत का विनियामक ढाँचा सुदृढ़ है।

तथापि वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में फिनटेक व बिगटेक फ़र्मों जैसे नवागंतुक वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दुनिया को बदल रहे हैं। उधार देने के कई नए प्लेटफ़ॉर्म जैसे पी2पी और बीच-बाजार /बिचौलिया कर्जदाता (मार्केटप्लेस लेंडर्स) विश्व के विभिन्न देशों में सामने आए हैं। इससे संबंधित कुछ चुनौतियों व अवसरों पर प्रकाश डालते हुए, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की हालिया वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट बताती है कि ऐसी फ़र्में लगभग शून्य लागत पर बड़ी मात्रा में डेटा इकट्ठा कर सकती हैं जिसका उपयोग उधार लेने वाले से जुड़े जोखिम के बेहतर आकलन में हो सकता है और चुकौती के आश्वासन हेतु संपार्श्विक की जरूरत को कम किया जा सकता है। ये नए खिलाड़ी भुगतान सेवाओं, धन-प्रेषण सेवाओं व सीमापार भुगतान की व्यवस्था में भी आए हैं। इसके अतिरिक्त, इनके पास बहुत तेज वृद्धि करने तथा बड़े होने और प्रणालीगत महत्त्व के वित्तीय संस्थान बनने की संभावना है जो वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण संबंधी चिंताओं को जन्म देता है।

ऐसे गंभीर परिवर्तनों के सामने नीति निर्माता की दुविधा नवोन्मेष व विनियमन के मध्य-मार्ग पर चलने से कहीं ज्यादा है। लोक-नीति को यहाँ अधिक व्यापक व सर्व-समावेशी होना पड़ेगा जिसमें वित्तीय विनियमन, स्पर्धा नीति और आँकड़ों की निजता के विनियमन का ध्यान रखा जाए। विभिन्न प्राधिकारियों – जैसे वित्तीय विनियामकों, स्पर्धा प्राधिकारियों और आँकड़ा संरक्षण पर्यवेक्षकों - के बीच समन्वय इस मोड़ पर महत्वपूर्ण हो जाता है।

भारत में भुगतान व निपटान प्रणाली के लिए रिजर्व बैंक का विज़न-2021 हर भारतीय को ई-भुगतान विकल्पों के ऐसे तरकश से लैस करना चाहता है जो संरक्षित, सुरक्षित, सुविधाजनक, तेज व किफायती हो। श्री नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बनी समिति (कमिटी ऑन डीपेनिंग ऑफ़ डिजिटल पेमेंट्स) ने अगले तीन वर्षों में डिजिटल भुगतान को 10 गुना बढ़ाने का सुझाव दिया है जिसमें डिजिटल भुगतानों पर लेन-देन प्रभारों को हटाने, अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) प्रक्रियाओं को सरल बनाने और बैंकों के लिए केवाईसी लागत को घटाने से सहायता मिल सकती है। समिति के सुझावों के आधार पर रिजर्व बैंक आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

समापन टिप्पणियाँ

अंत में मैं, उपभोक्ता संरक्षण के महत्त्व को रेखांकित करना चाहूँगा जो न केवल लोगों के लिए उपलब्धता बल्कि हितधारकों के विश्वास के एक व्यापक संदर्भ की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। उपभोक्ताओं का विश्वास कि सेवाएं उचित मूल्य पर हैं, निवेशकों का विश्वास कि हितधारक उनके सर्वोत्तम सामूहिक हित में कार्य कर रहे हैं, विश्वास विनियामकों का कि ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण कार्यकलापों का उचित व तर्कसम्मत आकलन ही प्रस्तुत कर रहे हैं - इन सबका राष्ट्रीय बचत व वित्तीय स्थिरता में अमूर्त किंतु अहम योगदान है। लेहमन प्रकरण के बाद अमेरिकी वित्तीय बाजार इसके बड़े और संयतकारी उदाहरण हैं कि जब निवेशकों

का विश्वास हवा हो जाए तो क्या होता है। वस्तुतः उपभोक्ता संरक्षण को एक प्रमुख धुरी के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके चारों ओर सभी विनियामक व पर्यवेक्षी प्रयास विकसित हों। अंत में यह कहना चाहता हूँ कि एक स्थिर वित्तीय प्रणाली विकसित करने में काफी प्रगति हुई है। तथापि, जैसा कि हमने देखा, वित्तीय परिदृश्य लगातार बदल रहा है और नई चुनौतियाँ उभर रही हैं। उभरते परिदृश्यके साथ बेहतर अनुकूलन के लिए रिज़र्व बैंक विनियामक व पर्यवेक्षी ढाँचे का निरंतर उपयोग कर रहा है। अतः आईबीए, इसके सदस्य, और अन्य हितधारकों को साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी प्रक्रिया सफलता से विकसित हो।

व्यापार युद्ध : क्या यह अवैधीकरण की पूर्वपीठिका है ?*

बी. पी कानूनगो

आज यहाँ आकर मैं खुश हूँ और फॉरेक्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एफएआई) एवं इस सम्मेलन के आयोजकों का आभारी हूँ कि मुझे इस समूह को संबोधित करने हेतु आपने आमंत्रित किया। खुशी इस बात की भी है कि मैं सिंगापुर में हूँ, एक ऐसा देश जो कि वैधीकरण की उपलब्धियों को वास्तव में साकार करता है और ऐसा देश जिसके साथ सांस्कृतिक, जातीय व आर्थिक क्षेत्रों में भारत के बहुविध संबंध थे और अभी भी हैं। विदेशी मुद्रा की माँग व आपूर्ति में मध्यस्थ विदेशी मुद्रा बाजार के पेशेवरों की संस्था एफएआई, शेष अर्थव्यवस्था के लिए 'कीमत देने वाले' का कार्य करती है और 1979 से फॉरेक्स बाजार में पारदर्शिता, पेशेवराना रवैया और नैतिक आचार को बढ़ावा देने में लगी हुई है। उनकी इस भूमिका की मैं प्रशंसा करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी पूरी सक्षमता व निष्पक्षता से ऐसा करते रहेंगे।

विदेशी मुद्रा बाजार कई मायनों में अनूठा है। कोई भी विदेशी मुद्रा अपने क्षेत्र के बाहर मूलतः एक वस्तु है और इस प्रकार इसमें आस्ति (एसेट) के गुण होते हैं। लेकिन घरेलू मुद्रा में सामान्यीकृत विनिमय दर एक समष्टि आर्थिक चर है जिसका निर्धारण आर्थिक आधारों से होना अपेक्षित है और जो आर्थिक कारकों को प्रभावित करता है। सिद्धांतः अपने इस दोहरे आचरण के कारण, विनिमय दर में बड़ी अस्थिरता दिखती है व आर्थिक आधारों से सूचित मूल्य से विलग हो जाती है जिसके कारण नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता होती है। यहाँ यह जरूर जोड़ दूँ कि बहुत ज्यादा अस्थिरता के बाद किसी विदेशी मुद्रा व्यापारी को सबसे अधिक विचलित करने वाली दूसरी कोई चीज है तो वह है बहुत कम अस्थिरता!

यह एक विसंगति है कि उलट-फेर करने वाले कई कारकों के बीच हाल के समय में वैश्विक मुद्रा बाजारों में अस्थिरता काफ़ी कम रही है। वस्तुतः जे पी मॉर्गन ग्लोबल एफएक्स वोलेटिलिटी

* श्री बीपी कानूनगो, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, फॉरेक्स एसोसिएशन आफ इंडिया कॉन्फ़रेंस में 10 अगस्त 2019 को दिया गया भाषण।

इंडेक्स 2014 के बाद से अब तक के अपने निम्नतम स्तर पर है। बाजार के सहभागियों ने इसे तूफान के पहले के सन्नाटे के रूप में देखा है और पहले की उन घटनाओं का जिक्र किया है जब इस तरह की ढलान के बाद अमेरिकी डॉलर तेजी से ऊपर गया। अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा घोषित 25-आधार-अंक की कटौती के बावजूद, यूएस डॉलर तेजी से ऊपर गया, शायद इस उम्मीद में कि भविष्य में और उदार (एकोमोडेटिव) कदम उठाए जाएंगे। इससे कम से कम अनिश्चितता तो रेखांकित होती ही है।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य बहुत उत्साहजनक नहीं है, यद्यपि अभी भी निराशावाद के लिए कोई जगह नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) 2019 के वैश्विक वृद्धि अनुमानों को संशोधित करके घटाता जा रहा है पर 2020 का परिदृश्य अधिक सकारात्मक है। विकसित देशों में वृद्धि सुस्त बनी हुई है तथा हाल के वर्षों में वैश्विक वृद्धि में बड़ा योगदान देने वाली चीन व भारत समेत उभरती अर्थव्यवस्थाएं चुनौती का सामना करती प्रतीत हो रही हैं। एक ही समय में कई केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में की जा रही कटौती को देखते हुए उदार/निभावी (एकोमोडेटिव) मौद्रिक नीति का एक और दौर नहीं लगता।

दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक व्यापार तनाव आज चर्चा का प्रमुख विषय हैं। इस तनाव के जल्दी हल होने की फ़िलहाल कोई संभावना नहीं प्रतीत होती, न ही ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में यह बढ़ेगा या तेजी से हाथ से निकल जाएगा। व्यापार प्रशुल्कों (ट्रेड टैरिफ़) अवरोधों के जरिये स्पर्धात्मक संरक्षणवाद का जो भी राष्ट्रीय या आर्थिक तर्क हो, वैश्विक आर्थिक सुस्ती में इसका हाथ पक्का है। तथाकथित ब्रेकिजट, यूरोपीयन यूनियन से ब्रिटेन का निकलना भी अनिश्चितता से घिरा हुआ है और यह माना जा रहा है कि बे-सौदा (नो-डील) ब्रेकिजट उथल-पुथल का एक कारक अवश्य होगा। खाड़ी व अन्यत्र भी भू-राजनैतिक तनाव जोखिम पैदा कर रहे हैं जो मनोभावों पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं।

आईएमएफ की प्रधान अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था जिस नाजुक मोड़ पर है, उसका बड़ा कारण अपनी करनी है और अवैधीकरण के बारे में सोचना पूरी तरह अपरिपक्वता है। वैधीकरण के चक्र को उलटा नहीं जा सकता और यह सदियों से आगे बढ़ता आ रहा है। हाल के समय

में संचार व तकनीक में लंबी छलांगों के कारण इसमें प्रत्याशातीत प्रगति हुई है। अर्थव्यवस्थाओं, बाजारों, सामाजिक आदान-प्रदान, शिक्षा इत्यादि मानव अस्तित्व के सभी पक्ष आपस में गूँथे हुए हैं। सच है कि वैश्विकरण की प्रक्रिया अपने साथ समस्याएं व असंतोष लेकर आई है, लेकिन समझदारी इनका हल करने में है न कि प्रक्रिया को ही त्यागने में।

मुक्त व्यापार वैश्विकरण का एक प्रमुख आधार रहा है। आम तौर पर यह मानी हुई बात है कि राष्ट्रों के बीच खुले व्यापार से समृद्धि बढ़ती है। इसके पीछे तर्क वही है जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में है : विशेषज्ञता, तुलनात्मक लाभ और उत्पादकता के फायदे। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की तरह ही व्यापार के लाभ को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके अलावा मुक्त निर्यात और मुक्त आयात के प्रति दृष्टिकोण एक सा नहीं है। घरेलू रोजगार, वृद्धि व विदेशी मुद्रा में सहायक होने के कारण प्रत्येक देश जहाँ निर्यात (सिवाय तब जब व्यापार की शर्तें खराब हों), के पक्ष में होता है, वहीं आयात को लेकर नाक भौं सिकोड़ा जाता है क्योंकि देश को रोजगार, वृद्धि व विदेशी मुद्रा की हानि होती है। इससे प्रशुल्क (टैरिफ़) जैसे अवरोधी उपाय सामाने आते हैं और जब कोई पर्याप्त टैरिफ़ की बात करता है, तो सीधा-सादा अर्थ है संबंधित देश के लिए पर्याप्त न कि पूरे विश्व के लिए। और यदि व्यापार करने वाले सभी देश जवाबी टैरिफ़ लगाने लगे तो इसमें सबका नुकसान ही होगा जिससे वैश्विक व विभिन्न राष्ट्रों की समृद्धि पर अलग-अलग ढंग से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सामान्यतः यह माना जाता है कि चालू खाता घाटे को दूर करने में, विभिन्न शर्तों के तहत, विनिमय दर कुछ संतुलनकारी भूमिका निभाता है। व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) वाले देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ना चाहिए जिससे वहाँ के निर्यात महँगे व आयात सस्ते होंगे तथा व्यापार घाटा वाला देश हो तो इसका विपर्यय। इस प्रणाली की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बिना राष्ट्रीय प्राधिकारियों के दखल के, किस हद तक विनिमय दरें बाजार की ताकतों से तय होती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हाल के व्यापार तनाव के पहले मुद्रा मूल्य में हेर-फेर के आरोप धड़ल्ले से लग रहे थे।

व्यापार, विनिर्माण, सेवा, आपूर्ति श्रृंखला, पूँजी की आवा-जाही के बढ़ते वैश्विकरण ने जटिल अंतर्निर्भरताओं का एक जाल रच दिया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का बाह्य रूप भी काफ़ी बड़ा हो गया है। राष्ट्रीय सरकारों व नीति निर्माताओं को जहाँ अपने-अपने क्षेत्र के हित में कार्य करना होता है, शेष विश्व पर उनकी कार्रवाइयों का संपार्श्विक प्रभाव अहम हो सकता है। बड़े देशों के नेताओं की कार्रवाइयों में समन्वय अत्यंत आवश्यक हो गया है। याद रहे कि ऐसी समन्वित कार्रवाई से वैश्विक वित्तीय संकट को नियंत्रित करने में मदद मिली।

गवर्नर दास ने हाल में बोलते हुए अमेरिकी ट्रेज़री द्वारा 2015 से मुद्रा-मूल्य में हेर-फेर करने वाले देशों की निगरानी की ओर ध्यान खींचा जिसमें 2018 तक कुछ समय के लिए भारत का नाम था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आईएमएफ के चार्टर में इस बात के व्यापक प्रावधान हैं कि वह सदस्य देशों को व्यापार में अनुचित लाभ के लिए अपनी मुद्रा में हेर-फेर करने से रोक सकता है और किसी गलती को सुधारने की द्विपक्षीय कोशिश के बजाय बेहतर यही है कि मुद्रा हेर-फेर के आरोप संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए बहुपक्षीय ढाँचे का प्रयोग हो। वस्तुओं व सेवाओं में व्यापार व दूसरे क्षेत्रों में अनबन के मामलों में भी यही तर्क लागू होता है। पहले के प्रशुल्क व व्यापार संबंधी सामान्य करार (जीएटीटी) के पीछे यही उद्देश्य था जो कि अब डब्ल्यूटीओ है। वर्तमान व्यापार तनावों के हल का सर्वोत्तम रास्ता बहुपक्षीय है, अन्यथा जैसा कि पॉल क्रूगमैन ने कुछ समय पहले ट्वीट किया था, 'दीर्घकाल में विश्व पहले से दरिद्र होगा और अल्पकाल में भारी उथल-पुथल होगा।'

हाल के महीनों में भारतीय फॉरेक्स बाज़ार पर्याप्त स्थिर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रिज़र्व बैंक का कार्य विदेशी मुद्रा बाज़ार में व्यवस्था बनाए रखना है। इसका हस्तक्षेप केवल वेसी हठात् हलचलों को रोकने के लिए होता है जिनके पीछे कोई आर्थिक आधार नहीं होता। जैसा कि बार-बार कहा गया है, बाजार की कार्रवाइयां (ऑपरेशन्स) किसी लक्ष्य विनिमय दर या दरों का दायरा हासिल करने के लिए नहीं की जाती। यह अवश्य उल्लेखनीय है कि भारत में एक दशक से भी अधिक समय से विनिमय दर समीकरण पूँजीगत प्रवाहों से प्रभावित रहे हैं न कि चालू खाता शेषों से। स्वगत कथन के रूप में यह कह दूँ

कि भारत अधिकांशतः चालू खाता घाटे में रहा है जबकि यूएस के साथ द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष रहा है, 2018 में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कुछ अधिक। यद्यपि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) व दीर्घावधि ऋण संबंधी दीर्घावधि प्रवाह आर्थिक आधारों के मुताबिक पर्याप्त स्थिर रहे हैं, परंतु पोर्टफोलियो प्रवाहों का अपना समीकरण रहा है जो भारतीय आस्तियों (एसेट्स) पर मिलने वाले लाभ पर जितना निर्भर होते हैं, उतना ही जोखिम की भूख को प्रभावित करने वाले वैश्विक कारकों पर भी। इन परिस्थितियों में विदेशी मुद्रा बाजार में हलचल की दशा में व्यवस्था स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप के सिवा कोई बेहतर विकल्प नहीं होता। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार निर्यात अधिशेष से निर्मित नहीं हैं, बल्कि उधार के रिज़र्व हैं। प्रवाहों के अचानक पलटने पर ये जहाँ दीवार का काम करते हैं, वहीं इसके परिणाम से जूझने की क्षमता बढ़ाते हैं और वैश्विक स्थिरता में भी योगदान देते हैं।

नीतिगत व्यवस्था उन सभी निवासी आर्थिक कारकों को बचाव (हेजिंग) के साधन भी देती है जिनका एकसपोजर विदेशी मुद्रा में है और अनिवासियों को भी जिनका रुपए में एक्सपोजर है। देश में स्थित (ऑनशोर) बाजारों में पर्याप्त गहराई और तरलता है पर इन्हें और मजबूती चाहिए। हेजिंग के कई प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं तथा इसमें और अधिक विस्तार उनके जोखिम प्रभावों की समझ के अनुसार होगा। हाल के समय में, वैश्विक संस्थान और निवेशकों ने रुपए में वर्गीकृत आस्तियों (एसेट्स) के लिए अच्छी भूख दिखाई है जो विदेशी मुद्रा के प्रवाह को सुनिश्चित करने के साथ-साथ विनिमय जोखिम से भारतीय जारीकर्ताओं को बचाता भी है। इस रुझान को नीतिगत स्तर पर और समर्थन की आवश्यकता है।

संक्षेप में, मैं यह कहना चाहूँगा कि यद्यपि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संकेत हतोत्साही हैं और व्यापार तनाव व भू-राजनैतिक घटनाक्रमों से अनिश्चितताएं उभर रही हैं, मैं इस पर आशावादी हूँ कि बहुपक्षीय ढाँचे से समन्वित नीतिगत कार्रवाई और विवादों के समाधान से आगे की राह निकलेगी।

मैं इस अवसर पर दो अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित करूँगा। पहला, विदेशी मुद्रा लेन-देनों का पारदर्शी व उचित कीमत-निर्धारण जिस पर विभिन्न वर्गों के उपयोगकर्ताओं ने हमारा ध्यान खींचा है। उचित मूल्य पाने की समस्या विकट थी,

विशेषतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए जिनको विभिन्न बैंकों के विदेशी मुद्रा (एफएक्स) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों के उपयोग की अनुमति नहीं थी। इस मुद्दे का हल निकालने के लिए रिज़र्व बैंक ने भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म विकसित करने का निर्णय लिया जहाँ ऐसे सहभागी सीधे अपने क्रय/विक्रय आदेश रख सकेंगे। उपयोक्ताओं के लिए यह प्लेटफॉर्म अगस्त 2019 की शुरुआत से उपलब्ध है और इसमें खुदरा ग्राहकों व प्राधिकृत डीलर बैंकों से बोली/प्रस्ताव की अनुमति है जिसे अनाम (एनोनिमस) व स्वचालित (ऑटोमेटिक) रूप से मैच किया जाएगा तथा इस प्रकार उपयोगकर्ताओं को अपने व्यापार के स्तर के बारे में पूर्ण पारदर्शिता मिलेगी। बैंकों को अपने प्रोसेसिंग चार्जज अलग से घोषित व वसूल करने होंगे जिससे ग्राहक कारोबार के लिए बैंकों में स्पर्धा होगी। बैंकों से मेरा आग्रह है कि खुदरा व छोटे कारोबारी घरानों /एमएसएमई के बीच इस प्लेटफॉर्म को लोकप्रिय बनाएं।

दूसरा, फॉरेक्स बाजार के समुचित रूप से कार्य करने हेतु अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्वारा सामान्य मार्गदर्शन के रूप में विकसित ग्लोबल फॉरेक्स कोड। इसमें सामान्य सिद्धांत (कुल 55 और 6 मुख्य सिद्धांत) हैं जिनका उद्देश्य यह है कि विभिन्न घोटालों (जैसे लिबर फिक्सिंग घोटाला आदि) के चलते बाजारों में हुई विश्वास की क्षति के बाद भरोसे को बहाल किया जाए और फॉरेक्स बाजार व इसके कार्य में अधिक विश्वास लाया जाए। कॉर्पोरेट/मध्यस्थ को यह कोड अपने आंतरिक एफएक्स ऑपरेशनों की समीक्षा / बेहतरी का तथा इन्हें वैश्विक मानकों के समकक्ष लाने का एक मौका देता है। इससे ग्राहकों, निवेशकों, प्रतिपक्षियों और व्यापक तौर पर बाजार को फॉरेक्स बाजार में लेन-देन में अच्छे तौर-तरीकों को अपनाने की कॉर्पोरेट की प्रतिबद्धता का सकारात्मक संकेत जाता है।

भारत में, सभी बैंकों ने, सिवाय एक के, और कई बैंकेतर सहभागियों ने कोड के प्रति प्रतिबद्धता वचन (एसओसी) पर हस्ताक्षर किए हैं। यद्यपि कोड को स्वीकार करना स्वैच्छिक है, यहाँ उपस्थित सभी बैंकेतर सहभागियों से मेरा आग्रह है कि कोड का अध्ययन करें, अपनी प्रक्रियाओं को जाँचे-परखें और उसके बाद, वैश्विक कोड के एसओसी पर हस्ताक्षर करें।

आपके विचार-विमर्श की पूर्ण सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं।

20वाँ फिम्डा- पीडीएआई वार्षिक सम्मेलन*

बी पी कानूनगो

आप लोगों के बीच आज यहाँ आकर मैं खुश हूँ और इस विशेष अवसर के लिए भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा/ एफआईएमएमडीए) और भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) को मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा। फिम्डा और पीडीएआई का वार्षिक सम्मेलन हाल में अपने विचार विमर्श के विषय वस्तु के लिए जितना जाना जाता रहा है, उतना ही स्थान के चुनाव के लिए भी और इसका यह बीसवाँ संस्करण भी कोई अपवाद नहीं है। इन अवसरों पर वित्तीय बाजार, विशेषतः नियत आय वर्ग, के सर्वोत्तम मस्तिष्क एक छत के नीचे जुटते हैं और इस प्रकार बाजारों को पेश आ रहे सामयिक मुद्दों पर चिंतन का एक बड़ा ही अच्छा मंच मिल जाता है। हम रिज़र्व बैंक वालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मंच है जहाँ हम वर्तमान प्रासंगिकता के मुद्दों पर वृद्धि व विकास को आगे ले चलने में अहम भूमिका व दायित्व वाले बाजार के सहभागियों से अपने विचार साझा करते हैं।

फिम्डा भारत में नियत आय बाजार के सहभागियों का एक प्रतिनिधि निकाय है। यह देखकर मैं खुश हूँ कि दुनिया के ऐसे कई संगठनों से अलग फिम्डा आपसी हित साधने वालों का समूह कम है और विगत वर्षों में बाजारों के विकास में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डेरिवेटिव बाजारों सहित गहराई व चलनिधि वाले नियत आय बाजारों को बनाने के हमारे प्रयासों में इसने बड़ी कुशलता से योगदान दिया है। मूल्यांकन, कीमत प्रसार, उत्पाद विकास, मानक विकास, सर्वोत्तम प्रथाओं के समावेश और बाजार शिक्षण में इसके योगदान के बिना हम उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक विकसित नियत आय बाजारों में से एक हो पाने से कोसों दूर होते। इसी प्रकार, विगत दो दशकों में सरकारी ऋण में प्राथमिक बाजार के विकास

में पीडीएआई ने निर्णायक भूमिका निभाई है और सरकारी ऋण के सफल निर्गमों का बड़ा श्रेय प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को जाता है।

नियत आय बाजारों के महत्त्व के बारे में जितना कहा जाए कम होगा। दुनिया भर में सरकारी व उप – सरकारी निकायों के फंड की जरूरतों को पूरा करने के अलावा वे वित्तीय व गैर-वित्तीय फ़र्मों की बाह्य फंड जरूरतों को भी काफी हद तक पूरा करते हैं। आगे, ये बाजार व्यक्तियों की फंडिंग जरूरतों— शिक्षा, वित्त, आवास वित्त, उपभोग वित्त आदि आदि से कई तरह से गहराई से जुड़े हैं – मूल्य निर्धारण मानक देने से लेकर प्राथमिक फंडिंग देने वाली संस्थाओं को फंडिंग देने तक। बिल्कुल स्पष्ट है कि, बकाया नियत आय उपकरणों (लिखतों) का सकल मूल्य अनुमानतः अमेरिकी डॉलर 100 ट्रिलियन से अधिक आँका गया है जबकि वैश्विक स्टॉक मार्केट का मूल्य लगभग 70 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। नियत आय उपकरणों की दैनिक ट्रेडिंग मात्रा भी स्टॉक मार्केट की तुलना में तीन गुना ज्यादा है। यद्यपि वैश्विक नियत आय बाजार का बड़ा हिस्सा अमेरिका से ही है, लेकिन विगत 15 वर्षों में वैश्विक बाजार के आकार का तीन गुना बढ़ जाना यह संकेत देता प्रतीत होता है कि अन्य क्षेत्र भी आगे आ रहे हैं।

कॉर्पोरेट सेक्टर की बाह्य फंडिंग के दो गैर-इक्विटी स्रोतों यथा बैंक फाइनेंस और बाजार-आधारित फाइनेंस में से प्रणालीगत दृष्टि से साहित्य को बाजार-आधारित फाइनेंस वांछनीय तरीका लगता है। बिना इस विवाद में गए, हम शायद कह सकते हैं कि ये दो परिपूरक की भूमिका निभाते हैं। भारतीय वित्तीय व्यवस्था जो अधिकांशतः बैंक-आधारित है जो जरूरत है कि एक सुदृढ़ नियत आय बाजार विकसित करे जिससे बाजार अनुशासन आए, बैंक वित्त बढ़े और बैंक वित्त वाकई उन उद्देश्यों/कार्यों के लिए मुक्त हो पाए जिनके लिए बाजार से सीधे वित्त उपलब्ध नहीं हो पाता। हाल के वर्षों में नियत आय बाजार का विकास रिज़र्व बैंक, सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और विनियामकों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। इसमें अच्छी प्रगति हुई है, तथापि काफी कुछ हासिल करना है।

* 31 अगस्त 2019 को मास्को में श्री बी पी कानूनगो, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण।

हम जो बाजार चाहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं? सक्षम व सुदृढ़ बाजार का वर्णन कई तरह से किया जा सकता है: पर हम चार पहलुओं को रेखांकित कर सकते हैं।

सबसे पहले, कई तरह के उत्पाद जरूर उपलब्ध हों। यह बात और कहीं उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी वित्तीय बाजारों में क्योंकि व्यापक रूप से मानी हुई बात है कि प्रतिभूतियों की बड़ी श्रृंखला से आर्थिक एजेंटों को भविष्य की अनिश्चितता का सामना करने में सहायता मिलती है।

दूसरे, पारदर्शिता जरूरी है। सूचना की विषमता – लेन-देन के पहले और बाद दोनों में - वित्तीय बाजारों की खासियत है। उधार या निवेश लेने वाला अपने बारे में उधार देने या निवेश करने वाले से अधिक जानता है। इस समस्या से निपटने के लिए बाजार कई तरीके अपनाते हैं। वित्तीय प्रकटीकरण और रेटिंग दो सबसे आम साधन हैं, जिसकी सत्यनिष्ठा बाजार के सुचारु रूप से चलने के लिए बेहद जरूरी है।

तीसरे, चलनिधि (तरलता) आवश्यक है। बिना चलनिधि के बाजार किसी काम का नहीं। तरल (चलनिधियुक्त) बाजार उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देता है; वित्तीय बाजारों में तरलता बचत और निवेश में सहायक है। तरलता को कई बार ट्रेडिंग की मात्रा का पर्याय माना जाता है, पर जैसा कि कीन्स के समय से ही कहा गया है, अटकल पर अल्पकालिक लाभ से चालित अस्थायी निवेशकों के चलते आने वाली मात्रा से जरूरी नहीं कि बाजार में सक्षमता आए। तरलता (लिक्विडिटी) का सार है मूल्य में बिना क्षय के अपनी निवेश स्थितियों में प्रवेश व इससे निकास आसान और अवरोधरहित हो। इसके कई आधार हैं: सहभागियों की बड़ी संख्या, प्रवेश में कम बाधाएं, लेन-देन की बड़ी मात्रा, सुदृढ़ कीमत निर्धारण, जोखिम रहित अंतरपणन(आर्बिट्राज) आदि आदि।

अंत में, सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन अपरिहार्य है। जैसा कि, वित्तीय संकट ने दिखाया, जिस बाजार में पर्याप्त जोखिम प्रबंधन उपाय नहीं हैं, उसके फेल होने की आशंका होती है तथा इसकी आर्थिक व सामाजिक कीमत बहुत बड़ी होती है। इसके पहले मैंने वित्तीय उत्पादों के दायरे के बारे में कहा था, जिसमें इस पर

ध्यान देना है कि ये इतने जटिल न हो जाएं कि इसमें निहित जोखिम ही न समझ में आए। ट्रेडेड प्रॉडक्ट्स, केंद्रीय प्रतिपक्षी क्लीयरिंग, द्विपक्षी मार्जनिंग और ट्रेड रिपॉजिटरीज को पोजिशनस की रिपोर्टिंग का लक्ष्य जोखिम प्रबंधन तौर-तरीकों को बेहतर करना है।

हमारे नियत आय बाजार इन मानकों पर कैसा प्रदर्शन करते हैं। कुछ सरलीकृत तथ्य आपके सामने रखता हूँ।

नियत आय बाजार का सबसे बड़ा वर्ग सरकारी प्रतिभूति ₹58 ट्रिलियन का है और ट्रेजरी बिल लगभग ₹6 ट्रिलियन का। यद्यपि प्राथमिक निर्गम बिल्कुल बाधारहित रहे हैं, ट्रेडिंग मात्रा का बड़ा हिस्सा 10 वर्षीय बेंचमार्क सिक्यूरिटी का है। बोली-प्रस्तावित दर में प्रतिबिंबित इस बेंचमार्क सिक्यूरिटी में चलनिधि (लिक्विडिटी) वाकई प्रभावी है और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के हाल के एक अध्ययन के अनुसार, उभरते बाजारों में सर्वोत्तम में से एक है। तथापि दूसरी ऑफ-बेंचमार्क सिक्यूरिटियों में तरलता (लिक्विडिटी) सूख जाती है, जो कि अच्छे बाजार का सूचक नहीं है।

कॉरपोरेट ऋण बाजार ने प्रभावी वृद्धि दर्ज की है। जून 2014 से 2019 तक के पाँच वर्षों में बाजार का आकार ₹14.43 ट्रिलियन से ₹30.63 ट्रिलियन हो गया है। इसमें से, संरचित नोट बाजार ₹8.78 बिलियन से बढ़कर ₹230 बिलियन¹ हो गया। इन आँकड़ों से बाजार की बढ़ती परिपक्वता का पता चलता है। तथापि हमें यह नोट करना चाहिए कि 24000 से अधिक लिखत (उपकरण/इन्सट्रूमेंट्स) बकाया है जिससे प्रति लिखत औसत बकाया बहुत कम हो जाता है। दूसरी तरफ, हाल के निर्गम मुख्यतः (75 प्रतिशत तक) वित्तीय फर्मों द्वारा किए गए हैं। इसके अलावा अधिकांश निर्गम प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा हुए हैं। इसके अलावा, कॉरपोरेट ऋण में द्वितीयक बाजार (सेकेंडरी मार्केट) इतना अतरल (इलिक्विड) है कि यह बड़े आराम से कहा जा सकता है कि ऐसा कोई बाजार ही नहीं है। कुछ कॉरपोरेट ऋणों का दर संक्रमण, विशेषतः जो वित्तीय फर्मों द्वारा जारी किए गए हैं, असाधारण रहा है - अच्छे क्रेडिट से जंक।

¹ सेबी डेटा।

मुद्रा बाजार का विकास अवरुद्ध रहा है। अधिकांश गतिविधि एक दिवसीय वर्ग में केंद्रित रही है और एक सूदृढ़ मीयादी मुद्रा बाजार मरीचिका बना हुआ है। ट्रेजरी बिलों में कुछ ट्रेडिंग है, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और जमा प्रमाणपत्र में गतिविधि प्राथमिक निर्गमों में सीमित है।

ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार भी सुस्त पड़ा हुआ है। एक दिवसीय ब्याज अदला-बदलियों (स्वैप्स) में युक्तिसंगत चलनिधि है, पर भूख नहीं, और इसलिए ब्याज दर फ्यूचर्स समेत दूसरे डेरिवेटिव्स में कोई ज्यादा ट्रेडिंग नहीं है। 2012 में शुरू किया गया ऋण चूक अदला-बदली (क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप) बाजार मरणासनन है। विडंबना है कि डेढ़ दशक पहले कुछ सहभागी वेंचो स्वैप्स जैसे मुश्किल से समझ में आने वाले प्रॉडक्ट्स लाते थे, लेकिन आज बॉण्ड्स पर कॉलर या कैप्स जैसे सरल उत्पाद (प्रॉडक्ट्स) देने की कोशिश बहुत कम हो रही है।

अनिवासी निवेशकों को घरेलू ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार पूरी तरह उपलब्ध कराने के बावजूद सुनने को जो मिलता है उससे प्रतीत होता है कि इस वर्ग में बहुत कुछ नॉन डेलीवरेबल फॉरवर्ड (एनडीएफ) मार्केट जैसा एक अपटतीय बाजार (ऑफशोर मार्केट) विकसित हो रहा होगा।

अब मैं क्या किया जाना चाहिए के महत्वपूर्ण प्रश्न पर आता हूँ। हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि बाजार का विकास एक जटिल प्रक्रिया है। तीव्र विकास की आकांक्षा रखने वाली अर्थव्यवस्था को फाइनेंसिंग की जरूरतें तो हैं ही। वित्तपोषण (फाइनेंसिंग) की जरूरतों के लिए घरेलू बचत के साथ-साथ विदेशी बचत भी है। बाजार का काम है कि आबंटन का काम कुशलतापूर्वक करे। बाजार का विकास परोपकार की भावना से आगे नहीं बढ़ता; इसमें सभी हितधारकों – निवेशक, निवेश प्राप्तकर्ता और विनियामक के भी – प्रोत्साहनों के समन्वय की जरूरत होती है। पहले दो के प्रोत्साहन तो समझ में आते हैं, लेकिन बाजारों के विकास की प्रक्रिया में विनियामक को प्रायः कबाब में हड़डी की तरह देखा जाता है। इसका महत्व समझना होगा कि विनियामक का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, बाजार को विफल न होने देना और ग्राहक संरक्षण है तथा वित्तीय संकट ने इन उद्देश्यों के महत्व को रेखांकित किया है। एक ओर जहाँ विनियामक ढाँचा विकसित होता रहता है, वहीं क्या कुछ और पक्षों को देखने की जरूरत है?

तरल (चलनिधि युक्त / लिक्विड) व सुदृढ़ बाजार की पूर्वशर्तों में एक यह है कि बड़ी मात्रा में पण्य वाले एजेंटों की व्यापक सहभागिता हो। इस मायने में सबसे बड़ी इकाइयों का समूह बैंक हैं, जिसके बाद इंशयोरेंस कंपनियां, पेंशन फंड और अब वैकल्पिक फंड आते हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि इनमें जिन इकाइयों पास बड़ा बैलेंस शीट है, उनकी सरकारी प्रतिभूतियों की बड़ी होल्डिंग न ही बाजार में सक्रिय हैं और न नवोन्मेष में। शायद 6-9-3 वाले बैंकिंग के आराम से बाहर निकलने कर खोजने की जरूरत है, उन बाजारों को जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया और उन लाभों को जो अभी तक उठाए नहीं गए। सरकारी प्रतिभूति बाजारों में समग्र तरलता बढ़ाने की दिशा में भी हम काम करेंगे जिसमें कम तरल परिपक्वताओं में टारगेटेड मार्केट मेकिंग योजनाओं के जरिये दो-तरफा बोली/दरें (कोट्स) उपलब्ध होंगी। आगे, प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के उधार देने व लेने के एक कार्यक्रम की शुरुआत और प्रतिभूतियों में स्वामित्व के सुगम हस्तांतरण के लिए निक्षेपागारों की अंतर-परिचालनीयता संबंधी कदमों पर हम ध्यान देंगे। बारंबार बाइबैंक/स्विच ऑपरेशन के माध्यम से सरकारी ऋण के सक्रिय समेकन के लिए हम सरकार को भी शामिल कर रहे हैं।

यह माना गया है कि अनिवासी निवेशकों से वित्तीय बाजारों में मात्रा और तरलता आती है जिसका सीधा कारण है विदेशों में बचत का बड़ा भंडार जो प्रतिफल (यील्ड्स) की खोज में है। ऋण वर्ग में अनिवासी निवेशकों के प्रवेश की बाधाओं को हटाने का एक क्रमिक प्रयास रहा है। अचानक विपरीत दिशा में जाने से ब्याज दरों में हलचल की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया को क्रमिक रखा गया है। विदेशी मुद्रा ऋणों के विपरीत भारतीय उधारकर्ता को विनिमय जोखिम से बचाने वाले रुपया ऋण प्रतिभूतियों में यद्यपि हाल में विदेशी निवेशकों ने काफी रुचि दिखाई गई है, पर ब्याज दर बाजार में स्थिरता के प्रति खतरा और विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता के प्रति अवशिष्ट खतरा बना हुआ है। जो भी हो, रुपया ऋण बाजार – नकद व डेरिवेटिव भी – में विदेशी निवेशकों को अधिक प्रवेश देने पर विचार क्रमशः होगा।

आकलन है कि पाँच वर्ष बाद, बॉण्डों की माँग (डिमांड) उनकी आपूर्ति (सप्लाई) से अधिक हो जाएगी। यह एक

विरोधाभासी स्थिति है। क्या बाजार उधारकर्ताओं को बाजार में नहीं आने दे रहा? सीडीएस से संबंधित मुद्दे ध्यान में आते हैं। सीडीएस का मूल उद्देश्य था कि कमतर रेटिंग वाले उधारकर्ता बाजार तक पहुँच पाएँ जबकि निवेशक सीडीएस खरीदकर चूक से रक्षित होता है। लेकिन वैसा बाजार जहाँ केवल ऊँची रेटिंग वाली इकाइयाँ बॉण्ड जारी करती हैं, वहाँ किसी सीडीएस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी या बल्कि, सरकारी प्रतिभूति से तुलना करें तो सीडीएस होगा तो निवेशकों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसमें और अन्य व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) उत्पाद में तरलता (लिक्विडिटी) लाने पर अंतर्विश्लेषण की आवश्यकता है।

केंद्रीय प्रतिपक्षी निपटान, एक्सचेंज ट्रेडेड प्रॉडक्ट्स, ट्रेड रिपॉजिटरीज, विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) आदि से युक्त बाजार स्तर पर जोखिम प्रबंधन खासा मजबूत है। लेकिन जहाँ तक वित्तीय संस्थानों का सवाल है, इकाई स्तर पर विकास की संभावना है जिसकी जाँच नए लेखांकन (अकाउंटिंग) मानकों के लागू होने से होगी। विनियम के अन्य पक्ष – यथा नकद मार्जिन को जमाराशि के रूप में देखा जाना, इन मार्जिनों पर ब्याज का भुगतान, विदेश के संपार्श्विक की पोस्टिंग – सब का परीक्षण किया जा रहा है ताकि सहभागी वैश्विक मार्जिनीकरण के मानकों की ओर बढ़ सकें।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), सेबी और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) भी ब्याज दर बाजारों के विकास में सहयता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि सिक्यूरिटी उधार देने वालों का बड़ा समूह विकसित किया जा सके, तो शॉर्ट सेलिंग गतिविधि को फायदा पहुँच सकता है। इंश्योरेंस कंपनियों, पेंशन फंडों और म्युचुअल फंडों के पास काफी सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं जिनका उपयोग शॉर्ट सेलर्स को उधार देने में किया जा सकता है। इससे इन इकाइयों को आय होगी और इसके अलावा, कुछ वर्षों पहले घटित शॉर्ट स्क्वीज से बचा भी सकेगा। हम विनियामकों के साथ मिलकर एक प्रतिभूति उधार उत्पाद (सिक्यूरिटीज लेंडिंग प्रॉडक्ट) विकसित करने पर काम कर रहे हैं जिससे ये इकाइयाँ सिक्यूरिटीज लेंडिंग में हिस्सा ले सकें।

वृहत्तर संदर्भ में, नीतिगत प्रयासों पर बाजार के फीडबैक का संघटन फिम्डा के महत्वपूर्ण कार्यों में रहा है। विशेषतः प्रस्ताव वाले चरण पर विनियमों के प्रभाव का आकलन विनियामकों के लिए बड़ा सहायक होता है। इसे जारी रखा जाना चाहिए और साथ

ही मुझे वाकई खुशी होगी यदि फिम्डा और इसके सदस्य, बाजार विकास की पहलकदमियों को चिह्नित करने और विनियामकों के ध्यान में लाने का प्रयास करें। हल्के-फुल्के ढंग से कहा जाए, तो बाजार हमेशा विनियामकों से आगे भाग निकलने के लिए जाना जाता है जबकि विनियामक पकड़ने की कोशिश में रहता है। मैं आपको इसके लिए प्रोत्साहित तो नहीं कर सकता, पर यह समझता हूँ कि केवल बाजार ही, नवोन्मेषी विचारों को बढ़ावा दे सकता है और आपसे उम्मीद करूँगा कि जो कदम हम साथ मिलकर उठा सकते हैं, वहाँ आप विनियामकों के साथ मिलकर काम करें।

सामान्यतः जहाँ तक ट्रेड दो जानकार सहभागियों के बीच है, जो अपने हितों को समझते और बचाते हैं, तो विनियामक को कीमत निर्धारण की निष्पक्षता को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। तथापि, उचित कीमत निर्धारण किसी भी बाजार में एक मजबूत सिद्धांत होता है, जिसको खतरा प्रायः इस बात से होता है कि विक्रेता कम हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि मूल्यांकन में अपनी विशेषज्ञता और बाजार विकासकर्ता की भूमिका में इस पक्ष पर फिम्डा कड़ी नज़र रखेगा।

वित्तीय बाजारों के विभिन्न वर्गों के बाजार के समय (मार्केट टाइमिंग) को लेकर चर्चा रही है। बाजार से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों की ट्रेडिंग, क्लीयरिंग और निपटान चक्रों के संदर्भ में हम वर्तमान मार्केट टाइमिंग को जाँच रहे हैं ताकि बाजारों की सक्षमता और बेहतर हो।

वित्तीय बाजार की आधार संरचनाएं वित्तीय व्यवस्था और वृहत्तर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भुगतान, सिक्यूरिटी व डेरीवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स (जिसमें पण्यों के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल हैं) जैसे मौद्रिक व अन्य वित्तीय लेन-देनों की क्लीयरिंग व निपटान को ये आधार संरचनाएं सुगम बनाती हैं। सामान्यतः राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों के विकास का मुख्य संचालक किसी भी देश का केंद्रीय बैंक होता है। रिजर्व बैंक यह विकासात्मक भूमिका निभाते आया है और देश में सुरक्षित, संरक्षित, सुदृढ़, सक्षम, सुगम और प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। इस संदर्भ में मैं इस क्षेत्र में हो रही प्रगति का संक्षिप्त खाका प्रस्तुत करूँगा।

भुगतान बाजार आधारभूत संरचनाओं (पीएमआई) के केंद्र में जो प्रणाली केंद्रीय बैंकों के पास है वह दुनिया भर में एक तत्काल

सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली है। जैसे-जैसे दुनिया वास्तविक समय के करीब आ रही है, भुगतान और नवोन्मेष में विविधता, बेहतर अभिशासन और व्यापक उपलब्धता समेत हर चीज के मामले में आरटीजीएस की भूमिका विकसित हो रही है। इससे पीएमआई और विशेषतः आरटीजीएस के कारोबारी व तकनीकी ढाँचों से नई अपेक्षाएं जुड़ने लगती हैं। लंबे समय तक आरटीजीएस उपलब्ध कराने के लिए ग्राहकों का समय (कस्टमर टाइमिंग) हाल में बढ़ा दिया गया है। आरटीजीएस प्रणाली को अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराने और इसमें बैंकेतर इकाइयों की सहभागिता की अनुमति देने की माँग बढ़ रही है। डीजीटल भुगतान प्रसार (सीडीडीपी) पर गठित उच्च-स्तरीय समिति ने परामर्श दिया कि बैंकेतर इकाइयों को भुगतान प्रणालियों के सहयोगी सदस्यों के रूप में शामिल किया जाए और वे देश में स्वीकृति ढाँचे के संवर्धन में सक्रियता से शामिल हों। परामर्श विचाराधीन हैं।

बाजारों में दूसरी घटना विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) के कार्यान्वयन से संबंधित है। दुनिया भर में वित्तीय संकट को देखते हुए, एलईआई ने वित्तीय कड़ियों को पहचानने का एक रास्ता दिया है ताकि विनियामक और फर्म समूची वित्तीय प्रणाली में जोखिम (रिस्क) एक्सपोजरों की वास्तविक प्रकृति को बेहतर समझ सकें। भारत में, एलईआई को डेरिवेटिव व नॉनडेरिवेटिव समेत वित्तीय बाजारों के विभिन्न क्षेत्रों तथा बड़े

कॉरपोरेट उधारकर्ताओं के लिए भी आवश्यक कर दिया गया है। इसे चरणबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है। चूँकि एलईआई प्राप्त करना बड़े कॉरपोरेट उधारकर्ताओं के लिए भी आवश्यक कर दिया गया है, बैंकों को चाहिए कि ऐसे उधारकर्ताओं को एलईआई लेने को कहें और उन्हें अपनी मूल इकाई (पैरेंट एंटीटी) व सारे अनुषंगियों व सहयोगियों के लिए भी एलईआई लेने के लिए प्रोत्साहित करें। बड़े उधारकर्ताओं के लिए एलईआई के लागू होने से बैंकों को लेनदेनों की और इस प्रकार विभिन्न देशों में ऐसे उधारकर्ताओं के एक्सपोजर की बेहतर निगरानी में सहायता मिल सकती है।

अब मैं अपनी बात समाप्त करूँ। बढ़ती अर्थव्यवस्था में वित्तीय क्षेत्र का महत्त्व जितना कहा जाए कम है। भारत में नियत आय बाजार को, सबसे महत्त्वपूर्ण वर्ग के रूप में, एक ऐसी अर्थव्यवस्था की निवेश जरूरतों को पूरा करने लायक विकसित होना है जो निकट भविष्य में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना चाहती है। रिज़र्व बैंक व अन्य सहयोगी विनियामक जहाँ वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए वृद्धि का खाका खींचना जारी रखेंगे, बाजार को इस वर्ग के सहभागियों के समूह से अधिक गतिविधि, नवोन्मेष और उद्यमशीलता की आवश्यकता है।

मैं आशा करता हूँ कि इस सम्मेलन में बाजारों पर जब आप चर्चा करेंगे तो इस टेक को ध्यान में रखेंगे। मैं आपके विचार विमर्श की पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ।

लेख

केंद्रीय बजट 2019-20 : एक मूल्यांकन

विदेशी व्यापार करार : एक विश्लेषण

केंद्रीय बजट 2019-20: एक मूल्यांकन*

वर्ष 2019-20 के केंद्रीय बजट का लक्ष्य यह था कि 2018-19 के उत्तरार्ध में जीडीपी की उल्लेखनीय हासो-मुख वृद्धि के चुनौतीपूर्ण परिवेश में वित्तीय अनुशासन और आर्थिक वृद्धि के बीच एक अभीष्ट संतुलन स्थापित किया जाए। भौतिक और सामाजिक अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए व्यय संबंधी प्राथमिकताओं और अर्थव्यवस्था में निवेश कार्यों को गति प्रदान करने के हालात में गैर-कर राजस्व और विनिवेश के माध्यम से उच्चतर संसाधन जुटाना बजट का उद्देश्य था जबकि वर्ष 2018-19 की भांति प्रत्यक्ष कर में भी वृद्धि अपेक्षित है। अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के बारे में सूचना जारी कर राजकोषीय पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वृद्धि के लिए व्यय प्राथमिकताओं को पूरा करने हेतु राजकोषीय समेकन हासिल करने के लिए जीएसटी संग्रह में अधिक वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

परिचय

यह लेख 05 जुलाई 2019 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2019-20 की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करता है। 2018-19 की दूसरी छमाही में घरेलू जीडीपी विकास में मंदी के साथ वृद्धि की धीमी गति और फीकी व्यापारिक गतिविधियों की विशेषता वाले प्रतिकूल वैश्विक वातावरण की पृष्ठभूमि में केंद्रीय बजट 2019-20 में वृद्धि को प्राथमिकता देना ठीक ही है जिसमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद को मार्च 2020 के अंत तक 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक और फिर मार्च 2025 तक बढ़ाकर 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तदनुसार, बजट में, मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे में, निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ-साथ स्टार्ट-अप्स (अनुबंध 1) पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य व्यय प्रतिबद्धताओं के साथ राजकोषीय विवेक को संतुलित

* समीर रंजन बेहरा, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन में कौशिकी सिंह, सक्षम सूद, कीर्ति गुप्ता और नीरज कुमार ने तैयार किया। व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और न कि उस संस्थान के जिससे वे संबंधित हैं। सामान्य अस्वीकरण लागू है। केंद्रीय बजट 2018-19 का पिछला लेख भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, अप्रैल 2018 में प्रकाशित हुआ था।

करना है। आगे जाकर, माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में उच्च राजस्व उछाल अधिक सार्थक राजकोषीय समेकन के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस पृष्ठभूमि के साथ, लेख के बाकी हिस्सों को सात खंडों में विभाजित किया गया है। खंड II में राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन के यात्रा पथ के अनुसार सकल राजकोषीय घाटे के अनुमान पर चर्चा की गई है जबकि खंड III केंद्र सरकार के वित्त की प्राप्ति पक्ष की जांच करता है। खंड IV सरकारी खर्च से संबंधित है और खंड V सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की पद्धति पर प्रकाश डालता है। खंड VI में सरकार की बकाया देनदारियों पर विचार किया गया है और खंड VII केंद्र से राज्यों में संसाधन हस्तांतरण का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। खंड VIII में निष्कर्षों को निरूपित किया गया है।

II. बजटीय राजकोषीय घाटा राजकोषीय समेकन के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है

संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) का ढांचा अनुक्रमित अंशांकन आधारित दो प्रकार के राजकोषीय नियमों अर्थात् राजकोषीय समर्थन और परिचालनगत नियम के इर्द-गिर्द संरचित है। राजकोषीय समर्थन राजकोषीय स्थायित्व सुनिश्चित करता है। सामान्य तौर पर, ऋण-से-जीडीपी अनुपात राजकोषीय समर्थन के रूप में कार्य करता है। राजकोषीय समर्थन से पूर्वानुमेय संबंध को देखते हुए परिचालनगत नियम को अंतिम लक्ष्य से (एयरौद एंड वू, 2015; आईएमएफ, 2018) अंशांकित किया गया है।

सरकार ने परिवर्तित एफआरबीएम के अंतर्गत निर्धारित यात्रा पथ के अनुसार राजकोषीय ऋजुता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया है जो कि - 2020-21 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीएफडी-जीडीपी) से सकल वित्तीय घाटे का (परिचालन लक्ष्य के रूप में) अनुपात लक्ष्य 3.0 प्रतिशत और 2024-25 तक सामान्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए ऋण-जीडीपी की अधिकतम सीमा (राजकोषीय समर्थन के रूप में) क्रमशः 60 और 40 प्रतिशत है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, 2018-19 (अंतिम खातों) में प्राप्त 3.4 प्रतिशत के सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले केंद्रीय बजट 2019-20 में राजकोषीय घाटे को 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत रखा गया है। इसलिए, यह 2018-19 (सारणी 1) की तुलना में मामूली समेकन दर्शाता है। 2012-13 से 2016-17 के दौरान

सारणी 1: प्रमुख संकेतक (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

	2017-18	2018-19			2019-20		2020-21	2021-22
	वास्तविक	बीई	आरई	पीए	बीई (अंतरिम)	बीई (अंतिम)	एमटीएफपी लक्ष्य	
	5 जुला 2019	1 फर 2018	5 जुला 2019	31 मई 2019	1 फर 2019	5 जुला 2019	5 जुला 2019	5 जुला 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. राजकोषीय घाटा	3.5	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.0	3.0
2. राजस्व घाटा	2.6	2.2	2.2	2.3	2.2	2.3	1.9	1.7
3. प्राथमिक घाटा	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0
4. सकल कर राजस्व	11.2	11.9	11.8	10.9	12.1	11.7	11.6	11.6
5. गैर-कर राजस्व	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.4	1.4
6. राजस्व व्यय	11.0	11.3	11.3	10.6	11.6	11.6	-	-
7. पूंजी व्यय	1.5	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	-	-


बीई: बजट अनुमान; आरई: संशोधित अनुमान; पीए: अनंतिम अनुमान; एमटीएफपी: मध्यावधि राजकोषीय नीति

टिप्पणी : किसी वर्ष के मामले में जीडीपी के नवीनतम आंकड़ों का उपयोग करने के सिद्धान्त का अनुसरण करने के हिसाब से, 2018-19 के लिए उपयोग किया गया सांकेतिक जीडीपी वर्ष 2018-19 के लिए अनंतिम अनुमान के अनुरूप है, अर्थात् सीएसओ द्वारा 31 मई 2019 को ₹190 लाख करोड़ जारी किया गया। वर्ष 2019-20 के लिए ₹211 लाख करोड़ सांकेतिक जीडीपी का उपयोग किया गया, जो 5 जुलाई 2019 को संघ के वर्ष 2019-20 के बजट में जारी किया गया। उपर्युक्त के मद्देनजर, इस सारणी में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दर्शाए गए राजकोषीय संकेतक, कभी-कभी केंद्रीय बजट के दस्तावेज में सूचित संकेतकों से मामूली रूप से भिन्न हो सकते हैं।


स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज।

प्राप्त राजकोषीय समेकन की प्रगति की तुलना में, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) 2017-18 (चार्ट 1) के बाद से लगभग समान स्तर पर बना हुआ है तथापि, वास्तविक परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि है 2012-13 के बाद से बजट घाटे के आंकड़े कम हुए हैं।

2019-20 में बजटीय राजकोषीय समेकन का एक प्रमुख कारक उच्च गैर-कर राजस्व है, जो कि 2018-19 (पीए) में 1.3 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 (बीई) में सकल घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत हो गया है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरप्लस ट्रांसफर के बाद आगे भी इसमें वृद्धि तय है।¹



¹ "भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिश" (अध्यक्ष: डॉ. बिमल जालान)।




जीएफडी के विन्यास विश्लेषण से पता चलता है कि राजस्व घाटा 2019-20 में बढ़ने का बजट है और यह 2016-17 के (चार्ट 2) 59 प्रतिशत के मुकाबले उधार लिए गए संसाधनों का 69 प्रतिशत खाली कर देगा।

III. प्राप्ति

अवसंरचना और अन्य निवेश को प्रोत्साहन की आवश्यकता को देखते हुए केंद्रीय बजट 2019-20 में गैर-कर राजस्व और विनिवेश के माध्यम से उच्चतर संसाधनों को

जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि बड़े कारक के रूप में प्रत्यक्ष करों का योगदान बना रहेगा। इसको सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की ओर से अधिक संग्रह द्वारा सहयोग मिलने की अपेक्षा है। इसके अलावा, उपकरणों और अधिभारों से प्राप्त आगम, जो साझा करों के विभाज्य समूह का भाग नहीं हैं, के लिए बजट किया गया है कि वे केंद्र द्वारा 2000-01 में वसूल किए गए सकल कर राजस्व के 3.0 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 15 प्रतिशत हो जाएंगे (चार्ट 3)।



कर राजस्व और कर संग्रह में उछाल

कर संग्रह में उछाल स्व-स्थिरता और विवेकाधीन नीति परिवर्तनों, जो दोनों के प्रभावों को दर्शाता है, राजकोषीय गुजांश के साथ-साथ राजकोषीय समेकन का एक प्रमुख निर्धारक है। 2018-19 में 1.64 की बजटीय कर उछाल का अनुमान था। हालांकि, संशोधित अनुमानों के अनुसार यह घटकर 1.53 रहा, जबकि प्रोविजनल अकाउंट्स (पीए) ने वास्तविक कर उछाल 0.75 रहने का संकेत दिया है जो बजट अनुमान से बहुत कम है। जीएसटी संग्रह में आई कमी से इसे पूरी तरह समझा जा सकता है² 2019-20 के लिए 1.67 की बजटीय कर उछाल न केवल दीर्घावधि औसत (1.02) से अधिक है, बल्कि 2018-19 (पीए) की वास्तविक उछाल के दोगुने से भी अधिक है। (चार्ट 4)


प्रत्यक्ष करों के मोर्चे पर, 2018-19 में 1.17 की वास्तविक उछाल (पीए) की तुलना में 2019-20 में व्यक्तिगत आय कर 1.86 की उच्चतर उछाल का बजटीय अनुमान किया गया। 2019-20 के लिए, कॉर्पोरेट कर उछाल 1.40 का बजट अनुमान किया गया, जो 2018-19 की वास्तविक उछाल (पीए) की तुलना में कम है, फिर भी यह दीर्घावधि औसत से अधिक रहा। अप्रत्यक्ष करों में, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की उछाल

क्रमशः 2.9 और 2.7 का बजटीय अनुमान किया गया था, जो उनके दीर्घावधि औसतों से काफी अधिक है। अंतरिम बजट के सापेक्ष जीएसटी संग्रह नीचे रहने के साथ जीएसटी की बजटीय उछाल अब अधिक यथार्थवादी लग रही है।

प्रत्यक्ष कर


वर्ष 2019-20 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद 6.3 प्रतिशत रहने का बजट-अनुमान है, कॉर्पोरेट कर की दरों में कमी का लाभ अधिक कंपनियों तक पहुंचाने के प्रस्तावित विस्तार के बावजूद 2019-20 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 2018-19 के लिए जीडीपी के 6.0 प्रतिशत (पीए) के वास्तविक अंक से उच्चतर रहने का अनुमान है³ अन्य देशों के साथ कॉर्पोरेट कर का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि भारत में मौजूदा कॉर्पोरेट टैक्स अन्य देशों की तुलना में पहले अपेक्षाकृत कम था लेकिन इस दशक के दौरान यह बढ़ा है। (चार्ट 5)

प्रत्यक्ष कर संग्रह विशेष रूप से चालू दशक के दौरान बेहतर रहा है और परिणामस्वरूप जीडीपी में उनकी हिस्सेदारी 2000-01 के 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 6.0 प्रतिशत (पीए) हो गई है। 2018-19 के 13.5 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि का बजटीय अनुमान है। (पीए) (सारणी 2)



² यदि बजटीय संख्या के सापेक्ष जीएसटी संग्रह में कमी को प्रोविजनल अकाउंट डेटा में वापस जोड़ दिया जाता है, तो उछाल का आंकड़ा 2018-19 के संशोधित अनुमान फॉर्म से बिल्कुल मेल खाता है।

³ बजट में कॉर्पोरेशन कर की कम दर (25 प्रतिशत) का लाभ उन कंपनियों तक बढ़ाया है जिनका वार्षिक कारोबार रु. 400 करोड़ तक है, पहले यह रु. 250 करोड़ तक वार्षिक कारोबार वाले कंपनियों तक लागू था।



प्रत्यक्ष कर का उच्चतर बजटीय अनुमान मुख्य रूप से आयकर संग्रह के उच्चतर बजटीय अनुमान को दर्शाता है जो विशेष रूप से रिटर्न दाखिल करने में सरलीकरण, पैन और आधार के अंतर-विनिमेयता, पूर्व-दर्ज आयकर रिटर्न और चेहेराविहीन ई-आकलन के अलावा अधिभारों में प्रस्तावित वृद्धि के प्रभाव, हालांकि अधिभार प्रस्तावों

में से एक का हाल में उलटफेर किया गया है, आदि उपायों के परिणामस्वरूप सम्भव हुआ है। केंद्रीय बजट में किराया आवास, स्टार्ट-अप, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स (आईएफएससी) जैसे क्षेत्रों के लिए कर राहत के उपाय किए गए हैं।

सारणी 2: केंद्र सरकार का कर राजस्व

	रु. हजार करोड़ में				वृद्धि दर (प्रतिशत)			
	2017-18	2018-19 (आरई)	2018-19 (पीए)	2019-20 (बीई)	2018-19 (आरई)	2018-19 (पीए)	2019-20 (बीई)	
	5 जुला 2019	5 जुला 2019	31 मई 2019	5 जुला 2019	कॉलम 3 ओवर कॉलम 2	कॉलम 4 ओवर कॉलम 2	कॉलम 5 ओवर कॉलम 3	कॉलम 5 ओवर कॉलम 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. प्रत्यक्ष कर	1,002	1,200	1,137	1,335	19.8	13.5	11.3	17.4
जिनमें से :								
i. आय कर	408	518	462	556	26.9	13.1	7.4	20.5
ii. कॉर्पोरेशन कर	571	671	664	766	17.5	16.2	14.2	15.4
2. अप्रत्यक्ष कर	917	1,048	943	1,126	14.3	2.9	7.4	19.4
जिनमें से :								
i. जीएसटी	443	644	582	663	45.5	31.4	3.0	14.1
सीजीएसटी	203	504	458	526	147.9	125.1	4.4	15.0
आईजीएसटी	177	50	29	28	-71.7	-83.6	-44.0	-3.3
मुआवजा कर	63	90	95	109	43.7	51.9	21.5	15.0
ii. सीमा शुल्क	129	130	118	156	0.8	-8.6	19.9	32.2
iii. उत्पाद शुल्क	259	260	231	300	0.1	-11.0	15.6	29.9
3. सकल कर राजस्व (1+2)	1,919	2,248	2,080	2,461	17.2	8.4	9.5	18.3

टिप्पणी : कुछ वृद्धि दर की गणना संबंधित सारणियों के आंकड़ों से तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकती है क्योंकि गणना केंद्रीय बजट दस्तावेजों से लिए गए सटीक आंकड़े पर आधारित हैं।

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज।

अप्रत्यक्ष कर


वर्ष 2019-20 के लिए अप्रत्यक्ष कर संग्रह 2018-19 के 2.9 प्रतिशत की तुलना में 19.4 प्रतिशत तक बढ़ने का (पीए) बजट में अनुमान लगाया गया है। पेट्रोल और डीजल, प्रत्येक पर एक रुपये प्रति लीटर के विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा बुनियादी संरचना सेस में वृद्धि के साथ सोने और अन्य कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने जैसे उपायों के कारण उत्पाद और सीमा शुल्क के तहत उच्चतर संग्रह का बजट में अनुमान लगाया गया है। हालांकि, यह बजट-अनुमान से कम रहा। वर्ष के दौरान लगभग सभी सेक्टरों और वस्तुओं पर जीएसटी दरों की शुरुआती समस्याओं और रेशनालाइजेशन के बावजूद 2017-18 की तुलना में 2018-19 में माल और सेवा कर (जीएसटी) के संग्रह में बढ़ोतरी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावी जीएसटी दर कम हुई। इसे ध्यान में रखकर जीएसटी संग्रह रु. 663 हजार करोड़ का बजट अनुमान किया गया, जो 01 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट में घोषित रु. 761 हजार करोड़ से कम है। 2017-18 और 2018-19 के जीएसटी संग्रह के साथ 2016-17 के एक जैसे बकेट के करों पर हुए संग्रह की तुलना करने पर पता चलता है कि कुल राजस्व और गैर-कर्ज पूंजी प्राप्तियों के प्रतिशत के हिसाब से जीएसटी संग्रह की हिस्सेदारी में मामूली

सुधार हुआ है, जबकि प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी में अधिकतम सुधार (चार्ट 6 ए) देखा गया है। बहरहाल, हाल के महीनों में हुए माह-वार जीएसटी संग्रह सांकेतिक जीडीपी वृद्धि (चार्ट 6 बी) में मंदी के प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि, जीएसटी ढाँचा में महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता होती है और आईटी संबंधित कठिनाइयों जैसे, सिस्टम डिजाइन की कमियों को ठीक करने के साथ-साथ एक इनवॉइस मैचिंग सिस्टम लगाने और जीएसटी प्रक्रिया में सरलीकरण का प्रस्ताव दिया गया है ताकि इस परिवर्तनकारी कर सुधार का पूरा लाभ उठाया जा सके। (सीएस.2019)

कर से इतर राजस्व

अतीत की प्रवृत्ति से निकलकर अब कर से इतर राजस्व प्राप्तियों ने राजस्व आवश्यकताओं को पूरा करने में, खासकर पिछले दो वर्षों के दौरान, मदद की हैं। इस प्रवृत्ति के चलते, 2019-20 में कर से इतर राजस्व से प्राप्तियां का पिछले वर्ष की 27.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 27.2 प्रतिशत वृद्धि का बजट अनुमान किया गया। 2019-20 में आरबीआई / बैंकों / वित्तीय संस्थानों (एफआई) से अधिशेष हस्तांतरण (सारणी 3) में रु. 32 हजार करोड़ की वृद्धि के लिए बजटीय अनुमान है। यदि आरबीआई से अधिशेष हस्तांतरण और अधिक होता है, तो यह आगे बढ़ सकता है।⁴

चार्ट 6: जीएसटी संग्रहण के रुझान



⁴ "भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट" (अध्यक्ष डॉ. बिमल जालान) की सिफारिशें।

सारणी 3: लाभांश और लाभ

	रु. हजार करोड़ में			वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2017-18	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)	2017-18	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7
लाभांश और लाभ	91	119	164	-25.7	30.5	37.1
पीएसई से	46	45	57	-10.3	-3.0	27.4
आरबीआई/ बैंक/एफआई से	45	74	106	-37.0	65.3	43.0

पीएसई : सरकारी क्षेत्र के उद्यम; एफआई : वित्तीय संस्थाएं
स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज।

गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियाँ


गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियाँ भी हाल के वर्षों में राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं। विनिवेश के लिए लक्ष्य, जिसे 2018-19 (बीई) में ₹80 हजार करोड़ नियत किया गया था, उसे 2018-19(पीए) में ₹5,045 करोड़ तक बढ़ाया गया है। इस विनिवेश अभियान को जारी रखते हुए, केंद्रीय बजट का उद्देश्य रणनीतिक बिक्री पर विशेष जोर देने के साथ विनिवेश से पर्याप्त मात्रा में संसाधन जुटाना है। नतीजतन, 2019-20 (बीई) के लिए विनिवेश का लक्ष्य ₹105 हजार करोड़ निर्धारित किया गया है।

IV. व्यय पद्धति और प्राथमिकताएँ

विगत दशक में, विशेषकर 2015-16 से, मुख्य रूप से उज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के नेतृत्व में, राज्यों पर खर्च करने के दबाव के कारण सामान्य सरकारी व्यय बढ़ते रहने के बावजूद जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र का व्यय घट रहा था। वर्ष 2019-20 के लिए, यदि बजटीय व्यय की उगाही की जाती है तो 13.2 प्रतिशत पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र का कुल व्यय विगत दस वर्षों में पहली बार वृद्धि दर्ज करेगी। पूंजीगत व्यय की तुलना में अधिक दर पर वृद्धि के लिए राजस्व व्यय का बजट किया गया है जो सरकार की ग्रामीण केन्द्रित और कई केंद्रीय क्षेत्र / केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अनुरूप कृषि क्षेत्र के लिए अधिक आबंटन को दर्शाता है (सारणी 4)।

प्रति व्यक्ति आय के सापेक्ष सामान्य सरकारी व्यय के अंतर्देशीय विश्लेषण से पता चलता है कि उच्च आय वाले देशों में अपने जीडीपी के हिस्से के रूप में बड़े सरकारी व्यय होते हैं, और यह सामाजिक संरक्षण पर अधिक केंद्रित है (ऑर्टिज़-ऑस्पिना और रोज़र, 2019)⁵। अपने उभरते बाजार वाले समकक्ष देशों की तुलना में, भारत अपनी प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अपेक्षाकृत

चार्ट 7: विनिवेश प्राप्तियाँ : बजट निर्धारित की तुलना में प्राप्त



⁵ यह सहसंबंध इस तथ्य के कारण हो सकता है कि उच्च आय वाले देशों में अपेक्षाकृत अधिक कुशल कर संग्रह प्रणाली है, जो उनकी कर संग्रह क्षमता (ऑर्टिज़-ऑस्पिना और रोज़र, 2019) को बढ़ाती है।

सारणी 4: केंद्र सरकार का व्यय


Item	रु. हजार करोड़ में				वृद्धि दर (प्रतिशत)			
	2017-18	2018-19 (आरई)	2018-19 (पीए)	2019-20 (बीई)	2018-19 (आरई)	2018-19 (पीए)	2019-20 (बीई)	
	5 जुला 2019	5 जुला 2019	31 मई 2019	5 जुला 2019	कॉलम 3 ओवर कॉलम 2	कॉलम 4 ओवर कॉलम 2	कॉलम 5 ओवर कॉलम 3	कॉलम 5 ओवर कॉलम 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. कुल व्यय	2,142	2,457	2,311	2,786	14.7	7.9	13.4	20.5
2. राजस्व व्यय (जिनमें से)	1,879	2,141	2,009	2,448	13.9	6.9	14.3	21.9
(i) ब्याज का भुगतान	529	588	583	661	11.1	10.2	12.4	13.4
(ii) प्रमुख सब्सिडी	191	266	197	302	39.2	3.1	13.3	53.1
खाद्य	100	171	102	184	70.8	1.6	7.5	80.8
उर्वरक	67	70	71	80	5.4	6.2	14.1	13.3
पेट्रोलियम	25	25	25	38	1.5	0.4	50.9	52.6
(iii) एमजीएनआरईजीए	55	61	-	60	10.7	-	-1.8	-
(iv) पीएम-केआईएसएएन	-	20	-	75	-	-	275.0	-
(v) रक्षा (राजस्व)	186	191	196	202	2.8	5.3	5.5	3.0
3. पूंजी व्यय	263	317	303	339	20.3	15.1	6.9	11.8

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज।

अधिक खर्च करता है, हालांकि यह अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में कम है (चार्ट 8)। कुछ उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में व्यय से जुड़े राजकोषीय नियम भी हैं, जिसमें व्यय - जीडीपी अनुपात की उच्चतम सीमा निर्धारित है जो जीडीपी का 30 से 40 प्रतिशत की सीमा में होता है (आईएमएफ, 2018)⁶।

केंद्र का कुल खर्च वर्ष 2018-19 (पीए) में दर्ज 7.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2019-20 में 20.5 प्रतिशत तक (₹27.9 लाख करोड़ तक) बढ़ने का बजट किया गया है। पूंजीगत व्यय की तुलना में अधिक दर पर वृद्धि के लिए, मुख्यतः पिछले वर्ष कृषि क्षेत्र के लिए 26.8 प्रतिशत तक

चार्ट 8: सामान्य सरकार व्यय – अंतर-देशीय तुलना



⁶ भारत के लिए कुल सरकारी खर्च समय के साथ स्थिर रहा है - यह 2018-19 में जीडीपी के 28.2 प्रतिशत पर रहा, जो कि औसत स्तर 1980-2018 (27.5 प्रतिशत) से अधिक है।

अधिक आवंटन के कारण, राजस्व व्यय का बजट किया गया है। ऐसा करने के दो प्रयोजन हैं – एक ओर ग्रामीण संकट को कम करना और दूसरी ओर ग्रामीण खपत मांग को बढ़ावा देना। इससे संबंधित उपायों में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शामिल है जिसके तहत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की दर से आय मदद का दायरा बढ़ाकर सभी किसानों के लिए कर दिया गया है। देश में भौतिक और सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), आयुष्मान भारत तथा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनईएम) के लिए भी अधिक आवंटन किए गए हैं (सारणी 5)।

यह उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के खर्च करने के तरीके का झुकाव राजस्व व्यय की ओर अधिक है जो अधोमुखी कठोरता को दर्शाता है। पिछले पंद्रह वर्षों में से तेरह वर्षों में, राजस्व व्यय का हिस्सा कुल व्यय के 85 प्रतिशत से अधिक रहा है। 2019-20 में, राजस्व व्यय के हिस्से के प्रति कुल का 87.8 प्रतिशत बजट किया गया है। इससे पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की

संभावनाएँ सीमित रह जाती है जिसका निजी निवेश के अंतर्गमन से विकास(ग्रोथ) की बढ़ोत्तरी में राजस्व व्यय की तुलना में कई गुना अधिक प्रभाव पड़ने का अनुमान है (आरबीआई, 2019)। वर्ष 2018-19 (पीए) में उच्च पूंजीगत व्यय विकास(ग्रोथ) एवं राजस्व व्यय में कमी के कारण राजस्व – पूंजीगत व्यय अनुपात में कुछ सुधार हुआ (चार्ट 9)।

सब्सिडी और ब्याज का भुगतान


सरकार के राजस्व व्यय के 40 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा सब्सिडी और ब्याज के भुगतान के लिए होता है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 (पीए) में, यद्यपि प्रमुख सब्सिडी पर वास्तव में जितना व्यय किया गया वह बजट अनुमान से कम था लेकिन फिर भी वर्ष 2019-20 में पिछले वर्ष के अनुरूप उसका बजट अधिक रखा गया (सारणी 4)। सरकार का लक्ष्य बेहतर योजनाबद्ध तरीके से, दुरुपयोग को रोकने के लिए, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली द्वारा मध्यम अवधि में सब्सिडियों पर इसके व्यय में कटौती करना है।

सारणी 5: सरकार की प्रमुख योजनाओं पर व्यय


मद	रु. हजार करोड़ में			कुल व्यय में प्रतिशत		वृद्धि दर (प्रतिशत)	
	2017-18	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8
ए. केंद्र क्षेत्र की योजनाएं							
1. पीएम-केआईएसएएन	–	20	75	0.81	2.69	–	275.0
2. प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन	–	0	0.5	0.00	0.02	–	–
3. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	5	3.8	4.1	0.15	0.15	-24.8	7.0
4. उज्ज्वल योजना	2.3	3.2	2.7	0.13	0.10	42.1	-14.9
5. सड़क कार्य	36.8	40.9	45.9	1.66	1.65	11.0	12.2
6. सागरमाला	0.5	0.4	0.6	0.02	0.02	-20.5	44.3
7. राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	0.7	1.6	1.2	0.07	0.04	124.0	-24.7
बी. केंद्र प्रायोजित योजनाएं							
1. एमजीएनआरईजीए	55.2	61.1	60.0	2.49	2.15	10.7	-1.8
2. आयुष्मान भारत	–	2.4	6.4	0.10	0.23	–	166.7
3. पीएम कृषि सिंचाई योजना	6.6	8.3	9.7	0.34	0.35	24.8	17.3
4. पीएम ग्राम सड़क योजना	16.9	15.5	19.0	0.63	0.68	-8.1	22.6
5. पीएम आवास योजना	31.2	26.4	25.9	1.07	0.93	-15.3	-2.1
6. स्वच्छ भारत मिशन	19.4	17.0	12.6	0.69	0.45	-12.6	-25.5
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	32.0	31.2	33.7	1.27	1.21	-2.5	7.9
8. राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	29.5	32.3	38.5	1.32	1.38	9.8	19.2

-: लागू नहीं।

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज।




खाद्य सब्सिडी पर किए गए व्यय के विश्लेषण से पता चलता है कि 2016-17 से पहले, खाद्य सब्सिडी पर वास्तविक व्यय बजटीय राशि से लगातार अधिक था। तथापि, 2016-17 से यह पद्धति उलटी हो गई है (चार्ट 10)। पिछले तीन वर्षों में बजटीय राशि की तुलना में खाद्य सब्सिडी पर यह न्यूनतम व्यय भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) से बतौर मदद उधार को दर्शाता है (चार्ट 11)।



पूंजीगत व्यय

वर्ष 2018-19 (पीए) के दौरान 15.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, वर्ष 2019-20 में 11.8 प्रतिशत तक और बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय का बजट किया गया। तथापि, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, यह जीडीपी का 1.6 प्रतिशत ही है। वर्ष 2019-20 (बीई) में रक्षा के लिए पूंजीगत व्यय का बजट 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के साथ ₹103 हजार करोड़ तक किया गया है। प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए, पूंजीगत व्यय में 2018-19 (आरई) में लगभग 23.9



सारणी 6: पूंजी व्यय

	रु. हजार करोड़ में				वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2016-17	2017-18	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)	2017-18	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. कुल पूंजी व्यय	285	263	317	339	-7.5	20.3	6.9
2. रक्षा	86	90	94	103	4.7	3.9	10.0
3. पूंजी व्यय (रक्षा को छोड़कर)	198	173	223	235	-12.9	28.9	5.6
(i) प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर सिंचाई	102	108	134	146	5.8	23.9	8.8
ऊर्जा	0.1	0.3	0.3	0.3	236.7	3.9	9.4
भारतीय रेल	7	5	9	7	-32.5	94.3	-25.4
सड़कें और पुल	45	43	53	66	-4.0	22.2	24.1
नागर विमानन	44	54	64	68	22.3	20.0	6.0
बंदरगाहों और लाइट हाउस	3	2	4	0.03	-32.2	117.8	-99.4
संचार	0.3	0.2	0.2	0.3	-45.8	4.1	42.6
(ii) उद्योग और खनीज	3	5	4	5	29.6	-19.8	37.3
(iii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	6	5	5	6	-16.7	-4.9	28.1
(iv) अन्य	5	5	7	9	2.6	34.2	20.5
	84	54	76	74	-36.2	41.7	-2.9

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज।


प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के सापेक्ष 2019-20(बीई) में रेल, जिसे बाजार उधार लेने और परिसंपत्ति मुद्रीकरण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, के नेतृत्व में मामूली रूप से 8.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। अन्य क्षेत्रों जिनमें वृद्धि देखी गई वे सड़क एवं पुल, संचार एवं सिंचाई हैं (सारणी 6)।

अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर)

केंद्रीय बजट (सकल बजटीय सहायता) से किए गए पूंजीगत खर्च के अतिरिक्त, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

(सीपीएसयू) और वाणिज्यिक विभागीय उपक्रमों आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईबीआर) के रूप में प्रसिद्ध अपने स्रोतों से पूंजीगत व्यय की काफी राशि वहन करते हैं। जबकि आईबीआर के जरिए पूंजीगत खर्च की पूर्ववर्ती राशि वर्ष 2014-15 से सकल बजटीय सहायता से कम रही, अब यह प्रवृत्ति बदल गई है जहां सीपीएसयू द्वारा पूंजीगत खर्च उस राशि से अधिक हो गया है जिसका पूंजीगत व्यय में बजट अनुमान किया गया था। (चार्ट 12)

चार्ट 12: पूंजी खर्च – आईबीआर की तुलना में जीबीएस



इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा समग्र पूंजी व्यय के संपूर्ण दृष्टिकोण में सीपीएसयू द्वारा विशेषकर ईबीआर के माध्यम से पूंजीगत खर्च शामिल होना चाहिए (बॉक्स 1)।

V. जीएफडी वित्तपोषण – प्रमुख स्रोत

सकल बाजार उधार जो वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत है, के लिए वर्ष 2019-20 में रु. 710 हजार करोड़ का बजट प्रावधान

किया गया है जो पिछले वर्ष के स्तर से 24.3 प्रतिशत अधिक है। तथापि, इस अवधि के दौरान निवल बाजार उधार जो रु.473 हजार करोड़ है, से 11.9 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से निवल उधार वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) में जीएफडी के 66.6 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 (बजट अनुमान) में जीएफडी का 67.2 प्रतिशत कवर करेगा (सारणी 7)।


बॉक्स 1: भारत सरकार के पूर्ण भुगतान वाले बॉन्डों के जरिए जुटाए गए अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर)

पिछले तीन वर्षों में, कुछ सीपीएसयू ने भारत सरकार के पूर्ण भुगतान वाले बॉन्ड जारी करके बाजार से संसाधन जुटाए हैं जिसके लिए मूलधन और ब्याज दोनों की अदायगी बजट से की जानी है (चार्ट 1.1)। अंतरिम बजट 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, 5 जुलाई 2019 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2019-20 से ईबीआर के बजट प्रावधान के लिए एक व्यवस्था परिचालित की गई है। मार्च 2019 के समाप्त होने तक, ईबीआर खाते पर कुल बकाया देयताएं जीडीपी की 0.5 प्रतिशत थीं और मार्च 2019 के समाप्त होने तक ये जीडीपी के 0.7 प्रतिशत होने का बजट प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य ईबीआर स्टॉक में अभिवृद्धि को पांच वर्षों के समय में शून्य तक करने का है।

कुछ सरकारी योजनाएं जिनके लिए अभी तक ईबीआर से प्राप्य-राशि का उपयोग किया गया है, उनमें प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) अन्य के बीच शामिल हैं। वर्ष 2016-


19 के दौरान ईबीआर के जरिए जुटाई गई निधियों के उपयोग की क्षेत्रकीय हिस्सेदारी दर्शाती है कि अधिकांश राशि विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं (32 प्रतिशत) के लिए जुटाई गई, इसके बाद ग्रामीण विकास परियोजनाएं (30 प्रतिशत), आवास (23 प्रतिशत), जल संसाधन (12 प्रतिशत), नवीकरणीय ऊर्जा (2 प्रतिशत) और शिपिंग (1 प्रतिशत) (चार्ट 1.2) की हिस्सेदारी रही। ईबीआर मार्ग के जरिए लिए गए उधार का संस्था-वार ब्यौरा दर्शाता है कि शीर्ष तीन उधारकर्ता जैसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जिसने ग्रामीण विकास और सिंचाई परियोजनाओं के लिए उधार लिया है, इसके बाद आवास परियोजनाओं के लिए आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) तथा विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ने उधार लिया है। केंद्रीय बजट 2019-20 के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में ईबीआर पर सूचना जारी करने से भारत में उल्लेखनीय रूप से राजकोषीय पारदर्शिता में संवृद्धि हुई।

चार्ट 1.1: जीओआई-एफएसबी के जरिए जुटाए गए धन



स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज और ब्लूमबर्ग।

चार्ट 1.2: जीओआई-एफएसबी के उपयोग का क्षेत्रवार हिस्सा



सारणी 7: जीएफडी वित्तपोषण

(रु. हजार करोड़ में राशि)

मद	2017-18 वास्तविक	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)
1	2	3	4
सकल राजकोषीय घाटा	591 (100.0)	634 (100.0)	704 (100.0)
<i>द्वारा वित्तपोषित</i>			
निवल बाजार उधार	451 (76.3)	423 (66.6)	473 (67.2)
निवल खजाना बिल	45 (7.6)	25 (3.9)	25 (3.6)
एनएसएसएफ	103 (17.4)	125 (19.7)	130 (18.5)
बाह्य सहायता	8 (1.3)	-5 (-0.8)	-3 (-0.4)
राज्य भविष्य निधि	16 (2.7)	17 (2.7)	18 (2.6)
आरक्षित निधि	18 (3.1)	-15 (-2.3)	-0.9 (-0.1)
जमाएं एवं अग्रिम	25 (4.3)	16 (2.5)	14 (1.9)
नकदी शेष में आहरण द्वारा कमी	4 (0.7)	41 (6.5)	51 (7.3)
अन्य	-79 (-13.3)	7 (1.1)	-3 (-0.5)

टिप्पणी : 1. निवल बाजार उधार में केवल दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से लिए गए उधार शामिल हैं।
2. निवल खजाना बिलों में 91-दिन, 182-दिन, 364-दिन एवं अन्य सभी खजाना बिलों के माध्यम से लिए गए उधार शामिल हैं।
3. अन्य में प्रतिभूतियों की पुनः खरीद, प्रतिभूतियों की अदला-बदली, बचत बांड तथा राहत बांड इत्यादि शामिल हैं।
4. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जीएफडी में प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज।


केंद्रीय बजट में भी प्रतिभूतियों के स्विक (सकल) और पुनर्खरीद (बायबैक) के लिए ₹ 50 हजार करोड़ प्रति के लिए प्रावधान किया गया है। नकदी प्रबंध परिचालनों के लिए ₹ 1 लाख करोड़ के नकदी प्रबंध बिलों (सीएमबी) के सकल निर्गम के लिए भी प्रावधान किया गया है। तथापि, सीएमबी का कोई निवल निर्गम नहीं हुआ है तथा बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत 2019-20 (बजट अनुमान) के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया है।

VI. बकाया देयताएं

राजकोषीय नियम का एक महत्वपूर्ण घटक-जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सामान्य सरकारी बकाया दर्शाता है कि 68.4⁷ प्रतिशत पर भारत का जीडीपी की तुलना में कर्ज अनुपात वर्ष 2017-18 में कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं से उच्चतर था (चार्ट 13)। तथापि, भारत का सार्वजनिक कर्ज मुख्य रूप से रुपया में मूल्यवर्गांकित है

⁷ आंकड़े 27 राज्यों के बजट से संबंधित हैं।

चार्ट 13: ईएमई की तुलना में भारत की बकाया देयताओं की स्थिति (2017)




स्रोत : आईएमएफ फिस्कल मॉनिटर (अप्रैल 2019) और आरबीआई।

और यह तुलनात्मक रूप से लंबी परिपक्वता का भी है। सांकेतिक जीडीपी की वृद्धि दर भी केंद्रीय सरकार की देयताओं की वृद्धि से अधिक है जो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र की बकाया देयताओं की कम होती प्रवृत्ति में योगदान दे रही है (चार्ट 14)।

केंद्र सरकार की जीडीपी की तुलना में देयता अनुपात वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) के 49.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में 48.6 प्रतिशत और 2021-22 में 44.4 प्रतिशत होने का बजट अनुमान लगाया गया है (सारणी 8)। यह नोट

चार्ट 14: बकाया देयताओं और जीडीपी में वृद्धि



स्रोत : आरबीआई।

सारणी 8: बकाया देयताएं

जीडीपी में प्रतिशत

	केंद्र सरकार के कर्ज	जिनमें से ईबीआर*
2017-18	49.7	0.1
2018-19 (आरई)	49.4	0.5
2019-20 (बीई)	48.6	0.7
2020-21 पी	46.2	0.8
2021-22 पी	44.4	0.9


*: लक्ष्य यह है कि ईबीआर स्टॉक में अभिवृद्धि को पांच वर्षों की अवधि में कम करते हुए शून्य करना है।

टिप्पणी : पी का मतलब अनुमानित है; ईबीआर का मतलब अतिरिक्त-बजटीय संसाधन है।

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज; आरबीआई।

किया जाए कि राजकोषीय घाटे के अंकों से भिन्न, कर्ज अनुमान 2019-20 के लिए अंतरिम बजट में दिए गए अनुमान और वर्ष 2018-19 के बजट में मध्यावधि राजकोषीय नीति वक्तव्य (एमटीएफपी) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक है। केंद्रीय बजट में एमटीएफपी में अतिरिक्त बजटीय देयताओं को स्पष्ट रूप से दिखाकर राजकोषीय पारदर्शिता बढ़ाने की ओर मुख्य कदम उठाया गया है, अतिरिक्त बजटीय देयताएं वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) के 0.7 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 तक जीडीपी का 0.9 प्रतिशत होने की संभावना है। राजस्व प्राप्ति के अनुपात में ब्याज भुगतान (जो कर्ज चुकाने की क्षमता का सूचक है) जिसमें 2018-19 (पीए) में वृद्धि देखी गई, में वर्ष 2019-20 में थोड़ा सुधार होने का बजट अनुमान लगाया गया है (चार्ट 15)।

चार्ट 15: केंद्र सरकार का कर्ज और उस पर ब्याज का बोझ




स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज।

VII. 2019-20 में केंद्र से राज्यों को संसाधन अंतरण


जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र से राज्यों को सकल अंतरण वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में लगभग 30 आधार अंकों तक कम होने की संभावना है जो मुख्य रूप से करों के विभाज्य पूल के लिए अनुमानित धीमी वृद्धि के कारण हुआ (चार्ट 16 क और ख)।⁸ विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित

चार्ट 16: राज्यों को संसाधन अंतरण




टिप्पणी : विविध करों में संघ उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा कतिपय समायोजन शामिल हैं।

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज।



⁸ यह नोट किया जाए कि केंद्रीय बजट में किए गए बजट अनुमानों में सकल अंतरणों (केंद्र से राज्य) और सभी राज्यों के राज्य बजट में अनुमानित अंतरण में बेमेलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बेमेलता पिछले तीन वर्षों में उत्पन्न हुई है जिसका कारण जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकरण की रिपोर्टिंग और अन्य जीएसटी से संबंधित मुद्दों में अनिश्चितता हो सकती है।



योजनाओं तथा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा विशेष प्रयोजन अंतरण जो कुल अंतरण का एक-चौथाई है, पिछले वर्ष में दर्ज की गई 13 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले वर्ष 2019-20 में 6.4 प्रतिशत तक कम हो सकता है (अनुलग्नक 2)।

XIV वित्त आयोग (XIV एफसी) के प्रभावी समय क्षितिज का अंतिम वर्ष 2019-20 का होना, 2019-20 में सकल अंतरण में धीमी वृद्धि का कारण हो सकता है। पिछले चार वित्त आयोगों (XIII एफसी को छोड़कर) में सकल अंतरणों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि से पता चलता है कि पांचवें वर्ष के अंत तक कुछ मंदी आ जाती है (चार्ट 17)।

VIII. अंतिम निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2019-20 ने भौतिक मूलभूत सुविधाएं निर्मित करना, सामाजिक सेवाओं में सुधार, अर्थव्यवस्था को डिजिटलाइस करना, एमएसएमई और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना और भारत को स्वस्थ, हरा तथा स्वच्छ करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण के साथ केंद्रीय बजट में घोषित वित्तीय क्षेत्र सुधारों से अर्थव्यवस्था में समग्र ऋण संवृद्धि

को बढ़ावा मिल सकेगा। बजट में निवेश और मूलभूत सुविधाओं को सहायता देना एक स्वागत योग्य कदम है जिस से संवृद्धि और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर विशेष ध्यान रखते हुए हाल ही में अगस्त 2019 में घोषित कतिपय उपायों से, कर लगाने संबंधी उपायों के साथ-साथ ऑटो और मूलभूत सुविधाएं अर्थव्यवस्था की संवृद्धि गति को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकती है (अनुबंध 3)। संवृद्धि के दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले चुनौतीपूर्ण घरेलू और वैश्विक वातावरण के बावजूद सरकार ने 2019-20 में एफ़आरबीएम ग्लाइड पाथ के अनुसार राजकोषीय समेकन के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।

संदर्भ:

Comptroller and Auditor General (2019). "Report of the Comptroller and Auditor General of India on Indirect Taxes – Goods and Services Tax for the year ended March 2018", Report No. 11 of 2019, July

Esteban, Ortiz-Ospina and Max Roser (2019). "Government Spending". *Published online at OurWorldInData.org*. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/government-spending'

Eyraud, L., and T. Wu. (2015), "Playing by the Rules: Reforming Fiscal Governance in Europe", *IMF Working Paper* 15/67, International Monetary Fund, Washington, DC

International Monetary Fund (IMF) (2018), "How to Calibrate Fiscal Rules A primer", Fiscal Affairs Department (FAD) How-To Notes, March

International Monetary Fund (IMF) (2019), *Fiscal Monitor*, April

Report of the Twelfth Finance Commission

Reserve Bank of India (2019). "Estimable Fiscal Multipliers for India", Box III.1, Chapter III – Demand and Output, *Monetary Policy Report*, April

Union Budget Documents, *various issues*

अनुबंध 1

केंद्रीय बजट 2019-20 : प्रमुख उपाय

भारतीय रिज़र्व बैंक से संबंधित उपाय

1. गैर – बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर रिज़र्व बैंक की मजबूत नियामक शक्तियाँ ।
2. आवास वित्त क्षेत्र का विनियमन राष्ट्रीय आवास बैंक से लेकर रिज़र्व बैंक को सौंपा गया है।
3. व्यापार बढ़ा दर (एमडीआर) का उन्मूलन : जनता द्वारा ऐसे डिजिटल भुगतानों को अपनाने से कम मात्रा में प्राप्त नकदी से जो उपचित बचत होगी उससे डिजिटल लेन-देन पर आरबीआई और बैंकों को प्रभार लेने होंगे।
4. अनिवासी भारतीय (एनआरआई) को भारतीय ईक्विटी के लिए निर्बाध पहुँच उपलब्ध कराने के लिए विदेशी निवेश संविभाग मार्ग को एनआरआई निवेश संविभाग योजना के साथ विलयन करना ।
5. खुदरा निवेशकों को सरकार द्वारा जारी खज़ाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश कराने के लिए आरबीआई जमाकर्ताओं तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) जमाकर्ताओं की अंतर- परिचालयनीयता की आवश्यकता होगी। आरबीआई और जमाकर्ता खाताबहियों के बीच निर्बाध रूप से खज़ाना बिलों और सरकारी प्रतिभूतियों का अंतरण लाने के लिए सरकार आरबीआई और सेबी के साथ विचार-विमर्श करके इस संबंध में आवश्यक उपाय करेगी।
6. वर्ष 2019-20 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पुनः पूंजीकरण बांड को जारी कर के पूंजी लगाने के लिए ₹70,000 करोड़ का प्रावधान करना ।
7. कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियों में कॉर्पोरेट त्रिपक्षीय रिपो बाज़ार को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सरकार, विनियामकों आरबीआई/सेबी के साथ कार्य करेगा ताकि विभिन्न शेयर बाज़ार एए रेटेड बाँड़ों को संपार्श्विक के रूप उपयोग करने हेतु अनुमति दे सके।
8. मूलभूत सुविधा वित्तपोषण हेतु पूंजी के स्रोत में वृद्धि लाने के लिए कतिपय उपाय प्रस्तावित हैं। अन्य उपायों के अतिरिक्त, एक ऋण गारंटी वर्धन निगम (सीजीईसी),

जिसके लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमन अधिसूचित किए गए हैं, वर्ष 2019-20 में स्थापित किया जाएगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

1. नवनिर्मित जल शक्ति मंत्रालय राज्यों के साथ कार्य करेगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति की गई है।
2. किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट ने नवीन किसान उत्पाद संघ (एफपीओ) निर्मित करने, अधिक से अधिक किसानों को ई-नाम (ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार- ऑनलाइन कृषि व्यापार मंच) के लाभों का विस्तार तथा शून्य बजट खेती की आवश्यकता को पहचाना है।
3. एक केंद्रित योजना लॉच करें – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना(पीएमएमएसवाई)- एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा स्थापित करना।

उद्योग

1. पुराने और अक्षम प्लांटों की निवृत्ति तथा नैचुरल गैस की कमी के कारण गैस संयंत्र की क्षमता के कम उपयोग पर उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) की सिफ़ारिशों पर कार्यान्वयन के लिए विचार किया जाएगा।
2. ट्रेक का विकास और समापन ,रोलिंग स्टॉक विनिर्माण तथा यात्री भाड़ा सेवाएं प्रदान करना जैसी रेल मूलभूत सुविधाएं विकसित करने हेतु सरकारी-निजी भागीदारी ।
3. जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना : वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 350 करोड़ आबंटित।
4. एमएसएमई के आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को सरकारी भुगतानों में विलंब पर ध्यान देने हेतु एमएसएमई संबंधी बिल फाइलिंग के लिए एक भुगतान मंच निर्मित करना।

बाह्य क्षेत्र

1. एफडीआई के उदारीकरण हेतु उपाय : बीमा बिचौलियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा को 100 प्रतिशत तक बढ़ाना; इसके अलावा विमानन, मीडिया, एनीमेशन

और बीमा में सभी हितधारकों के परामर्श से एफडीआई खोलना ; तथा एकल-ब्रांड खुदरा क्षेत्र के लिए एफडीआई के लिए स्थानीय स्रोत मानदंडों को आसान बनाना ।

2. "भारत में शिक्षण" योजना प्रारंभ करना ।
3. विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों द्वारा शाखाएं खोलने के लिए निवल स्वाधिकृत निधि अपेक्षाओं में कमी ।
4. सरकार को बाह्य बाजारों में बाह्य मुद्राओं में अपने सकल उधार कार्यक्रम के एक भाग को बढ़ाना होगा ।

वित्तीय बाजार

1. सार्वजनिक शेयरधारिता की 25 प्रतिशत की वर्तमान सीमा को 35 प्रतिशत तक बढ़ाना ।
2. कुल ₹ 1 लाख करोड़ राशि की एनबीएफसी के उच्च श्रेणी परिसंपत्तियों को खरीदने हेतु अल्पावधि आंशिक ऋण गारंटी मुहैया कराने का प्रस्ताव देकर एनबीएफसी क्षेत्र में चलनिधि संकट को कम करना ।
3. विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) और एनआरआई को स्थावर संपदा निवेश न्यासों(आरईआईटी) तथा मूलभूत निवेश न्यासों(आईएनवीआईटी) के सूचीबद्ध ऋण कागजातों को स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करना ।
4. विकल्पों के प्रयोग के मामले में निपटान और नियत भाव के बीच अंतर पर प्रतिभूति लेन- देन कर(एसटीटी) लगाने पर प्रतिबंध लगाना ।

5. सेबी की विनियामक परिधि के अंतर्गत सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों – एक सामाजिक शेयर बाजार- को सूचीबद्ध करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक निधि-निर्माण मंच निर्मित करना ।

कर संबंधी उपाय

1. व्यक्तियों के लिए:
 - ए. इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए लिया गया ऋण तथा मकान खरीदने के लिए लिया गया ऋण (₹45 लाख तक के मूल्य वाले) पर प्रदत्त ब्याज पर ₹1.5 लाख का अतिरिक्त आय कर की कटौती के साथ ₹ 5 लाख तक की आय के लिए कर की छूट ।
 - बी. ऐसे व्यक्ति जिनकी कर- योग्य आय ₹2 करोड़ से ₹5 करोड़ और ₹5 करोड़ और उस से अधिक हो पर अधिभार बढ़ाना ताकि इन दो वर्गों के लिए प्रभावी कर दरें क्रमशः लगभग 3 प्रतिशत और 7 प्रतिशत तक बढ़ेंगी ।
 - सी. किसी व्यक्ति द्वारा उनके बैंक खाते से एक वर्ष में ₹ 1 करोड़ से अधिक नकद आहरण पर 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर काटा गया कर ।
 - डी. पैन धारित न करने वाले व्यक्तियों को केवल अपने आधार संख्या देकर आय कर विवरणी फाइल करने की अनुमति देना ।
2. कॉर्पोरेट के लिए: ₹400 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत का निम्न कर दर उपलब्ध करना जो कि कंपनियों का 99.3 प्रतिशत कवर करेगा ।

अनुबंध II
2019-20 में केंद्र से राज्यों को संसाधनों का अंतरण

	2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20
		(आरई)	(बीई)		(आरई)	(बीई)		(आरई)	(बीई)
	₹ हजार करोड़			सकल अंतरणों में हिस्सेदारी			वृद्धि दर		
I. करों में राज्यों की हिस्सेदारी का हस्तांतरण	673	761	809	62.0	61.1	60.9	10.7	13.1	6.3
II. अंतरण की कुछ महत्वपूर्ण मदें	37	56	55	3.4	4.5	4.1	-22.5	49.2	-1.8
क. बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ - ऋण	18	24	20	1.6	1.9	1.5	-1.5	36.0	-17.1
ख. विशेष सहायता	7	14	15	0.6	1.1	1.1	-36.2	94.2	11.1
III. वित्त आयोग अनुदान	92	106	120	8.5	8.5	9.1	-3.5	15.1	13.5
क. ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	34	43	53	3.2	3.4	4.0	9.8	24.3	22.8
ख. शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	13	19	23	1.2	1.5	1.8	-13.1	49.9	23.7
ग. उत्तर न्यायगमन राजस्व घाटा अनुदान	36	35	34	3.3	2.8	2.6	-13.3	-3.5	-1.1
IV. राज्यों को कुल अंतरण (II) + (III) के अलावा)	279	315	335	25.7	25.3	25.2	21.8	13.0	6.4
क. केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत (राजस्व)	262	277	292	24.1	22.3	22.0	16.0	5.9	5.3
ख. केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत	16	37	42	1.5	2.9	3.2	562.4	129.5	14.8
V. दिल्ली और पुडुचेरी के लिए कुल अंतरण	4	8	10	0.4	0.7	0.8	-25.0	116.9	20.7
VI. राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में सकल अंतरण	1085	1247	1329	100.0	100.0	100.0	10.1	14.9	6.6
VII. ऋण और अग्रिम की कम वसूली	13	9	10	-	-	-	4.3	-28.8	4.2
VIII. शुद्ध अंतरण (VI-VII)	1072	1237	1320	-	-	-	10.2	15.4	6.7
IX. सकल अंतरण / सकल घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	6.3	6.6	6.3	-	-	-	-	-	-
X. शुद्ध अंतरण / सकल घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	6.3	6.5	6.3	-	-	-	-	-	-

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज़

अनुबंध III

अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बजट के बाद के उपायों की घोषणा

कराधान संबंधी उपाय

- वर्ष 2019-20 के बजट में इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण से होने वाले लंबे/अल्पावधि पूंजीगत अधिलाभ पर बढ़े हुए अधिभार को वापस ले लिया गया है।
- पहले से भरे गए आईटी रिटर्न और फेसलेस संवीक्षा को विजया दशमी, 2019 से शुरू किया जाना है। आयकर अधिकारियों द्वारा सभी नोटिस, सम्मन, आदेश आदि एक केंद्रीकृत कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाएंगे और इस तरह के सभी नोटिसों का निपटारा जवाब की तारीख से पहले तीन महीने के भीतर किया जाएगा।
- एमएसएमई के कारण सभी लंबित जीएसटी वापसियों का भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाना है। इसके अलावा, भविष्य में, सभी जीएसटी रिफंड का भुगतान आवेदन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किया जाएगा।
- उद्योग और आंतरिक व्यापार (DPIIT) संवर्धन विभाग में पंजीकृत स्टार्ट-अप पर एंजेल कर प्रावधान लागू नहीं होंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सदस्य के तहत स्टार्ट-अप की कराधान समस्याओं को दूर करने के लिए एक समर्पित कक्ष भी स्थापित किया जाएगा।

बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए उपाय

- 100 लाख करोड़ रुपये की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को अंतिम रूप देने और उनकी निगरानी करने हेतु 5 साल से अधिक की अवधि के लिए एक अंतर-मंत्रालय कार्य-दल का गठन किया गया है।
- ऐसे मामलों के निर्णय को जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने ठेकेदारों/रियायतों, सरकारी एजेंसियों के पक्ष में आदेश पारित किए हैं, न्यायालयों में चुनौती देने से पहले कुल भुगतान का 75 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य किया गया है।

वित्तीय क्षेत्र के सुधार

- सरकार, घरेलू शेयर बाजारों में अपतटीय रुपया बाजार को लाने तथा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेन्स टेक-सिटी (जीआईएफटी) आईएफएससी में यूएसडी- आईएनआर के

व्यापार को अनुमति देने संबंधी उपायों को आरंभ करने के लिए रिजर्व बैंक के साथ कार्य कर रही है।

- सरकार, रिजर्व बैंक के साथ मिलकर इसे निवेशकों और बॉन्ड जारीकर्ताओं के लिए और अधिक अनुकूल बनाने हेतु काम करेगी, साथ ही मूल्य अन्वेषण के लिए बढ़े हुए व्यापार को सुविधा प्रदान करेगी।
- आरबीआई और सेबी के परामर्श से, सरकार जल्द ही क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बाजारों के विकास हेतु आगे की कार्रवाई करेगी।
- सेबी द्वारा जल्द ही निक्षेपागार प्राप्ति स्कीम, 2014 को चालू किया जाएगा, जिससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद (ADR) / ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (GDR) के माध्यम से विदेशी निधियों तक पहुंच बढ़ेगी।
- चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रु. 70,000 करोड़ की अग्रिम पूंजी डालना। उधार देने के लिए इससे बैंकिंग प्रणाली में लगभग रु. 5 लाख करोड़ की चलनिधि उपलब्ध होगी।
- बैंकों द्वारा उचित निर्णय लेने की रक्षा करने और वास्तविक वाणिज्यिक निर्णय लेने पर उत्पीड़न को रोकने के लिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने यह निर्देश जारी किए हैं कि आंतरिक परामर्श समिति (आईएसी) मामलों को सतर्कता और गैर-सतर्कता के रूप में वर्गीकृत करेगी।
- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया डिबेंचर के डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (DRR) के निर्माण की आवश्यकता, एनबीएफसी और एचएफसी के साथ दूर की गई है।
- नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) द्वारा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को रु.20,000 करोड़ की अतिरिक्त चलनिधि सहायता।
- एनबीएफसी के अंतिम मील ग्राहक संपर्क का लाभ उठाने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) स्वयं सहायता समूहों और छोटे व्यापारियों को एनबीएफसी के साथ सह-उत्पत्ति ढंग से ऋण के लिए दिए गए सहयोग को तेजी से ट्रैक करेंगे।

- ब्याज दरों को रेपो दर से सीधे जोड़कर आवास ऋण, वाहन और अन्य खुदरा ऋण पर कम की गई समान मासिक किस्त(ईएमआई)।
- एफपीआई सहित विदेशी निवेशकों के लिए बाजार पहुंच तक को बेहतर बनाने के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रिया को सरल बनाना।
- एक दिन में एक कंपनी को शामिल करने के लिए; विलय और अधिग्रहण के लिए तेज और आसान अनुमोदन; कंपनी अधिनियम के तहत 14,000 से अधिक अभियोगों की वापसी; कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के उल्लंघन को एक नागरिक दायित्व के रूप में माना जाएगा न कि एक आपराधिक कृत्य के रूप में।

ऑटो सेक्टर को बढ़ावा देने के उपाय

- पुराने वाहनों को बदलते हुए नए खरीदने के लिए सरकारी विभागों पर प्रतिबंध हटा दिया गया है।
- मार्च 2020 से अब तक अधिग्रहित वाहनों पर अतिरिक्त 15 प्रतिशत मूल्यहास।
- सरकार पुराने वाहनों के लिए परिमार्जन नीति पर भी विचार कर रही है, जिससे नए वाहनों की मांग को बढ़ावा मिलेगा।
- 31 मार्च, 2020 तक खरीदे गए बीएस IV वाहन का पंजीकरण संपूर्ण अवधि के लिए चालू रहेगा।

विदेशी व्यापार करार : एक विश्लेषण*

रुकी हुई बहुपक्षीय वार्ताओं के वर्तमान परिवेश के कारण क्षेत्रीय व्यापार करारों में तेजी आई है और भारत ने भी अपनी विदेश व्यापार नीति को बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप तालमेल बनाए रखने के लिए ढाला है। यह लेख व्यापार करारों (टीए) के भारतीय व्यापार पर प्रभाव का मूल्यांकन करता है। यह मूल्यांकन यह अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए किया गया है कि भारत का व्यापार अपने व्यापार करार भागीदार देशों की तुलना में गैर-भागीदार देशों के साथ कैसे विकसित हुआ है। यह अध्ययन भागीदार देशों के साथ भारत के व्यापार की मात्रा में वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए भिन्न दृष्टिकोण के भिन्न अंतर का प्रयोग करता है। व्यापार करार होने के बाद भारत और भागीदार देशों के बीच व्यापार की मात्रा में वृद्धि देखी गई। टीए का एक सकारात्मक प्रभाव व्यापार भागीदार देशों से पूंजीगत सामान और औद्योगिक आपूर्तियों की आवक में वृद्धि रहा। इसने अप्रत्यक्ष रूप से देश में उत्पादक क्षमता को बढ़ाने में योगदान दिया।

प्रस्तावना

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक वाणिज्य को सुकर बनाने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली की दिशा में कार्रवाई की गई और देशों ने व्यापार बाधाओं को खत्म करने के लिए प्रयास किए। प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार (जीएटीटी) में किए गए प्रारंभिक प्रयासों और उसके बाद इसके उत्तराधिकारी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अंतर्गत विश्व में लागू प्रशुल्कों के औसत मूल्य में 1947¹ की तुलना में 85 प्रतिशत की गिरावट आई।

बहुपक्षीय प्रणाली से उत्पन्न लाभों के होते हुए भी रुकी हुई बहुपक्षीय वार्ताओं के वर्तमान परिवेश के कारण क्षेत्रीय व्यापार करारों में तेजी आई है जिसमें देश बहुपक्षीयता के स्थान पर

* यह लेख रेखा मिश्रा और सोनम चौधरी, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। लेखक मूल्यवान सहायता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से विनिमय दर श्रृंखला बनाने के लिए जितन सोकल का धन्यवाद करते हैं।

¹ मुखिसा किट्टी (2018). द कॉस्ट ऑफ ट्रेड वार, यूएनसीटीएडी।

द्विपक्षीयता की ओर बढ़े हैं। भारत ने भी अपनी विदेश व्यापार नीति को बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप तालमेल बनाए रखने के लिए ढाला है। तदनुसार भारत ने लगभग 54 देशों के साथ अधिमान्य एक्सेस, आर्थिक सहयोग और टीए पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस पृष्ठभूमि में यह लेख भारत के व्यापार पर व्यापार करारों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। निर्यातों, आयातों और समग्र व्यापार पर प्रभाव के अलग-अलग विश्लेषण द्वारा यह लेख यह अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है कि भारत अपने व्यापार करार भागीदार देशों की तुलना में गैर-भागीदार देशों के साथ कैसे विकसित हुआ है। व्यापार करारों से संबंधित प्रयोगसिद्ध आंकड़ों के साथ-साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में खंड I में बताया गया है। खंड III संबंधित साहित्य की संक्षिप्त समीक्षा उपलब्ध करवाता है। प्रयोगसिद्ध विश्लेषण सहित भारत के टीए के संबंध में वर्तमान स्थिति खंड IV में दी गई है। खंड V में निष्कर्ष संबंधी टिप्पणियां दी गई हैं।

II. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रयोगसिद्ध तथ्य

व्यापार करार ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके द्वारा देश एक-दूसरे को वरीयता देते हैं और प्रशुल्क और अन्य व्यापार बाधाओं को हटाकर व्यापार करने को सुकर बनाने में सहायता करते हैं। टीए दो या दो से अधिक देशों के बीच में हो सकता है जो कि मुख्यतया उनके बीच होने वाले अधिकांश व्यापार के संबंध में प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करने या हटाने पर सहमत होते हैं। औपचारिक टीए में कई सारी व्यवस्थाएं शामिल हो सकती हैं- प्रशुल्क प्राथमिकता के लघु मार्जिन से लेकर पूर्ण स्तर पर आर्थिक एकीकरण तक। टीए में कई विनिर्देशन शामिल हो सकते हैं जैसे कि आंशिक स्कोप करार (पीएसए), मुक्त व्यापार करार (एफटीए), कस्टम यूनियन (सीयू), कॉमन मार्केट या आर्थिक संघ। आमतौर पर व्यापार करारों का लक्ष्य सदस्य देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करना होता है जिसमें गैर सदस्य देशों के साथ व्यापार में अनिवार्यतः पक्षपात किया जाना शामिल होता है। टीए की संरचना के अनुसार इसमें सकारात्मक और नकारात्मक बाह्यताएं होती हैं।

टीए मुख्यतया यूरोपीय देशों के बीच शुरू किए गए। शुरुआत में टीए कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित थे और मुख्य रूप से औपनिवेशिक साम्राज्यों के प्रभाव वाले भौगोलिक क्षेत्रों तक

ही सीमित थे और इन्होंने आम तौर पर द्विपक्षीय वाणिज्यिक संधियों का रूप ले लिया। उन्नीसवीं शताब्दी में सामान की सीमा पार आवाजाही में वृद्धि के परिणामस्वरूप अधिक खुलापन और उदारीकरण हुआ और इन्होंने द्विपक्षीय व्यापार संधियों की प्रकृति और दायरे को बदल दिया। 1860 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच कॉबडेन-शेवेलियर संधि को इस संबंध में अग्रणी के रूप में माना जा सकता है क्योंकि इसमें पहली बार सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र² (एमएफएन) खंड शामिल किया गया और इसने दो देशों के बीच महत्वपूर्ण पारस्परिक प्रशुल्क कटौती की अगुआई की। कॉबडेन-शेवेलियर संधि ने अन्य यूरोपीय आर्थिक शक्तियों में द्विपक्षीय वार्ताओं का एक दौर शुरू कर दिया। बाद में यह संधि इसका पालन करने वाले देशों के बीच प्रतिस्पर्धी व्यापार उदारीकरण की पूर्ववर्ती सिद्ध हुई। संधियों का यह नया नेटवर्क पारस्परिक और समावेशी (एमएफएन खंड के माध्यम से) दोनों ही था इसलिए यह अनिवार्यतः आपस में जुड़ा हुआ भी था- इसने बहुपक्षीय अधिमान्य व्यापार करार (अर्थात् संधि पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों के बीच में बिना किसी शर्त पर एमएफएन व्यवहार) के प्रारंभिक रूप को तैयार किया और एक सदी के बाद आकार लेने वाली बहुपक्षीय प्रणाली की आधारभूत संरचना का पूर्वाभास भी किया (ब्राउन, 2003)। इन द्विपक्षीय करारों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश गैट प्रणालियों की नींव रखी।

1947 में गैट के गठन के साथ एक व्यापक बहुपक्षीय करार का विचार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में अग्रणी हो गया। फिर भी गैट प्रणाली पर आरंभ में हस्ताक्षर करने वाले सिर्फ 23 देश ही थे। बाद में यह डब्ल्यूटीओ की लगभग सार्वभौमिक सदस्यता के रूप में विकसित हुआ। तथापि गैट के रूप में एक बहुपक्षीय प्रणाली की उत्पत्ति ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने में द्विपक्षीय या क्षेत्रीय करारों के महत्व को कम नहीं किया। एक बहुपक्षीय प्रणाली के होते हुए भी द्विपक्षीय/विविधपक्षीय करारों, जो कि इसकी परिधि से बाहर हैं, में बहुत ही कम समय में तेजी, विशेषरूप से यूरोप में, पुनः सामने आ गई। इस विकास का परिणाम क्षेत्रीयवाद और बहुपक्षवाद दोनों में ही समवर्ती उन्नति के रूप में देखा गया। वास्तव में गैट 1994 के अनुच्छेद XXIV में व्यापार करारों के लिए वैधानिक समर्थन शामिल है। यह अनुच्छेद सदस्य देशों को अत्यधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) के सिद्धांत से छूट देता है और अधिमान्य देशों के बीच आयात

² यह गैट में निहित है और एक सदस्य के व्यापार भागीदारों के बीच में भेदभाव नहीं करने का सिद्धांत है।

करार के अनुसमर्थन के माध्यम से देशों के बीच में आपसी आयातों को अनुमति प्रदान करता है। डब्ल्यूटीओ तीन प्रकार के व्यापार करारों को अनुमति प्रदान करता है। ये हैं:


- अनुच्छेद XXIV के अंतर्गत संस्वीकृत कस्टम यूनियन और मुक्त व्यापार करार ;
- विकासशील देशों के बीच समर्थनकारी खंड के अंतर्गत बनाए गए विकासशील देशों के बीच करार जो कि अधिमान्य व्यवहार की अनुमति देते हैं; तथा
- सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जीएसपी) के अंतर्गत करार जो कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को अधिमान्य व्यवहार करने की अनुमति देते हैं।

टीए की अनुमति प्रदान करने वाले गैट के अनुच्छेद XXIV के अंतर्गत विशिष्ट शर्तें निम्न हैं-

- एफटीए सदस्य एफटीए के गठन से पूर्व विद्यमान प्रतिबंधों को छोड़कर गैर सदस्यों के साथ व्यापार के बारे में उच्च या अधिक प्रतिबंधात्मक प्रशुल्क या गैर प्रशुल्क अवरोधक खड़े नहीं करेंगे।
- घटक क्षेत्रों के बीच में प्रशुल्कों और अन्य प्रतिबंधों को दूर करना और उन्हें प्रत्येक क्षेत्र से उत्पादित होने वाले उत्पादों के संबंध में वस्तुतः सभी व्यापारों पर लागू करना।
- टीए के अंदर ड्यूटियों और अन्य व्यापार प्रतिबंधों को एक उचित समय के अंदर समाप्त किया जाना अर्थात् अधिक से अधिक दस वर्ष की अवधि के अंदर।
- इसके अलावा, एक समर्थनकारी खंड जो अनुच्छेद XXIV के अंतर्गत दी गई शर्तों का पालन किए बिना विकासशील देशों को वरीयता देने वाली व्यापार व्यवस्थाएं बनाने की अनुमति देता है।

वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य हैं। जुलाई 2018³ में इसमें शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य लाइबेरिया है और अधिकांश सदस्य कम से कम एक टीए में सहभागी हैं। टीए के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधे से अधिक आता है और यह डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत वैश्विक बहुपक्षीय करारों के साथ-साथ परिचालित होता है। 1950 के दशकों से सक्रिय व्यापार करारों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती रही, जो 1990 में लगभग

³ 6 सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार।



70 हो गई। उसके बाद टीए गतिविधि में काफी तेजी आई, जिससे अगले पांच वर्षों में टीए की संख्या दोगुना से अधिक हुई और 2010 तक चार गुना से अधिक हो गई (डब्ल्यूटीओ, 2011)। 03 सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार डब्ल्यूटीओ के पास 695 टीए अधिसूचित किए गए, जिनमें से वर्तमान में 481 अमल में हैं (चार्ट 1)। अनेक देशों द्वारा बहिर्मुखी नीतियों की ओर रुख बदलने के कारण टीए की वास्तविक संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई और 1990 दशकों के पूर्वार्द्ध से उसमें तेजी आने लगी। इसके कारण उस समयवधि की तुलना में व्यापार करारों की मांग में उछाल आया, जब अंतर्मुखी विकास कार्यनीतियों का वर्चस्व था।

III. साहित्यिक समीक्षा

व्यापार करार 1950 दशकों के पूर्वार्द्ध से ही अनुसंधानकर्ताओं का ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं। परंपरागत आर्थिक सिद्धांत ने प्रत्येक सदस्य देश पर टीए के कल्याणकारी प्रभाव के परीक्षण की मांग की है, यथा- समग्र रूप से एक ब्लॉक के स्तर पर और विश्व के अन्यो के संदर्भ में। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर टीए के परिणाम स्पष्ट रूप से सकारात्मक नहीं हैं। टीए व्यापार के फैलाव और वैश्विक कल्याण में योगदान कर सकता है, वहीं उससे कल्याण में कमी भी आ सकती है। समग्र कल्याण इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इन करारों से तुलनात्मक लाभ पर आधारित नए व्यापार तरीकों का सृजन होता है या अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पर्धी गैर-सदस्य से व्यापार

ब्लॉक के एक सदस्य का रूप लेने से व्यापार में बदलाव आता है। टीए का प्रभाव विश्लेषण या तो ऐतिहासिक आंकड़ों के संदर्भ में पश्चगामी होता है या फिर पूर्वानुमानों के आधार पर होता है। सामान्यतः पश्चगामी अध्ययनों में व्यापार को बढ़ावा देने में टीए के प्रभाव के विश्लेषण हेतु गुरुत्वमूलक समीकरण का प्रयोग होता है (टिनबर्गन (1962) और बेर्गस्ट्रैंड (1985))। सबसे पहले इसकी जांच जेकब विनर (1950) ने की थी, जिन्होंने व्यापार सृजन और व्यापार विचलन की संकल्पनाओं की शुरुआत की थी। विनर ने उस स्थिति को व्यापार सृजन की परिभाषा के रूप में बताया है, जब किसी अधिमानी व्यापार ब्लॉक के एक सदस्य को अमुक उत्पाद तैयार करने में तुलनात्मक लाभ मिला है और व्यापारगत अड़चनों को दूर किए जाने के कारण वह अब मुक्त व्यापार क्षेत्र के भागीदारों को बेचने में समर्थ हुआ है। व्यापार विचलन का तात्पर्य ऐसे मुक्त व्यापार करार बनने के बाद कल्याण में होने वाली कमी से है, जिसके कारण व्यापार ब्लॉक से इतर देश से होने वाले निम्न लागत आयातों में बदलाव होता है (अनुबंध-1)। विनर ने अपने सेमिनल पत्र में यह दर्शाया है कि नियमित आधार पर व्यापार उदारीकरण का निवल प्रभाव सुस्पष्ट रूप से कल्याणवर्धक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मीड (1955) ने एक सामान्य समीकरण मॉडल में व्यापार ब्लॉकों के प्रथम कल्याणमूलक सैद्धांतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उसके बाद मीड के मॉडल का प्रयोग टीए के कल्याणमूलक प्रभाव का पता लगाने के लिए किया गया, जिसमें लिप्से (1958), मंडेल

(1964), वनेक (1965), कॉर्डेन (1972) और मैकमिलन और मैकैन (1981) ने काफी योगदान किया।

टिनबेर्गेन (1962) ने सदस्य देशों के लिए व्यापार पर अंग्रेजी राष्ट्र-मंडल के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए गुरुत्वमूलक मॉडल का प्रयोग किया। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि व्यापार प्रवाहों पर टीए के 'औसत उपचार प्रभाव' आर्थिक दृष्टि से उतना महत्व नहीं रखता। उक्त पत्र में यह पाया गया कि टीए से सदस्य देशों में होने वाले व्यापार प्रवाहों में केवल 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है। टिनबेर्गेन के बाद कई लेखकों, जैसे ऐटकेन (1973), ऐब्रम्स (1980), तथा ब्राडा और मेंडेज़ (1983), ने यह पाया कि सदस्यों के बीच व्यापार प्रवाहों पर टीए का काफी प्रभाव होता है, वहीं बेर्गस्ट्रैंड (1985) तथा फ्रेंकेल, स्टीन और वी (1995) ने यह निष्कर्ष निकाला कि इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता है।

टीए पर सैद्धांतिक साहित्य के अनुसार करार-विशेष का वर्गीकरण लाभकारी या नुकसानदेह के रूप में किया जाना उसमें शामिल देशों और उस व्यापार की सीमा पर निर्भर करता है, जिसकी तुलना अपयोजित व्यापार के साथ की जाती है (पनगारिया, 2000)। इन प्रभावों का मूल्यांकन करने वाला प्रयोगसिद्ध ढांचा विशेष महत्व रखता है। बर्फिशर और उनके सहयोगी (2001) ने यह नोट किया कि टीए का प्रभाव वस्तुतः व्यावहारिक मुद्दा है, जिसका निपटान आंकड़ा विश्लेषण से किया जाए। क्रमैन (1991) ने क्षेत्रीय टीए की सापेक्षिक खूबियों का विश्लेषण किया। उक्त आलेख में टीए की संख्या में बदलाव आने पर वैश्विक कल्याण में होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण किया गया है। उस आलेख में यह पाया गया है कि जब टीए बड़े पैमाने पर हैं, और उनकी संख्या काफी घटती है तो ऐसी स्थिति में कल्याण में कमी आ जाती है। परंतु कल्याण तब सर्वाधिक स्तर पर पहुंचता है जब विश्व में एक ही टीए होता है, जिसके अंतर्गत सभी देश शामिल हैं और विश्व मुक्त व्यापार की ओर आगे अग्रसर होता है। क्रमैन ने यह निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश टीए नैसर्गिक व्यापार पद्धति के अंतर्गत शामिल हैं, ऐसे में व्यापार अपयोजन की संभावना काफी कम है और क्षेत्रीय मुक्त व्यापार की ओर अग्रसर होने से मुक्त व्यापार क्षेत्र में शामिल सदस्यों के लिए नुकसान कम, अपितु लाभ अधिक मिलेगा।

भारत के मामले में अध्ययनों ने विभिन्न प्रयोगसिद्ध विनिर्देशों का प्रयोग करते हुए टीए के प्रभाव का विश्लेषण किया

है, जिसके तहत पूर्व-पश्च मूल्यांकन से लेकर जीटीएपी (वैश्विक व्यापार विश्लेषण परियोजना)⁴ और स्मार्ट⁵ ढांचों के अंतर्गत विश्लेषण शामिल हैं। संपूर्ण व्यापार उदारीकरण परिदृश्य युक्त भारत-एसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) एफटीए के प्रभाव के पूर्वगामी विश्लेषण पर आधारित अध्ययनों में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत की आबंटनमूलक दक्षता बढ़ेगी, वहीं व्यापार प्रभाव की स्थिति लगातार खराब होती जाएगी और ऋणात्मक रहेगी (अहमद, 2010 और सिकदार एवं नाग 2011)। पश्चगामी विश्लेषण पर आधारित अध्ययनों में यह निष्कर्ष निकाला गया कि इंडिया-एसियान एफटीए के बाद एसियान को भारत द्वारा किए गए निर्यातों में काफी बढ़ोतरी हुई, जिसमें थाइलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपिंस और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के मामले में सर्वाधिक एक्सेस मिला। तथापि, अंतरा-एसियान व्यापार के संबंध में इंडिया-एसियान टीए का कोई खास प्रभाव नहीं रहा (वेंकटेश और भट्टाचार्य (2014))। इंडिया-कोरिया टीए पर शेषाद्वि (2015) द्वारा किए गए अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि टैरिफ में उत्तरोत्तर कटौती के परिणामस्वरूप टीए की उपयोगिता में निरंतर सुधार हुआ। तथापि, कोरिया को भारत द्वारा किए गए समग्र निर्यातों में बढ़ोतरी नहीं हुई और केवल कतिपय क्षेत्रों में ही वृद्धि दर्ज हुई। भारत श्रीलंका एफटीए संबंधी अध्ययनों में यह पाया गया कि दोनों देशों के बीच हुए व्यापार प्रवाहों में मामूली बढ़ोतरी हुई, जिसमें दोनों भागीदारों के निर्यात समूह में विविधता थी (मुखर्जी और उनके सहयोगी (2002), वीराकून और उनके सहयोगी (2006), जोशी (2012))। परंतु सारस्वत और उनके सहयोगी (2018) द्वारा किए गए हाल के अध्ययन में यह दलील दी गई कि जहां तक भारत के निर्यात का मामला है वह मूल्य, जैसे टैरिफ कटौती या उसका हटाया जाना, में परिवर्तन की तुलना में आय में परिवर्तन के प्रति काफी अधिक संवेदनशील है। भारतीय व्यापारियों

⁴ स्केल पर लगातार रिटर्न के साथ मानक जीटीएपी मॉडल एक मल्टीरिजन, मल्टीसेक्टर, कम्प्यूटेशनल सामान्य संतुलन मॉडल है। यह ग्लोबल ट्रेड एनालिसिस केंद्र पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, यूएसए द्वारा विकसित किया गया है।

⁵ स्मार्ट विश्व बैंक के वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सोल्यूशन (डब्ल्यूआईटीएस) के अंतर्गत उपलब्ध एक अंतर्निहित विश्लेषणात्मक उपकरण है। स्मार्ट फ्रेमवर्क में प्रोफेसर जोसेफ फ्रेंकोइस और कीथ हॉल द्वारा ग्लोबल सिमुलेशन मॉडल विकसित किया गया है। मॉडल, उद्योग (उत्पाद) स्तर पर वैश्विक व्यापार नीति में बदलाव का एक आंशिक संतुलन विश्लेषण है। फ्रेमवर्क राष्ट्रीय उत्पाद अंतर का प्रयोग करते हुए उद्योग स्तर पर व्यापार नीति में वैश्विक, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव, के साथ-साथ मूल्यांकन करता है।

(लगभग 25 प्रतिशत से कम) ने भी टीए संबंधी सूचना का अभाव, निम्न तरजीह मार्जिन और मूल नियमावली से संबद्ध प्रशासनिक लागतों जैसे अन्यान्य कारणों से टीए का काफी कम पैमाने पर उपयोग किया है।

कुल मिलाकर, मौजूदा सामग्री ने बाहरी व्यापार और कल्याण पर व्यापार समझौतों का मिश्रित प्रभाव दर्शाया है। व्यापार समझौते से संसाधनों का पुनर्आबंटन होगा और इससे कुछ हद तक व्यापार सृजन और व्यापार विपथन होगा। हालांकि, इनमें से हरेक अध्ययन इस प्रभाव को निर्धारित करने में समय-विशिष्ट और क्षेत्र-विशिष्ट कारकों को उजागर है।

IV. भारत और व्यापार समझौते

भारत ने पिछले कई वर्षों में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापारिक समझौते किए हैं। ये समझौते सदस्य देशों के बीच वस्तुओं के व्यापार पर अधिमानी ब्याज दरें ऑफर करने के अलावा सेवाओं, निवेश और बौद्धिक संपदा में व्यापार के क्षेत्र में व्यापक आर्थिक सहयोग भी प्रदान करते हैं। इन व्यापार समझौतों में से कुछ वस्तुओं के व्यापार में प्रशुल्क कटौती से परे चले गए हैं और सेवाओं और निवेश में उदारीकरण जैसे अन्य घटकों को शामिल करते हैं। पहला व्यापार समझौता, जिसका एक भारत सदस्य बना, वह 1975 का बैंकॉक समझौता था। 2005 में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच के इस क्षेत्रीय पहल को एशिया पैसिफिक व्यापार समझौता (एपीटीए) के रूप में नया रूप दिया गया। भारत का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत-श्रीलंका एफटीए (आईएसएफटीए) पर दिसंबर 1998 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह वर्ष 2001 में लागू हुआ था। इसके बाद भारत ने 2004 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (एसएफटीए), 2005 में सिंगापुर के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए), 2010 में भारत-एसईएन एफटीए, 2010 में भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए), 2011 में भारत-मलेशिया सीईसीए और भारत-जापान सीईपीए लागू किया। सार्क अधिमानी व्यापार समझौता (एसएपीटीए) भारत और अन्य दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (एसएआरसी) देशों के बीच एक अधिमानी समझौता है।

पिछले एक दशक में भारत की व्यापार नीति उल्लेखनीय रूप से क्षेत्रीयता की ओर एक उन्मुख हुई है। भारत का लगभग

54 देशों⁶ के साथ अधिमानी पहुंच, आर्थिक सहयोग और मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) हैं। भारत ने लगभग 18 समूहों / देशों⁷ के साथ सीईपीए/ सीईसीए/ एफटीए/ अधिमानी व्यापार समझौतों (पीटीए) के रूप में द्विपक्षीय व्यापार सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। अधिमानी व्यवस्था/ योजनाएँ जिसके तहत भारत को प्रशुल्क वरीयताएँ प्राप्त हो रही थीं, सामान्यीकृत प्रणाली वरीयताएँ (जीएसपी) और वैश्विक व्यापार वरीयताएँ (जीएसटीपी)⁸ हैं। वर्तमान में, जीएसटीपी के 43-सदस्य देश हैं और भारत ने सीमित उत्पादों पर 12 देशों के साथ प्रशुल्क रियायतों का आदान-प्रदान किया है (चार्ट 2)।

भारत और कई एशियाई देशों ने एक सीईसीए पर हस्ताक्षर किए हैं, जो वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों में व्यापार तथा शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वायु सेवाओं तथा बौद्धिक संपदाओं में आर्थिक सहयोग के समझौतों का एक एकीकृत पैकेज है। ये समझौते स्रोत के नियमों (रूल्स ऑफ ऑरिजिन) को निर्धारित करते हैं, जो निर्यात के लिए प्रशुल्क अधिमान हेतु पात्र होने के लिए अवश्य पूरे होने चाहिए। सारणी 1 भारत के प्रमुख व्यापार समझौतों का एक व्यापक विहंगावलोकन प्रदान करता है।

1990 के दशक की शुरुआत से भारत के व्यापार समझौते तेजी से प्रचलित हुए हैं। महत्वपूर्ण परिकल्पना यह जांचने के लिए है कि क्या इन क्षेत्रीय व्यापारिक समझौतों का बाद के समय

⁶ स्रोत : वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार।


⁷ एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रिमेंट (पीटीए) में दो या दो से अधिक साझेदार टैरिफ लाइनों की सहमत संख्या पर टैरिफ को कम करने के लिए राजी होते हैं। साझेदार जिन उत्पादों पर ड्यूटी कम करने के लिए सहमत होते हैं उनकी सूची को सकारात्मक सूची कहा जाता है। भारत मर्कोसूर पीटीए इसका एक उदाहरण है। हालांकि, आम तौर पर पीटीए सभी व्यापार को पर्याप्त रूप से कवर नहीं करते हैं।

एक फ्री ट्रेड एग्रिमेंट (एफटीए) में, साझेदार देशों के बीच पर्याप्त द्विपक्षीय व्यापार को कवर करने वाली वस्तुओं पर शुल्क समाप्त हो जाते हैं; हालांकि प्रत्येक गैर-सदस्यों के लिए व्यक्तिगत टैरिफ संरचना बनाए रखता है। भारत श्रीलंका एफटीए इसका एक उदाहरण है। एक एफटीए और एक पीटीए के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पीटीए में उत्पादों की एक सकारात्मक सूची होती है, जिस पर ड्यूटी को कम करना होता है; एफटीए में एक नकारात्मक सूची होती है जिस पर ड्यूटी कम या समाप्त नहीं होती है। इस प्रकार, आमतौर पर टैरिफ लाइनों (उत्पादों) के कवरेज में पीटीए की तुलना में एफटीए अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं जिस पर ड्यूटी को कम करना है।

कॉमप्रिहेंसिव इकॉनॉमिक कोऑपरेशन एग्रिमेंट (CECA) और कॉमप्रिहेंसिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप एग्रिमेंट (CEPA): उन करारों का वर्णन करता है जिनमें आईपीआर और प्रतिस्पर्धा सहित अन्य क्षेत्रों के साथ माल, सेवाओं और निवेश पर एक एकीकृत पैकेज शामिल होता है। भारत कोरिया सीईपीए इसका एक उदाहरण है और यह व्यापार सुगमता और सीमा शुल्क सहयोग, निवेश, प्रतिस्पर्धा और आईपीआर जैसे अन्य क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है।

⁸ तथापि, युनाइटेड राज्यों ने भारत को दिए हुए जीएसपी लाभों (यूएसटीआर) को 5 जून 2019 से निकाल दिये हैं।

चार्ट 2: भारत का माल और सेवाओं का व्यापार भागीदारों के साथ करार




टिप्पणी : डब्ल्यूटीओ सांख्यिकीय आरटीए की भौतिक संख्या के बदले आरटीए के आवश्यक अधिसूचनाओं के आधार पर है। अतः आरटीए के अंतर्गत माल और सेवाएँ दोनों समाविष्ट हैं, भौतिक रूप से आरटीए एक होने के बावजूद, हम उन्हें दो अधिसूचनाओं (एक माल और अन्य सेवाओं) के रूप में मानते हैं।

स्रोत : विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), भारत का भागीदारी देशों के साथ किए गए क्षेत्रीय व्यापार करार को लाल रंग में दर्शाया गया है। 3 सितंबर 2019 को पहुँच।

सारणी 1: भारत का प्रमुख दुतरफा और क्षेत्रीय व्यापार करार

क्र. सं.	संक्षिप्त	समूह	सदस्य देश		एफटीए/पीटीए
			संख्या	नाम	
1	एपीटीए	एशिया पैसिफिक व्यापार करार	6	बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, श्रीलंका	आंशिक स्कोप करार (पीएस - ए) और आर्थिक समाकलन करार (ईआईए)
2	भारत का एशियन टीआईजी	भारत का एशियन व्यापार में माल करार	11	ब्रुनेल, कंबोडिया, भारत, इन्डोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन्स, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम	एफटीए और ईआईए
3	बीआईएम एसटीईसी	बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थायलैंड इकोनोमिक कोपरेशन	7	बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थायलैंड	समझौते के अंतर्गत
4	जीएसटीपी	व्यापार वरियता की वैश्विक प्रणाली	43	अल्जेरिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, बेनिन, बोलिविया, ब्राज़ील, केमेरून, चिली, कोलम्बिया, क्यूबा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इक्वेडोर, इजिप्त, घाना, गुयाना, भारत, इन्डोनेशिया, ईरान, इराक, लीबिया, मलेशिया, मेक्सिको, मोरोक्को, मोजाम्बिक, म्यांमार, निकारागुआ, नाइजेरिया, पाकिस्तान, पेरू, फिलिपाइन्स, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रोमानिया, सिंगापुर, श्रीलंका, सुडान, थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबागो, टूनीसिया, तंज़ानिया, वेनेजुएला, वियतनाम, जिम्बाब्वे	पीएसए
5	एमईआर सीओएसयूयार इंडिया	दक्षिणी सामान्य बाजार भारत	5	अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे और भारत	पीएसए
6	एसएफटीए	दक्षिण एशिया मुफ्त व्यापार करार	8	अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्री लंका	एफटीए
7	आईएसएलएफटीए	इंडो श्रीलंका एफटीए	2	भारत और श्रीलंका	एफटीए
8	आईएमसीईसीए	इंडो मलेशिया सीईसीए	2	भारत और मलेशिया	एफटीए और ईआईए
9	आईएससीईसीए	भारत सिंगापुर सीईसीए	2	भारत और सिंगापुर	एफटीए और ईआईए
10	जेआईसीईपीए	जापान भारत सीईपीए	2	भारत और जापान	एफटीए और ईआईए
11	आईकेसीईपीए	भारत कोरिया सीईपीए	2	भारत और दक्षिण कोरिया	एफटीए

स्रोत : वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार।
विश्व व्यापार संगठन




में भारत और इसके समझौता पार्टनरों के बीच बढ़ते व्यापार⁹ के संदर्भ में वांछित परिणाम आए हैं। मूल्य के हिसाब से, पिछले दो दशकों में विश्व के साथ भारत का कुल व्यापार मजबूती से बढ़ा है (चार्ट 3)।

समझौता पार्टनर और गैर-पार्टनर देशों के साथ भारत के व्यापार का पृथक्करण दर्शाता है कि पिछले दो दशकों

में भारत और उसके व्यापार समझौता पार्टनरों के बीच अंतर-संबंध काफी मजबूत हुए हैं और लगातार आगे की ओर बढ़े हैं (चार्ट 4)।

अपने समझौता पार्टनर देशों के साथ भारत के व्यापार पर व्यापार समझौतों के प्रभाव के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यापार समझौतों के पूर्व/ उपरांत प्रभाव का



⁹ यह लेख भारत की कुल निर्यात और आयात (व्यापारिक माल) को दर्शाता है।

विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन पैनाल डेटा का उपयोग करते हुए प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए 'डिफरेंस इन डिफरेंस'¹⁰ पद्धति का इस्तेमाल करता है। इस अध्ययन के लिए परीक्षित अनुमान इससे संबंधित है कि क्या ये समझौते सामान्यरूप से उच्चतर व्यापार की ओर अग्रसर होते हैं और विशेषरूप से किस प्रकार आयात और निर्यात में प्रगति हुई है। यह प्रयोगसिद्ध विनिर्देशन सदस्य देशों और गैर सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधों में होने वाले अंतर को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। इस अध्ययन में कुल 31 देशों को शामिल किया गया है जिनमें से 18 देश प्रयोगिक समूह (ट्रीटमेंट ग्रुप) के अंग हैं और 13 देश नियंत्रण समूह के अंग हैं। प्रयोगिक समूह में वे देश शामिल हैं जिनसे भारत का व्यापार करार है। नियंत्रण समूह में वे देश शामिल हैं जिनसे भारत का व्यापार करार नहीं है। व्यापार की प्रवृत्ति निर्धारित करने वाले चर-वस्तुओं को चुनने के लिए हम गुरुत्वाकर्षण मॉडल से अनुमान लगाते हैं (टिनबर्गेन के पेपर (1962))। पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण मॉडल दो देशों के बीच के द्विपक्षीय व्यापार सिद्धांत पर आधारित है तथा सीधे तौर पर इन दोनों देशों के आकार से (सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापा जाता है) और प्रतिलोम रूप से दोनों देशों के बीच की दूरी से संबंधित है। इन माइक्रो फ़ाउंडेशन के आधार पर, गुरुत्वाकर्षण मॉडल के कई मानदंड हैं जिसका शोधकर्ताओं ने उपयोग किए हैं।

इस अध्ययन के लिए हमारा यह मानना है कि साझेदार देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दोनों देश की अर्थव्यवस्था के आकार और वस्तुओं की मांग को निर्धारित करने में मदद करता है। हम देशों के द्विपक्षीय विनिमय दर लेने के द्वारा मूल्य ग्रहणशीलता को भी नियंत्रित करते हैं। यह अध्ययन वर्ष 2000 के बाद हस्ताक्षरित करार का विश्लेषण करता है, इसलिए इस विश्लेषण में 1996 से लेकर सभी देशों के लिए उपलब्ध अद्यतन आंकड़े यानी 2017 तक का अध्ययन किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद और विनिमय दर संबंधी आंकड़े क्रमशः विश्व बैंक और आईएमएफ के डेटाबेस से लिए गए हैं। देशों के व्यापार प्रवाह से संबंधित आंकड़े, विश्व बैंक के वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन (WITS) डेटाबेस से लिए गए हैं।

¹⁰ डिफरेंस इन डिफरेंस (डीआईडी) तकनीक का उपयोग किया गया है अर्थमिति के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर डिफरेंस इन डिफरेंस (डीआईडी) तकनीक का उपयोग किया गया है, लेकिन इस पद्धति में अंतर्निहित तर्क 1950 के दशक में सामाजिक विज्ञान (लीचनर, 2011) में जॉन स्नो द्वारा स्थापित किया गया था जिसे 'अध्ययन से पहले और बाद में नियंत्रित' कहा जाता था। यह अनुमान उपचार समूह में उपचार के पहले और बाद में औसत परिणाम की भिन्नता दर्शाने की कोशिश करता है तथा इसमें से नियंत्रित परिणाम को घटाता है।

प्रयोगसिद्ध विनिर्देश इस प्रकार है:

$$LTr = a1 + a2 * LGDP_P + a3 * LGDP_I + a4 * (\text{country dummy} * \text{year dummy}) + \text{countryFE} + \text{yearFE} + e \quad \dots 1$$

$$Lexp = b1 + b2 * LGDP_P + b3 * LER + b4 * (\text{country dummy} * \text{year dummy}) + \text{countryFE} + \text{yearFE} + e \quad \dots 2$$

$$Limp = c1 + c2 * LGDP_I + c3 * LER + c4 * (\text{country dummy} * \text{year dummy}) + \text{countryFE} + \text{yearFE} + e \quad \dots 3$$

जहां,

Tr: यूएस डॉलर में साझेदार देश के साथ कुल व्यापार है;

Exp: यूएस डॉलर में साझेदार देश के साथ भारत का निर्यात;

Imp: यूएस डॉलर में साझेदार देश से भारत का आयात;

GDP_p: यूएस डॉलर में साझेदार देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद;

GDP_I: यूएस डॉलर में भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद;

ER: साझेदार देश के साथ भारत की द्विपक्षीय विनिमय दर;

Country dummy: जिन देशों के साथ भारत का व्यापार करार है उनके लिए डम्मी वेरियबल मूल्य 1 है अन्यथा 0 है;

Year dummy: करार वर्ष के प्रभावी होने की तारीख से चर वस्तुओं का मूल्य 1 है अन्यथा 0 है।

उपरोक्त समीकरण के सभी चर वस्तुओं को लघुगणकीय रूप में लिए गए हैं।

समीकरण 1 में, साझेदार देश और भारत के जीडीपी के गुणांक सकारात्मक हैं जो यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था के आकार के साथ व्यापार बढ़ता है (सारणी 2)। इसके परिणाम इस बात की भी संकेत देते हैं कि निर्यात देशों के लिए आपूर्ति पक्ष के प्रभाव मांग पक्ष पर हावी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उच्च सकल घरेलू उत्पाद वाले देश अधिक आपूर्ति (अपनी घरेलू मांग के सापेक्ष) के कारण निर्यात करने में सक्षम होते हैं। इसके विपरीत आयात करने वाले देश के लिए यह सच है कि उच्च घरेलू मांग के कारण आयात अधिक होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उच्च सकल घरेलू उत्पाद वाले देशों का अधिक व्यापार होता है। डम्मीस की सहभागिता संबंध सकारात्मक और सांख्यिकीय

सारणी 2: अनुमानित परिणाम

	(1)	(2)	(3)
	आईएनटीआर	आईएनएक्सपी	एलएनआईएमपी
आईएनजीडीपी_पी	0.354*** (0.0919)	0.332*** (0.0828)	
आईएनजीडीपी_आई	1.583*** (0.115)		2.138*** (0.174)
पारस्परिक क्रिया	0.162* (0.0796)	0.155* (0.0710)	0.478** (0.145)
आईएनई आर		0.0555 (0.0391)	-0.277*** (0.0787)
एन	594	594	594
आर-एस क्यू	0.835	0.847	0.664
वर्ष एफई	हाँ	हाँ	हाँ
देश एफई	हाँ	हाँ	हाँ
कोष्ठक में मानक त्रुटियाँ।			
=* पी<0.05 ** पी<0.01 *** पी<0.001'			


स्रोत : गणना डब्ल्यूआईटीएस डाटाबेस पर आधारित।


रूप से महत्वपूर्ण हैं जो यह दर्शाता है कि व्यापार पर भारत के व्यापार करार का समग्र प्रभाव सकारात्मक है। हम डिफरेंस-इन-डिफरेंस समीकरण को विघटित करते हुए निर्यात और आयात पर होने वाले प्रभाव का अलग से विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। समीकरण 2, भारत के निर्यात की गतिशीलता का अनुमान प्रदान करता है जिससे यह पता चलता है कि व्यापार साझेदारों की सकल घरेलू उत्पाद में हुई 1 प्रतिशत की वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत के निर्यात में 0.33 प्रतिशत की वृद्धि होती है। यह परिणाम व्यापार करार की उपस्थिति पर निर्भर नहीं है। विनिमय दर का

गुणांक दर्शाता है कि जब विनिमय दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि होती है (यानी, भारतीय मुद्रा का मूल्यहास होता है), तो भारत के निर्यात में 0.055 प्रतिशत की वृद्धि होती है, लेकिन इसकी मूल्य-सापेक्षता नगण्य होती है। समीकरण 2 में, ब्याज का गुणांक, यानी, इसकी सहभागिता अवधि सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। इस सहभागिता अवधि से यह पता चलता है कि गैर-साझेदार देशों की तुलना में करार हस्ताक्षरित होने के बाद साझेदार देशों के साथ भारत के निर्यात में, औसतन 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। इसका सबूत हमें चार्ट 5 में मिलता है कि हालांकि साझेदार देशों के साथ भारत के कुल निर्यात में वृद्धि हुई है लेकिन हाल के वर्षों में हुए निर्यात का मध्यम लघुगणकीय मूल्य साझेदार और गैर-साझेदार देशों के लिए समान प्रतीत होता है।

अंत में, आयात पर अंतिम समीकरण यह दर्शाता है कि जैसे ही भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1 प्रतिशत की वृद्धि होती है, व्यापार साझेदार की स्थिति चाहे जो भी हो, आयात में 2.14 प्रतिशत की वृद्धि होती है। आयात के मामले में सहभागिता अवधि सकारात्मक और महत्वपूर्ण रही है। सहभागिता अवधि से पता चलता है कि करार के लागू होने के बाद गैर-व्यापार करार साझेदारों की तुलना में व्यापार करार साझेदारों से आयात में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बॉक्स चार्ट से यह भी पता चलता है कि पिछले वर्षों में, व्यापार करारवाले साझेदार देशों से भारत के आयात के मध्यम लघुगणकीय मूल्यों में गैर-व्यापार करार साझेदार देशों की तुलना में काफी वृद्धि हुई है (चार्ट 6)।


चार्ट 5: भारत का निर्यात





उपरोक्त प्रयोगसिद्ध विश्लेषण, विशेष रूप से इन देशों से आयात करार हस्ताक्षरित होने के बाद भारत के साझेदार देशों के साथ व्यापार में सुधार का संकेत देता है। इन देशों के साथ भारत के निर्यात की तुलना में आयात में तेज गति से वृद्धि हुई है। यह उन देशों / क्षेत्रीय ब्लॉक्स के लिए सच है, जिनके साथ भारत ने हाल ही में व्यापार करार किया है, जैसे जापान, दक्षिण कोरिया और एसियन जहां भारत के निर्यात के प्रति आयात का अनुपात बढ़ा है (चार्ट 7)।

तथापि, इससे जुड़ा एक बड़ा सवाल यह है कि इन साझेदार देशों से किन वस्तुओं का आयात किया जा रहा है। जैसा कि बुलेटिन में उल्लेख मिलता है कि आयात की लागत में कमी के कारण, उद्योगों को पूंजीगत वस्तुओं और मध्यवर्ती आदानों की अधिक से अधिक पहुंच होती है जो घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा और दक्षता में सुधार ला सकते हैं (गोलदर और कुमारी, 2003, नागराज 2017)। इसके अतिरिक्त, देश साझेदार देशों से उन्नत प्रौद्योगिकी के आयात से लाभ उठा सकता है। इस प्रकार, प्रत्येक



सारणी 3: जापान से भारत को आयात

(हिस्सा प्रतिशत में)

क्षेत्रवार वर्गीकरण	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
पूँजीगत वस्तुएँ (यातायात उपकरण को छोड़कर)	48.4	47.9	46.9	46.7	50.5	50.0	46.1	47.5	45.7	45.5	42.2	42.8	38.8	45.6	40.9
उपभोक्ता वस्तुएँ	4.7	4.4	4.8	3.7	3.1	2.3	3.2	2.9	2.9	2.9	2.4	2.3	2.1	2.3	2.3
खाद्य और पेय	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.1	-	-	0.1	-
ईंधन और ल्यूब्रीकेंट्स	2.6	3.4	0.8	1.6	3.1	5.9	3.0	1.8	3.6	3.3	2.2	2.1	2.2	1.5	2.3
औद्योगिक आपूर्ति	37.1	33.4	35.0	30.7	32.3	30.9	33.4	37.6	37.6	37.9	42.7	42.1	47.2	39.9	43.7
यातायात उपकरण	7.2	10.9	12.5	17.3	11.0	10.9	14.3	10.2	10.0	10.2	10.4	10.7	9.7	10.6	10.8
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

- : कुछ नहीं अथवा नगण्य

स्रोत : डब्ल्यूआईटीसी डाटाबेस पर आधारित लेखक की गणना।

व्यक्तिगत साझेदार देश से आयात और निर्यात समूह की संरचना की सावधानी पूर्वक परीक्षण हमें और अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है कि व्यापार करार लागू होने के बाद किन वस्तुओं में वृद्धि हुई है। जापान के मामले में, करार के कार्यान्वयन के बाद भारत ने ज्यादातर औद्योगिक आपूर्ति, पूँजीगत वस्तुएं और परिवहन उपकरणों के आयात किए हैं जो कि एक सकारात्मक संकेत हो सकता है क्योंकि इन वस्तुओं का उपयोग, तैयार माल के उत्पादन के निवेश के रूप में किया जा सकता है और इस तरह अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए सहायता प्रदान कर सकती है (सारणी 3)।

कोरिया के मामले में, पूँजीगत वस्तुओं और औद्योगिक आपूर्ति के आयात में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है (सारणी 4)।

एसियन देशों के मामले में, आयात किए गए वस्तुओं के विघटन से उपभोक्ता वस्तुओं या पूँजीगत वस्तुओं के पक्ष में कोई विशेष पूर्वाग्रह दिखाई नहीं देता है। खाद्य और पेय पदार्थों, औद्योगिक आपूर्ति और उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई है, जबकि ईंधन और लूब्रिकेंट्स, पूँजीगत वस्तुएं और परिवहन उपकरण के आयात में गिरावट देखी गई है (सारणी 5)।

सारणी 4: कोरिया से भारत को आयात

(हिस्सा प्रतिशत में)

क्षेत्रवार वर्गीकरण	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
पूँजीगत वस्तुएँ (यातायात उपकरण को छोड़कर)	57.7	49.2	52.2	44.2	35.1	31.4	27.0	33.3	30.5	31.6	28.4	29.8	34.5	31.4	31.5
उपभोक्ता वस्तुएँ	3.3	2.5	2.7	2.9	2.1	1.8	2.8	2.5	2.5	2.1	2.4	2.1	2.6	3.4	10.7
खाद्य और पेय	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	-	-	-	-	-
ईंधन और ल्यूब्रीकेंट्स	0.1	0.1	0.1	8.3	8.2	9.6	12.5	7.1	7.4	6.7	5.5	7.1	5.1	5.2	4.9
औद्योगिक आपूर्ति	26.8	27.0	30.1	33.5	42.4	43.5	39.2	45.1	47.4	48.0	53.3	51.9	48.9	49.8	45.6
यातायात उपकरण	12.0	21.2	14.9	11.1	12.2	13.7	18.5	11.9	12.0	11.5	10.4	9.1	8.9	10.2	7.3
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

- : कुछ नहीं अथवा नगण्य

स्रोत : डब्ल्यूआईटीसी डाटाबेस पर आधारित लेखक की गणना।

सारणी 5: एसीईएन देशों से भारत को आयात

(हिस्सा प्रतिशत में)

क्षेत्रवार वर्गीकरण	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
खाद्य और पेय	10.9	15.6	8.5	4.6	3.5	5.0	8.3	6.6	5.4	6.5	7.5	5.9	6.9	9.1	7.5
औद्योगिक आपूर्ति	51.7	42.9	44.4	37.8	37.4	34.0	39.5	42.5	44.2	43.8	42.5	44.4	43.8	42.5	46.0
ईंधन और ल्यूब्रीकेंट्स	3.1	5.3	9.8	26.5	29.6	37.7	24.7	24.6	26.7	24.0	24.3	26.4	20.9	19.9	19.8
पूँजीगत वस्तुएँ (यातायात उपकरण को छोड़कर)	26.7	27.5	28.4	22.8	22.3	15.7	19.6	18.3	16.7	17.6	18.1	15.9	19.5	19.2	17.6
यातायात उपकरण	3.7	4.4	4.2	4.2	3.5	4.8	4.0	4.2	3.5	4.0	3.7	3.4	4.0	4.7	3.3
उपभोक्ता वस्तुएँ	3.9	4.3	4.7	4.1	3.7	2.8	3.9	3.8	3.5	4.1	3.9	4.0	4.9	4.6	5.8
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : डब्ल्यूआईटीसी डाटाबेस पर आधारित लेखक की गणना।

V. निष्कर्ष

इस अध्ययन में भारत द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित व्यापार करार के प्रभाव का मात्रात्मक मूल्यांकन किया गया है। साझेदार देशों के साथ भारत के व्यापार प्रवाह में हुई बढ़ोत्तरी और गैर-टीए साझेदार देशों की तुलना में व्यापार में हुई वृद्धि का मूल्यांकन करने के लिए इस अध्ययन में डिफरेंस इन डिफरेंस पद्धति का उपयोग किया गया है। व्यापार करार की समाप्ति पर भारत और साझेदार देशों के बीच के व्यापार प्रवाह में वृद्धि पायी गयी। तथापि निर्यात में होने वाली वृद्धि, आयात में होने वाली वृद्धि की गति के साथ मेल नहीं खाती है। इसके संभाव्य कारणों में से एक यह हो सकता है कि भारत की दर-सूची, व्यापार साझेदार देश की दर-सूची से बहुत अधिक है, इसलिए साझेदारी देशों के लिए दर-सूची में की गई प्रभावी कटौती अधिक रही जिसके परिणामस्वरूप आयात में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई¹¹। व्यापार करार का एक सकारात्मक प्रभाव है पूंजी वस्तुओं की लदाई बढ़ी और व्यापार साझेदार अर्थव्यवस्था से प्राप्त औद्योगिक आपूर्ति बढ़ी। देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में इसका परोक्ष योगदान किया होगा। आगे व्यापार करार पर अत्यधिक ध्यान दिलाना आवश्यक है जिससे वैश्विक मूल्य चेइन में एकीकरण बढ़ाने में उपयोगी होगा। व्यापार करार के ज़रिए उत्पादों के लिए नई बाज़ार की पहुंच भी साध्य हो, जहां देश अपने समकक्ष देशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अग्रणी होता है। तथापि व्यापार करार के प्रभाव पर स्थिर निष्कर्ष देने के लिए भावी अनुसंधान के दायरे में प्रत्येक साझेदारी देशों द्वारा किए गए सेवा क्षेत्र उदारीकरण को भी शामिल किया जाना है।

संदर्भ

Abrams, R K. (1980), 'International Trade Flows under Flexible Exchange Rates'. *Economic Review*, Federal Reserve Bank of Kansas City, 3-10.

Aitken, N. D. (1973). 'The Effect of the EEC and EFTA on European Trade: A Temporal Cross-section Analysis'. *The American Economic Review*, 63(5), 881-892.

¹¹ आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16.

Ahmed, S. (2010). 'India-ASEAN Free Trade Agreement: A Sectoral Analysis'. Available at SSRN 1698849.

Baier, S. L., & Bergstrand, J. H. (2007). 'Do Free Trade Agreements Actually Increase Members' International Trade?'. *Journal of International Economics*, 71(1), 72-95.

Bergstrand, J. H. (1985). 'The Gravity Equation in International Trade: Some Microeconomic Foundations and Empirical Evidence.' *The review of economics and statistics*, 474-481.

Bhagwati, J., & Krueger, A. O. (1995). 'The Dangerous Drift to Preferential Trade Agreements'. Washington. DC: American Enterprise Institute for Public Policy Research.

Brada, J. C., & Mendez, J. (1983). 'Regional Economic Integration and the Volume of Intra-Regional Trade: A Comparison of Developed and Developing Country experience'. *Kyklos*, 36(4), 589-603.

Burfisher, M. E., Robinson, S., & Thierfelder, K. (2001). 'The Impact of NAFTA on the United States'. *Journal of Economic perspectives*, 15(1), 125-144.

Brown, A. (2003). *Reluctant partners. A history of multilateral trade cooperation, 1850-2000*, Ann Arbor. The University of Michigan Press.

Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. (2019). 'Difference-in-Differences with Multiple Time Periods. Available at SSRN 3148250'.

Corden, M. (1972). 'Economies of Scale and Customs Union Theory'. *Journal of Political Economy* 80: 465-475.

Ministry of Finance 2016 'Economic Survey'.

Frankel, J., Stein, E., & Wei, S. J. (1995). 'Trading Blocs and the Americas: The Natural, The Unnatural, and The Super-Natural'. *Journal of development economics*, 47(1), 61-95.

Hannan, S.A. (2016). *The Impact of Trade Agreements: New Approach, New Insights*. International Monetary Fund.

Goldar B., and Kumari, A. (2003). 'Import Liberalisation and Productivity Growth in Indian

- Manufacturing Industries in the 1990s.' *The Developing Economies*, 41(4), 436-60.
- Joshi, V. (2012). 'Econometric Analysis of the India-Sri Lanka Free Trade Agreement'. *Asian Economic Journal*, 26(2), 159-180.
- Kituyi M. (2018). '*The Costs of Trade war.*' UNCTAD.
- Krugman, P. (1991). '*Is Bilateralism Bad? in International Trade and Trade Policy.*' E. Helpman and A Razin, eds. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 9 – 23.
- Lechner, M. (2011). 'The Estimation of Causal Effects by Difference-In-Difference Methods. *Foundations and Trends in Econometrics*', 4(3), 165-224.
- Lipsey, R. (1958). '*The Theory of Customs Unions: A General Equilibrium Analysis*'. University of London.
- McMillan J and McCann. E. (1981) 'Welfare Effects in Customs Unions.' *The Economic Journal*, 91(363):697–703, ISSN 0013-0133.
- Meade, J. E. (1955). '*The Theory of International Economic Policy: Supply, Trade and Welfare; Mathematical supplement*' (Vol. 2). Oxford University Press.
- Mukherji, I. N., Jayawardhana, T., Kelegama, S., (2002), '*Indo-Sri Lanka Free Trade Agreement: An Assessment of Potential and Impact*'.
- Mundell, R. (1964). '*Tariff Preferences and the Terms of Trade*'. Manchester School of Economic and Social Studies. 1-13.
- Nagraj, R. (2017). 'Economic Reforms and Manufacturing Sector Growth' *Economic and Political Weekly*, 52(2), 61.
- Panagariya, A. (2000). 'Preferential Trade Liberalisation: The Traditional Theory and New Developments'. *Journal of Economic literature*, 38(2), 287-331.
- Parthapratim P. and Dasgupta M. (2009), 'The ASEAN-India Free Trade Agreement: An Assessment'. *Economic & Political Weekly*, Vol. XLIV No. 38, September.
- Saraswat V. K., Prachi Priya and Aniruddha Ghosh (2018). 'A Note on Free Trade Agreements and Their Costs.' National Institute for Transforming India.
- Seshadri V. S. (2015), 'India-Korea CEPA - An Appraisal of Progress'. Research and Information System for Developing Countries (RIS).
- Sikdar, C., & Nag, B. (2011). 'Impact of India-ASEAN Free Trade Agreement: A Cross-Country Analysis Using Applied General Equilibrium Modelling', (No. 107). *ARTNeT Working Paper Series*.
- Stevens, C., Irfan, I., Massa, I., & Kennan, J. (2015). '*The Impact of Free Trade Agreements between Developed and Developing Countries on Economic Development in Developing Countries: A Rapid Evidence Assessment*'. Overseas Development Institute, London. Overseas Development Institute, ODI.
- Tinbergen, J.(1962). '*Shaping the World Economy*'. Twentieth Century Fund, New York.
- Vanek, J. (1965). '*General Equilibrium of International Discrimination: The Case of Customs Unions*'. Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Veeramani, C., & Saini, G. K. (2011). 'Impact of ASEAN-India Preferential Trade Agreement on Plantation Commodities: A Simulation Analysis'. *Economic and Political Weekly*, 83-92.
- Venkatesh V. & Bhattacharyya R (2014). 'The ASEAN Free Trade Agreement: How Effective?'. *Working Papers 1425*, Indian Institute of Foreign Trade.
- Viner, J. (1950). '*The Custom Union*'. Carnegie Endowment for International Peace, New York.
- Weerakoon, D. and Thennakoon, J. (2006). '*India -Sri Lanka FTA*'. *CUTS International Lessons for SAFTA*.
- Wooton, I. (1986). 'Preferential Trading Agreements: An Investigation'. *Journal of International Economics*, 21(1-2), 81-97.
- World Trade Organisation, (2011). '*World Trade Report*'.


अनुबंध 1

व्यापार सृजन और व्यापार विपथन की संकल्पना

व्यापार सृजन की परिभाषा वैनर द्वारा इस प्रकार दी जाती है कि दर-सूची में कटौती के कारण व्यापार व्यवस्था के साझेदारों के बीच होने वाले वस्तुओं का अतिरिक्त प्रवाह होने का परिदृश्य। यह आयात करने वाले देश में घरेलु उत्पाद का स्थान लेता है।

व्यापार सृजन की संकल्पना चार्ट ए1 में वर्णित किया गया है। चार्ट में देश ए के लिए आपूर्ति और मांग रेखा संबंधी सूचना दी गई है। यह माना जाए कि देश बी और देश सी के बीच जब कोई दर-सूची प्रभारित नहीं किया जाता तब उनका आपूर्ति मूल्य क्रमशः $P^{बी}$ और $P^{सी}$ हो। यह माना जाए कि देश सी द्वारा, देश बी की तुलना में उस वस्तु को न्यून मूल्य पर आपूर्ति करने की क्षमता है। यदि देश ए द्वारा देश बी और देश सी दोनों से प्राप्त होने वाले वस्तुओं पर विशेष दर $T^{बी} = T^{सी} = T^1$ प्रभारित किया जाता है, तो इसके कारण देश बी और देश सी से देश ए द्वारा आयात किए गए वस्तुओं का आयात मूल्य बढ़ता है। निर्धारित दर के साथ आत्मनिर्भरता के अधीन, देश ए में मूल्य (पीए) दर लगाए गए मूल्य $P^{बी}$ और $P^{सी}$ से कम है, इसलिए वस्तु को आयात नहीं किया जाएगा। इसकी जगह देश ए अपनी घरेलु मांग की आपूर्ति करेगा इसलिए $E^1 = Z^1$ होगा। अब इस प्रकार की स्थिति की परिकल्पना की जाए कि देश ए और देश बी के बीच अबाध व्यापार करार निष्पादित है और देश ए द्वारा देश बी के आयात पर दर संपूर्ण रूप से निरसन प्रदान किया जाता है। देश बी और देश सी से आयात किए गए वस्तुओं के लिए देश ए के उपभोक्ताओं द्वारा अदा किया जाने वाला शुल्क अब क्रमशः $P^{बी}$ और $P^{सी}$ होगा। $P^{बी}$ P^1 से कम होने के कारण देश ए, अबाध व्यापार करार के बाद देश बी से उत्पाद का आयात करेगा जिसे ब्लू लैन डिस्टन्स अथवा $Z^2 - E^2$ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अबाध व्यापार करार के कार्यान्वयन के साथ देश बी से देश ए में इन वस्तुओं का आयात किया जाता है, जो कि पहले व्यवहार्य नहीं रहा। इसलिए इन वस्तुओं में व्यापार को सृजित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

जब व्यापार प्रवाह लागत-दक्ष साझेदार से कम दक्षता साझेदार की ओर विपथन किया जाता है तो व्यापार विपथन में इसकी विपरीत स्थिति होती है। कम दक्षता देश अबाध व्यापार करार का सदस्य बनता है और अपने माल को साझेदार देश को कम दाम पर उपलब्ध कराता है, जो कि गैर-साझेदार (यदि उन्हें दर में कटौती की जाती तो) के मामले में अधिक है। यह



(जारी...)

परिकल्पना चार्ट 2 में वर्णित है जिसके अनुसार दर लगाए जाने के बाद, उत्पाद को देश सी से आयात करने पर सस्ता पड़ जाता है। अबाध व्यापार करार न होने की स्थिति में देश ए द्वारा देश सी से उत्पाद का आयात किया जाएगा, और प्रारंभिक स्तर पर देश बी के साथ व्यापार नहीं किया जाएगा। देश ए द्वारा आयात किए गए कुल माल लाल रेखा में अथवा डी¹-एस¹ दूरी द्वारा अंकित है। देश ए द्वारा वसूल किए गए दर राजस्व, आयात की मात्रा गुणज के दर के रूप में दिया गया है। अब यह मान लें कि देश ए और देश बी के बीच मुक्त व्यापार करार हस्ताक्षरित हो और देश ए द्वारा देश बी के आयात पर दर हटा दिया जाता है। अब टी^{सी} = 0 लेकिन टी^{सी} अभी भी टी^{सी} ही रह जाता है। देश ए के उपभोक्ताओं द्वारा पीबी अदा किया जाता है, आयात डी² - एस² के रूप में बढ़ेगा, जिसे नीली रेखा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। चूंकि देश सी में गैर विरूपित (यानी मुक्त व्यापार) मूल्य, देश बी में मूल्य से कम है इसलिए व्यापार अत्यधिक प्रभावशाली आपूर्तिकर्ता से न्यून प्रभावशाली आपूर्तिकर्ता की ओर विपथन किया गया है।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

अवसरिक श्रृंखलाएं

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	57
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	58
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	59
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डालर का क्रय/विक्रय	60
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	61
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	61
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	62
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	63
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	64
9	कुल चलनिधि राशियां	64
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	65
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	65
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	66
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	66
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	67
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	68
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	69
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	70
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	71
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	71
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	71
21	थोक मूल्य सूचकांक	72
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	75
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	75
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	76
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	76
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	77
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	78
28	वाणिज्यिक पत्र	78
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	78
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	79

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	80
32	विदेशी मुद्रा भंडार	80
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	80
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	81
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	81
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	82
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार	82
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	83
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	84
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	85
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹ में)	86
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	87
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	88
	अवसरिक श्रृंखलाएं	
44	लघु बचत	89
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	90
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	91
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	92
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	93
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	94

टिप्पणियां: .. = उपलब्ध नहीं।

- = शून्य/नगण्य

प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम

आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2018-19	2017-18		2018-19	
		ति3	ति4	ति3	ति4
		1	2	3	4
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	6.6	7.3	7.9	6.3	5.7
1.1.1 कृषि	2.9	4.6	6.5	2.8	-0.1
1.1.2 उद्योग	6.2	8.0	8.6	6.0	3.4
1.1.3 सेवाएं	7.7	8.0	8.0	7.6	8.2
1.1क अंतिम खपत व्यय	8.3	5.8	10.4	7.9	8.1
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	10.0	12.2	11.8	11.7	3.6
	2018-19	2018		2019	
		जून	जुलाई	जून	जुलाई
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	3.80	7.0	6.5	2.0	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	10.0	6.8	8.7	10.4	9.6
2.1.2 ऋण	13.3	10.9	12.3	11.9	12.1
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	13.4	10.9	12.5	11.9	12.1
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1.9	6.0	6.8	1.8	1.2
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	14.5	21.1	20.6	13.5	12.9
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	10.5	9.8	9.9	10.1	10.6
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	19.25	19.50	19.50	19.00	18.75
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.1	4.9	4.7	5.1	4.8
3.4 ऋण-जमा अनुपात	77.7	75.4	74.7	76.4	76.5
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	99.9	65.7	-8.9	-60.4	-186.2
3.6 निवेश-जमा अनुपात	26.9	29.9	30.0	27.6	27.7
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	5.4	169.3	136.9	105.7	207.1
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	6.25	6.25	6.25	5.75	5.75
4.2 रिवर्स रिपो दर	6.00	6.00	6.00	5.50	5.50
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	6.50	6.50	6.50	6.00	6.00
4.4 बैंक दर	6.50	6.50	6.50	6.00	6.00
4.5 आधार दर	8.95/9.40	8.70/9.45	8.75/9.45	8.95/9.40	8.95/9.40
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.05/8.55	7.80/8.05	7.90/8.05	8.05/8.50	8.00/8.40
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	6.25/7.50	6.25/7.00	6.25/7.00	6.25/7.30	6.25/7.30
4.8 बचत जमा दर	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50	3.25/3.50
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.35	6.17	6.21	5.78	5.59
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.31	6.52	6.69	6.03	5.65
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.35	6.89	6.97	6.16	5.88
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.39	7.13	7.27	6.16	5.94
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	7.34	7.98	7.76	6.93	6.47
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिआ					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	69.17	68.58	68.70	68.92	69.06
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	77.70	79.85	79.78	78.36	76.94
5.3 फारवर्ड प्रीमिआ अमेरिकी डालर					
1-माह (%)	6.07	4.46	4.37	4.61	4.00
3-माह (%)	4.80	4.37	4.37	4.64	4.09
6-माह (%)	4.16	4.39	4.40	4.70	4.31
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	3.4	4.9	4.2	3.2	3.1
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.4	3.9	5.6	8.6	6.0
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	4.3	5.7	5.3	2.0	1.1
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	2.7	4.7	2.0	6.7	5.0
6.3.2 ईंधन और पावर	11.5	16.5	18.1	-2.2	-3.6
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	3.7	4.2	4.5	0.9	0.3
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	10.4	20.9	29.7	-10.0	-10.4
7.2 निर्यात	8.7	17.9	15.5	-7.9	2.2

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) ने भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसारण शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2: भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार / शुक्रवार की स्थिति						
	2018-19	2018	2019				
		अगस्त	अगस्त 2	अगस्त 9	अगस्त 16	अगस्त 23	अगस्त 30
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	2113764	1901937	2144943	2168301	2172899	2162500	2150382
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	13	10	11	11	11	11
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	2113775	1901950	2144952	2168312	2172910	2162511	2150393
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	79481	72080	82694	89489	91115	91148	93095
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2033559	1828947	2061451	2078025	2081001	2070570	2056512
1.2.3 रुपया सिक्का	735	923	807	798	794	793	785
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	—	—	—	—	—	—	—
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	806012	631562	843826	770565	771430	735075	838350
2.1.1.1 केंद्र सरकार	101	100	101	100	100	101	101
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	—	—	—	—	—	—	—
2.1.1.3 राज्य सरकारें	43	42	42	42	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	565707	475461	518267	510229	531335	519663	538143
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4197	3637	4237	4171	4274	4075	4190
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3494	1911	2690	2695	2587	2631	2651
2.1.1.7 अन्य बैंक	32036	27649	30433	30477	30718	30491	30810
2.1.1.8 अन्य	199734	122055	287356	220621	202373	176620	262413
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	700	707	700	2229	—	1452	—
2.1.2 अन्य देयताएं	1087686	1062214	1170846	1242246	1263345	1284557	1104241
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	1893698	1693776	2014672	2012811	2034775	2019632	1942591
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	13	10	11	11	11	11
2.2.2 विदेश में रखे शेष	646640	861982	733243	766594	774305	803005	797721
2.2.3 ऋण और अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	—	43992	116069	85687	88332	45010	—
2.2.3.2 राज्य सरकारें	10	445	2830	3952	1599	303	606
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	180688	61661	31305	19060	31752	31195	31140
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	—	35	—	—	—	—	—
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.6 नाबार्ड	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.7 एक्विजम बैंक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.8 अन्य	13463	6187	5845	5841	5841	5892	5633
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	700	707	2107	715	—	724	—
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल	—	—	—	—	—	—	—
2.2.4.1 आंतरिक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	—	—	—	—	—	—	—
2.2.5 निवेश	923080	641608	1000783	1000815	1000846	1000878	1000909
2.2.6 अन्य आस्तियां	129106	77146	122480	130136	132089	132613	106571
2.2.6.1 सोना	87169	70922	92189	99764	101576	101614	103784

* डाटा अंतिम है।

सं. 3: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9-2-4-7-8)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर				विक्रय	क्रय	
जुला 1, 2019	4857	28449	-	133076	100	-	-	-	-	-156568
जुला 2, 2019	3814	25942	3290	141490	-	-394	-	-	-	-160722
जुला 3, 2019	3467	18053	-	133809	340	396	-	-	-	-147659
जुला 4, 2019	3497	26287	-	127285	1447	-	-	-	-	-148628
जुला 5, 2019	5417	28746	5840	104965	1150	-191	-	-	-	-121495
जुला 6, 2019	13196	3578	-	-	10150	-	-	-	-	19768
जुला 8, 2019	9992	14018	-	84534	526	-	-	-	-	-88034
जुला 9, 2019	3267	12040	10690	80655	2550	191	-	-	-	-75997
जुला 10, 2019	4132	5990	-	78523	50	-	-	-	-	-80331
जुला 11, 2019	3632	17501	-	80652	1100	-	-	-	-	-93421
जुला 12, 2019	3632	32308	8345	111410	1200	-	-	-	-	-130541
जुला 15, 2019	3629	21002	-	108250	1150	-	-	-	-	-124473
जुला 16, 2019	3632	16794	2520	121685	315	-	-	-	-	-132012
जुला 17, 2019	3563	14478	-	108816	125	-	-	-	-	-119606
जुला 18, 2019	3593	17898	-	121735	100	-	-	-	-	-135940
जुला 19, 2019	12339	23896	3850	100088	1151	-99	-	-	-	-106743
जुला 20, 2019	4716	3202	-	-	2060	-	-	-	-	3574
जुला 22, 2019	3632	15261	-	63071	1800	-	-	-	-	-72900
जुला 23, 2019	3604	22977	14185	66853	50	-	-	-	-	-71991
जुला 24, 2019	3564	17265	-	65185	1	-	-	-	-	-78885
जुला 25, 2019	8289	21155	-	87682	-	-75	-	-	-	-100623
जुला 26, 2019	3529	35136	8695	75404	300	56	-	-	-	-97960
जुला 29, 2019	3709	15710	-	102571	119	-	-	-	-	-114453
जुला 30, 2019	4033	20552	3370	101467	-	-	-	-	-	-114616
जुला 31, 2019	4645	18528	-	101093	920	-	-	-	-	-114056

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरिकी डालर का क्रय/विक्रय

I) ओटीसी सेगमेंट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2018-19	2018	2019	
		जुलाई	जून	जुलाई
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरिकी डालर) (1.1-1.2)	-15,377.00	-1,874.00	2,463.00	-93.00
1.1 क्रय (+)	40,804.00	4,129.00	4,434.00	1,592.00
1.2 विक्रय (-)	56,181.00	6,003.00	1,971.00	1,685.00
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	-111946	-13600	16395	-1379
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमरिकी डालर)	-15,377.00	-16,308.00	9,902.00	9,809.00
(करोड़ ₹)	-111945	-111219	66285	64906
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरिकी डालर)	-13,774.00	10,689.00	-13,406.00	-8,609.00

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2018-19	2018	2019	
		जुलाई	जून	जुलाई
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरिकी डालर) (1.1-1.2)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 क्रय (+)	13,935.0	692.00	0.00	327.00
1.2 विक्रय (-)	13,935.0	692.00	0.00	327.00
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरिकी डालर)	0.00	0.00	0.00	249.00

सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरिकी डॉलर)

(मिलियन अमरिकी डॉलर)

मद	31 जुलाई 2019 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	215	1,176	-961
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	525	660	-135
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	5,415	3,905	1,510
4. 1 वर्ष से अधिक	1,722	10,745	-9,023
कुल (1+2+3+4)	7,877	16,486	-8,609

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2018-19	2018	2019					
			अगस्त 31	मार्च 29	अप्रैल 26	मई 24	जून 21	जुलाई 19
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	12882	125	12882	998	1615	1400	1151	55
2								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3								
3.1 सीमा	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
3.2 बकाया	2678	2388	2678	2348	2762	2453	2356	1879
4								
4.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	15560	2513	15560	3346	4377	3853	3507	1934

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2018-19	2018	2019		
		जुलाई 20	जून 21	जुलाई 5	जुलाई 19
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2052233	1858933	2116678	2109932	2098713
1.1 संचलन में नोट	2110883	1910933	2179972	2171625	2161526
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	25144	24958	25211	25241	25241
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	84536	77700	89247	87676	88796
2 जनता की जमाराशियां	1658050	1298907	1432967	1465378	1475859
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	1626309	1275905	1403284	1428745	1439850
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	31741	23001	29683	36633	36008
3 एम ₁ (1+2)	3710284	3157840	3549646	3575310	3574572
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	140599	118637	140599	140599	140599
5 एम ₂ (3+4)	3850883	3276477	3690245	3715909	3715171
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	11720588	10915024	11866468	12027631	11993211
7 एम ₃ (3+6)	15430873	14072865	15416114	15602942	15567784
8 कुल डाकघर जमाराशियां	367287	321698	367287	367287	367287
9 एम ₄ (7+8)	15798160	14394563	15783401	15970229	15935071

सं. 7: मुद्रा स्टॉक (एम₃) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 / माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
		जुलाई 20	जून 21	जुलाई 5	जुलाई 19
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4387788	4331366	4589112	4809706	4746770
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	801951	662484	919696	1062946	1054649
1.1.1 सरकार पर दावे	929686	662627	984770	1063089	1054791
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	928166	662627	984607	1057523	1051651
1.1.1.2 राज्य सरकारें	1520	0	163	5566	3140
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियां	127735	143	65074	143	142
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	127693	101	65032	100	100
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	43	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	3585837	3668882	3669416	3746760	3692121
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	10380180	9200628	10258354	10307325	10270651
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	15363	9556	8443	7495	7951
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	10364817	9191072	10249911	10299830	10262700
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	9769185	8609733	9648731	9697428	9658374
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	585931	569021	591200	591055	590851
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	9700	12317	9980	11346	13475
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	3070840	2908884	3182059	3156760	3172048
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	2848586	2785182	2959806	2934507	2949794
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	2848800	2785396	2960021	2934722	2950003
3.1.2 विदेशी देयताएं	213	213	214	214	208
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	222253	123702	222253	222253	222253
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25701	25954	25984	25984
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	2433822	2393715	2639366	2696833	2647670
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1058795	1032188	1115978	1091765	1108128
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1375027	1361527	1523388	1605068	1539542
एम₃ (1+2+3+4-5)	15430873	14072865	15416114	15602942	15567784

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018		2019	
		जुलाई 20	जून 21	जुलाई 5	जुलाई 19
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम ₁ (1.1 + 1.2.1+1.3)	3710284	3157840	3549646	3575310	3574572
एन एम ₂ (एन एम ₁ + 1.2.2.1)	8910876	7997479	8812283	8910210	8894299
एन एम ₃ (एन एम ₂ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	15645209	14265212	15601556	15782023	15748004
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2052233	1858933	2116678	2109932	2098713
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	13183179	12030657	13098034	13284077	13261467
1.2.1 मांग जमाराशियां	1626309	1275905	1403284	1428745	1439850
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	11556870	10754751	11694750	11855332	11821616
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5200591	4839638	5262637	5334899	5319727
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	284992	170989	210078	225425	217696
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	6356278	5915113	6432112	6520432	6501889
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	31741	23001	29683	36633	36008
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	378054	352620	357160	351380	351815
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	15656095	14368647	15739073	16002268	15914426
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4387788	4331366	4589112	4809706	4746770
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	801951	662484	919696	1062946	1054649
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	3585837	3668882	3669416	3746760	3692121
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11268307	10037281	11149960	11192561	11167655
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	15363	9556	8443	7495	7951
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11252944	10027725	11141517	11185066	11159704
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	879848	825651	883613	877633	889164
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25701	25954	25984	25984
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2801725	2628575	2891469	2852836	2899819
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848586	2785182	2959806	2934507	2949794
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-46861	-156607	-68336	-81670	-49975
2.4 पूंजी खाता	2346742	2229533	2432604	2371679	2386574
2.5 अन्य मदें (निवल)	491756	528177	622336	727386	705651

सं. 9: कुल चलनिधि राशियां

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2018-19	2019			
		जुलाई	मई	जून	जुलाई
	1	2	3	4	5
1 एन एम₃	15645209	14265212	15607779	15601556	15748004
2 डाकघर जमाराशियां	367287	321698	367287	367287	367287
3 एल₁ (1 + 2)	16012496	14586910	15975066	15968843	16115291
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	2932	2932	2932	2932	2932
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2656	2656	2656	2656	2656
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	31	31	31	31	31
4.3 सावधि जमाराशियां	245	245	245	245	245
5 एल₂ (3 + 4)	16015428	14589842	15977998	15971775	16118223
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	31905	..
7 एल₃ (5 + 6)	16047333	16003680	..

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
		जुलाई 20	जून 21	जुलाई 5	जुलाई 19
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	2136770	1936634	2205926	2197609	2187510
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमा राशियां	601969	516931	539382	546649	570316
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	558496	483231	503248	509969	533013
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमा राशियां	31742	23001	29683	36633	36009
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	2770481	2476567	2774992	2780891	2793835
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	954802	697871	905209	912165	926184
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	801951	662484	919696	1062946	1054649
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	800473	662526	919575	1057423	1051551
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	—	21769	—	66793	65729
2.1.1.1.2 खजाना बिलों में निवेश	—	—	—	—	—
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	927427	639931	983768	989899	985102
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	927427	639931	983768	989899	985102
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	739	927	839	831	820
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमा राशियां	127693	101	65032	100	100
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1478	-42	121	5523	3098
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	137488	25831	-22930	-158276	-136416
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	137488	25831	-22930	-158276	-136416
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	15363	9556	8443	7495	7951
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	2678	2433	2453	2264	2356
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	—	—	—	—	—
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25701	25954	25984	25984
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848587	2785182	2959806	2934507	2949795
2.3.1 सोना	159585	144970	160265	167502	167502
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	2689019	2640230	2799559	2767023	2782310
2.4 पूंजी खाता	970265	965680	983493	942803	956127
2.5 अन्य मदें (निवल)	88530	66508	132485	148962	152001

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	2018-19	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2018	2019				
		जुलाई 20	जून 28	जुलाई 5	जुलाई 12	जुलाई 19	जुलाई 26
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	2770481	2476567	2828612	2780891	2787483	2793835	2768488
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	2136770	1936634	2189484	2197609	2205020	2187510	2175537
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमा राशियां	601969	516931	609537	546649	546675	570316	562936
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमा राशियां	31742	23001	29590	36633	35788	36009	30015
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	801951	662484	992751	1062946	1071685	1054649	1023783
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	137488	25831	-47104	-158276	-159638	-136416	-131846
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	15363	9556	8755	7495	8051	7951	7799
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848587	2785182	2939668	2934507	2935313	2949795	2951066
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25701	25954	25984	25984	25984	25984
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1058795	1032188	1091413	1091765	1093912	1108128	1108298

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार / माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018		2019	
			जुलाई 20	जून 21	जुलाई 5
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमा राशियां	12408835	11276865	12320756	12502977	12478989
1.1.1 मांग जमा राशियां	1511084	1162194	1288837	1313338	1324903
1.1.2 निवासियों की सावधि जमा राशियां	10897751	10114671	11031919	11189639	11154086
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमा राशियां	4903988	4551602	4964363	5035337	5019339
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	284992	170989	210078	225425	217696
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमा राशियां	5993763	5563069	6067555	6154301	6134747
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	378054	352620	357160	351380	351815
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	14028965	12905032	13998280	14119600	14039414
2.1.1 सरकार को ऋण	3378300	3462291	3464634	3542327	3487418
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	10650665	9442740	10533646	10577273	10551996
2.1.2.1 बैंक ऋण	9769185	8609733	9648731	9697428	9658374
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	9727575	8559091	9577312	9626659	9592372
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	8541	11263	8255	7865	8103
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	2053	5053	2008	3308	5317
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	870886	816689	874651	868671	880201
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-46861	-156607	-68336	-81670	-49975
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	262383	136364	245785	231434	262389
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमा राशियां	163718	160273	171718	172299	171595
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	145525	132697	142403	140805	140769
2.3 निवल बैंक रिजर्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	538079	524955	605627	746180	748448
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	565707	483231	503248	509969	533013
2.3.2 उपलब्ध नकदी	74852	67555	79449	77935	79019
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	102480	25831	-22930	-158276	-136416
2.4 पूंजी खाता	1352307	1239683	1424940	1404705	1406276
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	380987	404211	432713	525046	500804
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	397976	333684	347876	359767	358680
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	-48452	-41326	-50188	-55657	-52865

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	29 मार्च, 2019 की स्थिति	2018	2019		
		जुलाई 20	जून 21	जुलाई 5	जुलाई 19
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	3,381,056.1	3,467,345.5	3,466,645.9	3,545,636.0	3,492,737.0
2 वाणिज्यिक पत्र	90,362.0	118,758.8	97,239.6	92,114.1	94,921.7
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	11,535.2	11,778.6	11,579.2	12,108.9	12,039.3
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	69,591.7	74,460.0	69,241.7	69,052.2	67,612.7
3.3 अन्य	6,378.6	4,248.4	5,623.7	5,612.5	5,606.2
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	134,819.0	123,023.3	126,330.9	130,116.3	130,257.5
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	268,782.8	225,306.5	257,390.6	254,316.9	255,658.6
4.3 अन्य	170,046.8	112,641.6	160,465.8	161,112.1	163,140.8
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	20,988.1	69,577.2	55,543.2	52,596.3	59,998.1
5.2 वित्तीय संस्थाएं	98,381.6	76,946.7	91,147.0	91,642.2	90,967.0

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / नियत शुक्रवार की स्थिति									
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
	2018-19	2018		2019		2018-19	2018		2019	
		जुलाई	जून	जुलाई	जुलाई		जुलाई	जून	जुलाई	
1	2	3	4	5	6	7	8			
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	222	223	215	215	147	149	139	139		
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	276,350.2	233,823.6	261,115.5	263,873.0	271,426.2	229,174.8	256,028.1	258,257.0		
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमा राशियां	181,651.4	165,988.6	184,952.6	185,397.0	176,827.7	161,554.9	180,168.7	180,395.0		
1.2 बैंकों से उधार राशि	79,486.7	60,980.7	64,878.0	67,474.0	79,459.1	60,944.9	64,720.2	67,025.0		
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	15,212.1	6,854.4	11,284.9	11,002.0	15,139.3	6,675.1	11,139.2	10,837.0		
2 अन्य के प्रति देयताएं	13,835,975.5	12,739,687.3	13,916,921.1	13,842,223.0	13,495,671.5	12,424,089.3	13,567,386.2	13,489,708.0		
2.1 कुल जमा राशियां	12,901,578.8	11,831,585.7	13,026,758.2	12,973,980.0	12,573,771.8	11,529,873.0	12,691,204.2	12,633,509.0		
2.1.1 मांग	1,542,553.5	1,259,712.3	1,434,822.7	1,330,045.0	1,511,287.3	1,231,127.0	1,403,344.7	1,300,077.0		
2.1.2 मीयादी	11,359,025.3	10,571,873.4	11,591,935.5	11,643,936.0	11,062,484.4	10,298,746.0	11,287,859.5	11,333,433.0		
2.2 उधार	381,863.9	416,636.2	360,893.5	356,130.0	378,253.6	411,737.1	357,468.8	352,572.0		
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	552,532.8	491,465.4	529,269.4	512,113.0	543,646.2	482,479.3	518,713.2	503,627.0		
3 रिजर्व बैंक से उधार	180,688.0	76,295.0	54,185.0	29,570.0	180,688.0	76,295.0	54,185.0	29,570.0		
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2 अन्य	180,688.0	76,295.0	54,185.0	29,570.0	180,688.0	76,295.0	54,185.0	29,570.0		
4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	657,555.4	559,423.4	666,699.7	621,400.0	640,583.7	545,313.9	651,388.2	606,409.0		
4.1 उपलब्ध नकदी	76,554.4	73,516.4	81,165.7	82,232.0	74876.68	71,456.9	79,375.2	80,501.0		
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	581,001.0	485,907.0	585,534.0	539,168.0	565,707.0	473,857.0	572,013.0	525,908.0		
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	372,669.5	318,388.8	368,717.5	367,140.0	327,814.1	280,953.1	319,278.2	315,395.0		
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	245,879.7	218,680.6	263,546.8	259,910.0	223,048.0	202,220.3	239,888.8	236,267.0		
5.1.1 चालू खाते में	17,216.3	15,914.8	19,631.1	20,621.0	13,329.2	13,884.7	16,024.4	18,273.0		
5.1.2 अन्य खातों में	228,663.4	202,765.8	243,915.7	239,289.0	209,718.8	188,335.6	223,864.4	217,994.0		
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	47,046.6	31,581.7	32,524.5	28,441.0	32,252.1	15,220.9	16,512.4	11,892.0		
5.3 बैंकों को अग्रिम	32,950.3	37,519.1	29,711.4	31,009.0	29,635.1	37,262.5	26,552.3	26,891.0		
5.4 अन्य आस्तियां	46,792.9	30,607.4	42,934.7	47,780.0	42,878.9	26,249.5	36,324.7	40,345.0		
6 निवेश	3,475,606.7	3,555,571.0	3,606,079.0	3,598,982.0	3,381,056.1	3,461,396.0	3,503,313.6	3,505,533.0		
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	3,467,844.6	3,548,210.2	3,599,693.1	3,589,898.0	3,379,001.5	3,459,497.3	3,502,669.8	3,502,721.0		
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7,762.1	7,360.8	6,385.9	9,084.0	2,054.7	1,898.7	643.8	2,812.0		
7 बैंक ऋण	10,047,124.8	8,870,224.9	9,985,467.7	9,944,818.0	9,771,722.4	8,616,227.0	9,700,764.7	9,660,502.0		
7क खाद्यान्न ऋण	64,636.0	73,903.0	90,712.0	88,137.0	41,610.0	50,876.0	63,678.0	61,104.0		
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	9,792,287.2	8,650,228.4	9,757,671.7	9,723,777.0	9,521,993.7	8,401,066.8	9,477,239.4	9,443,626.0		
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	27,641.3	21,516.1	27,438.6	25,693.0	26,223.3	19,784.4	26,331.4	24,683.0		
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	160,983.7	137,984.3	140,811.5	136,520.0	158,296.0	135,572.2	138,557.0	134,253.0		
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	24,913.6	23,972.4	24,037.0	23,894.0	24,587.5	23,792.0	23,707.3	23,582.0		
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	41,299.1	36,523.8	35,509.0	34,934.0	40,621.9	36,011.7	34,929.7	34,358.0		

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(करोड़ ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 29, 2019	2018	2019		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			जुलाई 20	जून 21		
	1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	8,674,892	7,678,072	8,547,555	8,561,546	-1.3	11.5
1.1 खाद्यान्न ऋण	41,474	50,480	71,178	65,787	58.6	30.3
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	8,633,418	7,627,592	8,476,377	8,495,759	-1.6	11.4
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1,111,300	1,038,519	1,125,788	1,108,988	-0.2	6.8
1.2.2 उद्योग	2,885,778	2,637,052	2,812,032	2,798,360	-3.0	6.1
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	375,505	359,421	366,185	361,608	-3.7	0.6
1.2.2.2 मझौले	106,395	103,487	105,170	105,214	-1.1	1.7
1.2.2.3 बड़े	2,403,878	2,174,144	2,340,677	2,331,538	-3.0	7.2
1.2.3 सेवाएं	2,415,609	2,007,545	2,284,715	2,312,871	-4.3	15.2
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	138,524	124,286	141,710	140,947	1.7	13.4
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	18,535	18,123	18,312	18,212	-1.7	0.5
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	39,005	36,221	39,603	39,899	2.3	10.2
1.2.3.4 नौवहन	7,748	6,645	6,080	5,879	-24.1	-11.5
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	171,517	154,875	168,679	166,562	-2.9	7.5
1.2.3.6 व्यापार	528,158	462,536	511,576	513,452	-2.8	11.0
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	250,528	202,851	230,096	229,764	-8.3	13.3
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	277,630	259,685	281,479	283,688	2.2	9.2
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	202,291	181,762	205,495	208,627	3.1	14.8
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)	641,208	473,497	635,098	636,733	-0.7	34.5
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	668,623	549,601	558,161	582,558	-12.9	6.0
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	2,220,732	1,944,478	2,253,843	2,275,540	2.5	17.0
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	6,299	20,470	5,770	5,623	-10.7	-72.5
1.2.4.2 आवास	1,160,111	1,006,311	1,187,027	1,199,806	3.4	19.2
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	82,873	64,353	67,105	64,901	-21.7	0.9
1.2.4.4 शेयरों और बाडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	6,265	5,950	5,368	5,396	-13.9	-9.3
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	88,262	74,279	94,890	93,974	6.5	26.5
1.2.4.6 शिक्षा	67,988	68,908	67,641	67,665	-0.5	-1.8
1.2.4.7 वाहन ऋण	202,154	191,823	200,419	201,318	-0.4	4.9
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	606,780	512,383	625,622	636,857	5.0	24.3
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	2,739,021	2,532,437	2,751,954	2,716,953	-0.8	7.3
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1,104,988	1,032,197	1,118,660	1,102,240	-0.2	6.8
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	1,067,175	971,650	1,062,806	1,047,483	-1.8	7.8
1.2अ.2.1 विनिर्माण	375,505	359,421	366,185	361,608	-3.7	0.6
1.2अ.2.2 सेवाएं	691,670	612,229	696,621	685,875	-0.8	12.0
1.2अ.3 आवास	432,703	389,288	440,022	441,976	2.1	13.5
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	24,101	20,754	28,690	31,593	31.1	52.2
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	53,950	57,414	54,237	53,659	-0.5	-6.5
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	397	350	383	385	-3.0	10.0
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	662,628	582,490	701,478	678,242	2.4	16.4
1.2अ.8 निर्यात ऋण	15,566	21,889	14,279	14,155	-9.1	-35.3

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 29, 2019	2018	2019		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			जुलाई 20	जून 21		
	1	2	3	4	5	6
1 उद्योग	2,885,778	2,637,052	2,812,034	2,798,360	-3.0	6.1
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	41,752	41,507	41,129	40,563	-2.8	-2.3
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	157,058	146,626	151,625	150,077	-4.4	2.4
1.2.1 चीनी	29,705	27,238	29,572	28,582	-3.8	4.9
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	21,343	21,524	20,100	19,475	-8.8	-9.5
1.2.3 चाय	4,966	5,143	5,110	5,200	4.7	1.1
1.2.4 अन्य	101,044	92,722	96,844	96,820	-4.2	4.4
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	14,662	13,561	14,376	14,440	-1.5	6.5
1.4 वस्त्र	203,549	201,518	193,595	191,284	-6.0	-5.1
1.4.1 सूती वस्त्र	97,726	100,991	91,947	90,087	-7.8	-10.8
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	2,119	2,051	2,122	2,110	-0.4	2.9
1.4.3 मानव - निर्मित वस्त्र	26,748	24,135	25,984	25,452	-4.8	5.5
1.4.4 अन्य वस्त्र	76,956	74,341	73,542	73,635	-4.3	-0.9
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	11,071	11,141	11,151	11,211	1.3	0.6
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	11,968	11,139	11,691	11,701	-2.2	5.0
1.7 कागज और कागज से बने उत्पाद	30,319	30,164	30,143	29,760	-1.8	-1.3
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आणविक इंधन	63,136	57,979	55,775	53,085	-15.9	-8.4
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	191,484	162,654	174,540	173,212	-9.5	6.5
1.9.1 उर्वरक	40,043	27,425	33,118	34,419	-14.0	25.5
1.9.2 औषधि और दवाइयाँ	50,500	49,564	49,021	48,195	-4.6	-2.8
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	46,717	36,501	39,493	37,900	-18.9	3.8
1.9.4 अन्य	54,224	49,164	52,908	52,698	-2.8	7.2
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	45,803	41,583	45,828	45,843	0.1	10.2
1.11 कांच और कांच के सामान	9,887	9,773	9,832	9,652	-2.4	-1.2
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	55,683	51,957	56,126	57,539	3.3	10.7
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	371,564	380,837	352,015	347,995	-6.3	-8.6
1.13.1 लोहा और स्टील	282,878	290,464	266,162	265,912	-6.0	-8.5
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	88,685	90,372	85,853	82,083	-7.4	-9.2
1.14 सभी अभियांत्रिकी	168,621	153,717	164,574	165,038	-2.1	7.4
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	37,856	33,899	37,942	37,367	-1.3	10.2
1.14.2 अन्य	130,765	119,819	126,631	127,671	-2.4	6.6
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	79,859	75,054	81,419	82,728	3.6	10.2
1.16 रत्न और आभूषण	72,014	68,054	66,218	66,066	-8.3	-2.9
1.17 निर्माण	99,473	90,172	97,160	95,384	-4.1	5.8
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1,055,921	907,704	1,026,481	1,034,716	-2.0	14.0
1.18.1 पावर	568,966	526,848	563,743	568,247	-0.1	7.9
1.18.2 दूरसंचार	115,585	90,863	106,831	112,215	-2.9	23.5
1.18.3 सड़क	186,852	161,767	186,128	188,386	0.8	16.5
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	184,518	128,226	169,778	165,868	-10.1	29.4
1.19 अन्य उद्योग	201,954	181,914	228,356	218,066	8.0	19.9

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2018-19	2018		2019					
		जून, 29	अप्रैल, 26	मई, 10	मई, 24	मई, 31	जून, 07	जून, 21	जून, 28
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	31	31	31	30	31	31	31	31
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	62003.4	53586.3	61812.4	63029.9	61695.6	62344.8	61829.6	61051.4	63649.9
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	18241.3	16902.4	17974.9	17453.7	17368.4	17715.9	18400.1	18111.8	20235.9
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	5842.3	4900.3	5256.5	4737.2	4770.0	4866.0	5838.0	5924.6	5967.4
2.1.1.2 अन्य	9,808.6	8482.4	9664.8	9768.1	9585.9	9906.2	9627.3	8976.4	10064.2
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	870.0	0.0	0.0	70.0	70.0	0.0	0.0	1255.3
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	2590.5	2649.8	3053.6	2948.5	2942.5	2873.8	2934.8	3210.8	2949.1
2.2 मीयादी देयताएं	98531.4	87326.6	98378.8	99975.8	98685.9	99343.7	99374.6	100475.8	104584.1
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	45655.9	41501.9	45572.1	46039.9	45942.2	46246.8	46503.5	47744.6	47559.4
2.2.1.2 अन्य	52194.8	45103.9	52147.6	53261.8	52109.7	52438.6	52202.4	52074.9	53585.7
2.2.2 बैंकों से उधार	0.0	0.6	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1265.3
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	680.7	720.2	657.0	674.1	634.0	658.3	668.7	656.3	2173.6
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	35.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	50375.4	43217.2	46954.3	45891.6	44317.2	47096.2	46448.0	45612.6	45914.7
4.1 मांग	16826.7	15255.3	15187.2	15264.0	14434.8	14109.5	13706.0	13356.7	13687.7
4.2 मीयादी	33548.7	27961.9	31767.1	30627.6	29882.4	32986.7	32741.9	32255.9	32227.0
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	5721.0	4751.2	5443.8	5097.0	5098.6	4846.3	5096.3	5080.5	5290.0
5.1 उपलब्ध नकदी	319.1	312.4	290.9	292.8	296.5	339.2	289.9	310.9	334.7
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	5401.9	4438.7	5152.9	4804.3	4802.1	4507.1	4806.5	4769.6	4955.4
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	1543.2	1067.6	885.9	1086.9	814.0	960.1	853.5	796.5	2213.6
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	30885.3	31178.2	31347.6	31180.9	31133.7	31103.6	30826.2	30656.7	30634.4
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	16190.2	18707.6	14397.3	15632.9	16084.6	15001.4	15802.0	16143.7	17580.3
9 बैंक ऋण (10.1+11)	60089.8	54946.8	62755.7	70426.9	62109.9	62530.9	63753.8	63824.0	63419.8
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	60086.2	54944.5	62755.2	70426.3	62109.4	62530.3	63753.2	63823.4	63419.3
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	82610.9	69328.9	80436.5	79014.2	78638.0	78346.8	77644.7	77866.6	77817.4
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	3.7	2.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2018-19			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	जुलाई 18	जून 19	जुलाई 19	जुलाई 18	जून 19	जुलाई 19	जुलाई 18	जून 19	जुलाई 19
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	139.5	138.4	139.1	142.0	141.0	143.0	140.3	145.6	147.7	141.4	142.7	144.7
1.1 अनाज और उत्पाद	137.7	137.2	137.5	138.4	137.8	138.4	135.6	140.7	141.4	137.5	138.7	139.3
1.2 मांस और मछली	149.5	147.5	148.8	149.3	163.5	163.9	148.6	159.6	160.2	149.1	162.1	162.6
1.3 अंडा	137.3	137.3	137.3	139.3	136.2	138.4	139.1	140.4	142.5	139.2	137.8	140.0
1.4 दूध और उत्पाद	142.7	141.3	142.2	143.4	143.2	143.9	141.0	143.4	144.0	142.5	143.3	143.9
1.5 तेल और चर्बी	124.0	117.6	121.6	124.1	124.3	124.4	116.7	118.6	119.3	121.4	122.2	122.5
1.6 फल	146.8	143.4	145.2	153.3	143.3	146.4	149.7	150.9	154.7	151.6	146.8	150.3
1.7 सब्जी	141.4	142.1	141.6	154.2	140.6	150.2	159.2	169.8	180.1	155.9	150.5	160.3
1.8 दाल और उत्पाद	124.1	115.3	121.1	126.4	128.7	130.6	112.6	127.4	128.9	121.7	128.3	130.0
1.9 चीनी और उत्पाद	111.9	110.8	111.5	114.3	110.6	110.8	111.8	111.8	111.7	113.5	111.0	111.1
1.10 मसाले	138.8	140.7	139.4	138.2	140.4	141.7	140.3	141.0	141.6	138.9	140.6	141.7
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	134.9	127.5	131.8	132.8	138.0	138.5	126.8	129.0	129.5	130.3	134.2	134.7
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	155.3	151.3	153.4	154.8	156.6	156.7	149.4	155.1	155.6	152.3	155.9	156.2
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	159.4	162.9	160.4	156.1	164.2	164.5	161.4	166.7	167.2	157.5	164.9	165.2
3 कपड़ा और जूते	150.3	139.3	145.9	150.6	150.7	151.0	137.9	142.4	143.5	145.6	147.4	148.0
3.1 कपड़ा	151.2	141.0	147.2	151.5	151.4	151.7	139.6	144.3	145.6	146.8	148.6	149.3
3.2 जूते	145.2	129.5	138.7	145.1	146.5	146.6	128.9	131.7	131.9	138.4	140.4	140.5
4 आवास	--	145.6	145.6	--	--	--	143.6	149.4	150.6	143.6	149.4	150.6
5 ईंधन और लाइट	147.0	129.3	140.3	146.8	147.8	146.6	128.1	130.5	127.0	139.7	141.2	139.2
6 विविध	138.6	131.1	134.9	136.0	143.3	144.1	130.2	133.6	134.5	133.2	138.6	139.4
6.1 घरेलू सामान और सेवा	145.9	134.8	140.6	143.1	149.6	150.0	133.6	137.4	137.7	138.6	143.8	144.2
6.2 स्वास्थ्य	143.5	135.5	140.5	139.0	151.7	152.1	133.6	140.3	140.8	137.0	147.4	147.8
6.3 परिवहन और संचार	128.5	120.3	124.2	127.5	130.2	131.2	120.1	119.6	120.6	123.6	124.6	125.6
6.4 मनोरंजन	140.4	130.3	134.7	138.4	146.4	147.5	129.0	134.3	134.9	133.1	139.6	140.4
6.5 शिक्षा	149.4	144.5	146.5	145.8	157.7	159.0	144.0	148.9	150.3	144.7	152.5	153.9
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	132.6	129.9	131.5	131.4	134.8	136.1	128.2	133.7	135.1	130.1	134.3	135.7
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	141.3	137.7	139.6	141.8	143.6	144.9	137.5	142.1	143.3	139.8	142.9	144.2

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2018-19	2018		2019	
				जुलाई	जून	जुलाई	
	1	2	3	4	5	6	
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2001	4.63	300	301	316	319	
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	907	902	950	958	
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	915	910	957	965	

स्रोत : श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2018-19	2018		2019	
		जुलाई	जून	जुलाई	
	1	2	3	4	
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	31,193	30,097	33,121	34,522	
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	38,404	38,592	37,187	39,099	

स्रोत : मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2018-19	2018		2019		
			जुलाई		मई	जून (अ)	जुलाई (अ)
			1	2	3	4	5
1 सभी पण्य	100.000	119.8	119.9	121.6	121.5	121.2	
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	134.2	135.3	140.3	141.4	142.1	
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	143.7	144.8	150.6	151.7	153.7	
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	146.7	142.6	154.3	155.4	157.4	
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	147.3	156.1	163.7	166.8	175.6	
1.1.1.3 दूध	4.440	143.1	143.2	143.4	143.8	143.6	
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	138.0	139.3	144.3	146.0	143.7	
1.1.1.5 मसाले	0.529	129.6	130.5	132.3	133.9	136.0	
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	144.4	140.9	148.5	144.2	142.6	
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	123.1	123.5	127.5	128.7	128.8	
1.1.2.1 फाइबर	0.839	127.0	129.9	134.2	133.9	132.2	
1.1.2.2 तिलहन	1.115	140.5	138.1	147.8	150.0	150.1	
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	107.3	109.6	103.0	106.1	106.6	
1.1.2.4 फूल	0.204	164.1	151.4	225.1	208.3	211.8	
1.1.3 खनिज	0.833	136.5	135.2	153.4	158.0	153.4	
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	123.0	120.7	147.5	153.7	147.5	
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	183.5	186.0	174.0	173.0	174.0	
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	92.4	94.9	92.4	92.5	86.9	
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	104.1	104.4	104.4	102.1	100.6	
1.2.1 कोल	2.138	123.3	123.0	123.6	124.0	124.0	
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	132.9	132.0	133.9	133.9	133.9	
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	120.3	120.0	121.2	129.9	129.9	
1.2.2 खनिज तेल	7.950	96.7	97.5	96.8	94.3	91.4	
1.2.3 बिजली	3.064	109.6	109.6	110.7	107.3	108.3	
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	117.9	117.7	118.6	118.4	118.1	
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	128.6	129.0	129.9	130.4	130.9	
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	136.7	137.6	138.2	140.5	140.2	
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	132.1	123.6	135.0	132.9	132.6	
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	114.3	114.0	113.9	115.6	113.9	
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	117.6	120.2	112.9	112.5	112.3	
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	136.2	137.5	137.0	139.9	140.7	
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	141.6	138.6	143.8	145.0	145.2	
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	116.6	110.4	137.2	135.8	136.8	
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	129.3	129.0	131.1	130.9	132.4	
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	111.2	114.3	116.8	114.5	116.8	
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	126.7	124.9	127.7	128.2	128.3	
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	134.5	133.3	137.8	133.7	132.8	
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	137.7	143.3	139.6	145.5	145.9	
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	122.2	120.7	126.7	124.7	125.9	
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	127.0	125.4	125.8	126.6	131.5	
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	143.6	140.2	156.9	154.5	155.7	
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	157.5	154.8	169.0	172.3	174.6	
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	120.7	119.7	122.7	123.3	123.2	
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	113.8	112.7	115.8	116.5	116.5	
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	120.5	120.1	123.6	124.2	126.9	
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	131.2	129.7	132.0	132.5	129.9	
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	150.4	149.4	153.2	155.1	153.6	
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	150.4	149.4	153.2	155.1	153.6	
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	117.9	117.7	119.6	119.3	119.3	
1.3.4.1 धागों की कटाई और वस्त्र तैयार करना	2.582	110.6	110.3	111.0	110.7	110.5	
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	127.3	127.0	131.0	130.6	130.7	
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	112.9	114.4	114.3	115.2	116.4	
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	130.3	129.9	134.9	134.8	134.9	
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	138.7	138.5	139.6	139.8	140.3	
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	118.3	116.5	116.6	117.3	117.3	
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	138.8	138.6	138.3	138.7	137.1	
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	139.4	139.6	139.6	139.6	137.7	
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	137.0	135.9	134.9	136.3	135.4	

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2018-19	2018		2019	
			जुलाई	मई	जून (अ)	जुलाई (अ)
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	0.535	121.8	123.7	119.2	119.2	118.3
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगाई	0.142	111.0	116.9	107.0	106.0	106.1
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	134.7	135.7	134.9	136.3	136.2
1.3.6.3 जुते चप्पल	0.318	123.5	123.8	120.9	121.1	119.5
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और काँक के उत्पाद	0.772	133.5	132.4	134.7	134.6	134.2
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	124.5	122.8	126.4	126.6	125.2
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॉमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पैनल और बोर्ड	0.493	136.3	135.2	135.8	134.9	134.5
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	158.7	156.5	174.6	175.5	175.5
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	124.1	123.4	126.9	129.2	129.5
1.3.8 कागज और कागज के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	123.3	122.3	123.0	122.7	122.3
1.3.8.1 लुगदी, कागज और कागज बोर्ड	0.493	129.3	127.2	128.2	127.9	126.7
1.3.8.2 लहरदार कागज और पेपर बोर्ड और कागज के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	116.5	117.4	115.1	114.7	115.5
1.3.8.3 कागज की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	120.6	119.6	122.9	122.6	122.3
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	146.6	147.5	148.5	148.6	150.1
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	146.6	147.5	148.5	148.6	150.1
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	119.1	118.3	119.8	119.3	118.8
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	125.0	123.8	125.4	124.1	122.2
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	121.1	119.3	123.1	123.3	123.1
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	117.6	118.3	116.0	114.3	113.5
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रीकेमिकल उत्पाद	0.454	120.2	119.1	124.0	123.9	125.0
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	112.7	111.3	115.7	115.6	116.1
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	116.8	116.3	118.8	120.2	119.6
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	116.6	116.8	115.9	115.2	114.8
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	104.0	103.9	101.3	100.4	100.0
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	123.5	123.1	125.6	125.5	126.2
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	123.5	123.1	125.6	125.5	126.2
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	109.6	109.5	109.4	109.1	109.2
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.9	98.8	99.5	99.3	99.3
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	91.7	91.0	92.7	93.1	93.1
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	117.6	117.6	116.8	116.3	116.5
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	115.9	115.9	118.5	118.2	117.5
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	121.4	119.1	125.1	125.5	124.9
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	111.1	110.8	107.7	109.5	110.4
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	98.0	96.6	99.2	100.5	102.5
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	112.7	112.5	114.5	114.5	114.5
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	114.3	114.3	122.6	121.7	120.4
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	121.5	121.9	120.8	120.6	120.9
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	118.8	118.3	119.6	119.6	121.5
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	130.4	136.8	95.2	94.6	90.0
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	112.2	112.1	109.6	108.7	107.3
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	113.0	113.4	105.6	105.4	100.9
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	117.8	117.5	114.0	113.7	112.6
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	99.5	99.6	96.7	96.0	95.0
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद	1.081	110.2	110.0	109.4	108.7	106.5
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद	1.144	119.6	120.7	115.4	113.7	111.6
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	111.7	110.5	109.6	108.5	105.7
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	112.7	113.6	109.5	106.6	101.4
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	126.6	124.8	126.4	128.2	127.3
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	112.2	113.8	109.1	107.9	107.6
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	109.8	108.3	110.9	110.9	115.6
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	126.8	112.5	143.5	142.8	145.6
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	115.1	114.9	117.0	116.4	114.8
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	112.8	111.6	115.4	114.5	114.2
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	127.3	129.2	126.3	126.4	119.2
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरस को छोड़कर	0.145	105.9	108.5	102.6	102.6	100.9
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैमिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	96.3	95.1	102.6	101.6	100.3
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	99.7	99.2	100.1	100.2	100.2
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	123.1	122.8	126.1	125.2	126.3
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	111.8	110.8	111.6	111.4	111.4
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	100.9	101.8	99.1	98.3	97.9
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	132.5	127.3	135.0	135.0	135.0

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2018-19	2018	2019		
			जुलाई	मई	जून (अ)	जुलाई (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	116.7	116.4	116.8	116.7	116.9
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	103.8	103.0	102.3	102.2	102.2
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	109.1	109.2	112.1	112.1	112.5
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	137.9	138.9	136.6	136.6	136.6
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	103.2	103.0	103.6	103.6	104.2
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	108.7	112.1	109.3	109.3	109.5
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	111.7	111.5	112.2	111.9	111.3
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	107.7	106.9	109.7	109.6	108.7
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.7	118.4	117.5	117.6	117.5
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	126.1	123.5	119.4	117.2	118.4
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	111.2	111.6	110.3	108.6	108.8
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	108.6	108.8	110.2	111.4	107.6
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	121.6	122.7	120.4	120.4	120.5
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	108.6	107.3	108.6	109.3	109.6
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	111.3	110.9	112.9	113.1	113.5
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	103.0	103.2	104.6	105.4	105.0
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	118.2	117.9	119.4	119.4	119.6
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	108.9	109.0	110.1	110.4	112.2
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	111.2	112.1	110.2	109.8	110.5
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर भट्टियां	0.008	78.2	79.1	79.3	79.3	79.3
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने – उतारने वाले उपकरण	0.285	110.4	109.2	111.3	111.7	110.6
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	129.6	130.2	131.6	131.2	132.2
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	116.9	115.5	119.3	119.7	120.0
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	101.8	99.4	107.2	107.4	108.2
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.7	75.2	76.7	76.7	76.6
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	124.7	121.6	125.2	125.4	125.3
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	119.9	122.4	121.8	121.8	121.8
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	123.8	123.7	125.8	126.0	126.9
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	67.3	67.0	66.6	66.6	66.6
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रैलरों और अर्ध-ट्रैलरों का विनिर्माण	4.969	112.8	112.4	113.8	114.1	114.0
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	113.3	112.9	114.4	114.6	115.2
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	112.2	111.9	113.0	113.6	112.7
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	111.7	111.2	116.9	116.9	116.4
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली – वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	104.7	105.3	106.2	106.2	106.7
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	106.6	106.1	112.9	113.0	112.3
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	127.8	126.3	128.8	128.8	128.4
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	123.5	121.9	125.0	125.1	125.6
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	127.3	125.3	128.7	128.4	128.7
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	127.3	125.3	128.7	128.4	128.7
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	107.0	106.9	104.7	106.2	108.3
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	103.9	104.1	101.4	103.0	105.2
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	174.1	169.9	173.0	177.2	175.9
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	127.4	126.3	127.8	127.8	128.5
1.3.22.4 खेल और खिलाड़ियों	0.005	132.2	129.4	137.8	137.4	136.4
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	159.2	154.9	160.9	161.1	161.0
2 खाद्य सूचकांक	24.378	138.1	138.9	142.8	143.7	145.2

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारांक	2017-18	2018-19	अप्रैल-जून		जून	
				2018-19	2019-20	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	125.3	130.1	126.6	131.2	127.7	130.2
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	104.9	107.9	105.0	108.2	104.9	106.6
1.2 विनिर्माण	77.63	126.6	131.5	127.3	131.3	128.6	130.1
1.3 बिजली	7.99	149.2	156.9	159.4	170.9	159.9	173.0
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	121.8	126.1	125.3	128.5	127.1	127.7
2.2 पूंजीगत माल	8.22	105.6	108.4	104.4	101.9	109.5	102.4
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	125.1	126.2	121.8	133.2	121.8	136.9
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	132.0	141.7	139.7	142.9	142.4	139.8
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	123.6	130.4	130.5	129.1	133.6	126.2
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	139.9	145.5	133.3	143.0	128.5	138.5

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में

(करोड़ ₹)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल - जुलाई			
	2019-20 (बजट अनुमान)	2019-20 (वर्तमान)	2018-19 (वर्तमान)	बजट अनुमान का प्रतिशत	
				2019-20	2018-19
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्ति	1962761	382610	335736	19.5	19.5
1.1 कर राजस्व (निवल)	1649582	338705	292611	20.5	19.8
1.2 करेतर राजस्व	313179	43905	43125	14.0	17.6
2 पूंजीगत प्राप्ति	119828	17063	13731	14.2	14.9
2.1 ऋण की वसूली	14828	4705	4512	31.7	37.0
2.2 अन्य प्राप्ति	105000	12358	9219	11.8	11.5
3 कुल प्राप्ति (1+2)	2082589	399673	349467	19.2	19.2
4 राजस्व व्यय	2447780	839673	778387	34.3	36.3
4.1 ब्याज भुगतान	660471	183524	180844	27.8	31.4
5 पूंजी व्यय	338569	107605	111337	31.8	37.1
6 कुल व्यय (4+5)	2786349	947278	889724	34.0	36.4
7 राजस्व घाटा (4-1)	485019	457063	442651	94.2	106.4
8 राजकोषीय घाटा (6-(1+2.1+2.2))	703760	547605	540257	77.8	86.5
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	43289	364081	359413	841.0	741.3

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और यूनिशन बजट 2018-19।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2018-19	2018	2019						
		जुलाई 20	जून 21	जून 28	जुलाई 5	जुलाई 12	जुलाई 19	जुलाई 26	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1 91-दिवसीय									
1.1 बैंक	18521	47088	29460	29701	32371	27672	25743	24102	
1.2 प्राथमिक व्यापारी	17878	16213	15245	16704	13739	12861	11644	10211	
1.3 राज्य सरकारें	26999	70860	57132	59642	59997	60419	56899	44396	
1.4 अन्य	27747	50016	79308	82522	81062	84968	86254	87786	
2 182-दिवसीय									
2.1 बैंक	31953	32665	46854	46323	46337	49187	52322	55667	
2.2 प्राथमिक व्यापारी	38738	40618	56351	59538	58499	57085	54590	53898	
2.3 राज्य सरकारें	28036	33285	8786	6276	6604	6616	6501	4504	
2.4 अन्य	18567	23036	22296	22633	24621	25265	26608	25847	
3 364-दिवसीय									
3.1 बैंक	48811	39922	47900	51139	50334	51321	51738	51756	
3.2 प्राथमिक व्यापारी	74170	72208	88732	88436	80982	79433	80078	80333	
3.3 राज्य सरकारें	18892	14942	15895	15895	16035	16200	16200	17200	
3.4 अन्य	62393	49326	48713	45808	53941	53908	52896	52741	
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती									
4.1 बैंक									
4.2 प्राथमिक व्यापारी									
4.3 राज्य सरकारें	165605	142143	132238	121965	80788	61545	65148	115097	
4.4 अन्य	252	739	1045	230	232	193	275	215	
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	412704	490179	516673	524618	524523	524935	521472	508440	

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं हैं। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(करोड़ ₹)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां				स्वीकृत बोलियां				कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य						
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
91-दिवसीय खज़ाना बिल												
2019-20												
जुलाई 3	7,000	70	34593	2302	33	6998	2302	9300	98.53	5.9841		
जुलाई 10	7,000	69	59534	6004	14	6996	6004	13000	98.56	5.8602		
जुलाई 17	7,000	74	64632	1904	15	6996	1904	8900	98.59	5.7364		
जुलाई 24	7,000	66	68194	2603	23	6997	2603	9600	98.59	5.7364		
जुलाई 31	7,000	58	70201	5250	16	7000	5250	12250	98.61	5.6539		
182-दिवसीय खज़ाना बिल												
2019-20												
जुलाई 3	5,000	66	19756	611	31	5000	611	5611	97.04	6.1173		
जुलाई 10	5,000	72	18770	10	33	4990	10	5000	97.08	6.0322		
जुलाई 17	5,000	82	25418	0	22	5000	0	5000	97.13	5.9258		
जुलाई 24	5,000	81	20579	0	53	5000	0	5000	97.12	5.9471		
जुलाई 31	5,000	76	28869	0	17	5000	0	5000	97.15	5.8833		
364-दिवसीय खज़ाना बिल												
2019-20												
जुलाई 3	4,000	44	11810	6	18	3994	6	4000	94.24	6.1288		
जुलाई 10	4,000	62	13264	0	28	4000	0	4000	94.30	6.0611		
जुलाई 17	4,000	96	22111	1	26	3999	1	4000	94.37	5.9823		
जुलाई 24	4,000	84	16645	1000	37	4000	1000	5000	94.37	5.9823		
जुलाई 31	4,000	72	15529	0	23	4000	0	4000	94.41	5.9372		

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार		दरों का दायरा		भारित औसत दरें
		उधार लेना/उधार देना		उधार लेना/उधार देना
		1		2
जुलाई	1, 2019	4.40-5.90		5.74
जुलाई	2, 2019	4.40-6.05		5.71
जुलाई	3, 2019	4.40-5.90		5.65
जुलाई	4, 2019	4.40-5.90		5.67
जुलाई	5, 2019	4.40-5.80		5.53
जुलाई	6, 2019	4.50-5.80		5.52
जुलाई	8, 2019	4.40-5.90		5.65
जुलाई	9, 2019	4.40-5.85		5.63
जुलाई	10, 2019	4.40-5.85		5.62
जुलाई	11, 2019	4.40-5.90		5.58
जुलाई	12, 2019	4.40-5.85		5.63
जुलाई	15, 2019	4.40-5.80		5.59
जुलाई	16, 2019	4.40-5.75		5.55
जुलाई	17, 2019	4.40-5.75		5.56
जुलाई	18, 2019	4.40-5.75		5.57
जुलाई	19, 2019	4.40-6.00		5.69
जुलाई	20, 2019	4.10-5.95		5.63
जुलाई	22, 2019	4.40-5.80		5.64
जुलाई	23, 2019	4.40-5.75		5.58
जुलाई	24, 2019	4.40-5.75		5.58
जुलाई	25, 2019	4.40-5.80		5.61
जुलाई	26, 2019	4.40-5.75		5.56
जुलाई	29, 2019	4.40-5.75		5.60
जुलाई	30, 2019	4.40-5.75		5.54
जुलाई	31, 2019	4.40-5.80		5.61
अगस्त	1, 2019	4.40-5.75		5.56
अगस्त	2, 2019	4.40-5.80		5.59
अगस्त	3, 2019	4.00-5.75		5.39
अगस्त	5, 2019	4.40-5.80		5.56
अगस्त	6, 2019	4.40-5.80		5.63
अगस्त	7, 2019	4.40-5.75		5.50
अगस्त	8, 2019	4.10-5.65		5.27
अगस्त	9, 2019	4.10-5.50		5.32
अगस्त	13, 2019	4.10-5.50		5.31
अगस्त	14, 2019	4.10-5.50		5.33

टिप्पणी : नोटिस मुद्रा सहित।

सं. 27: जमा प्रमाणपत्र

मद	2018	2019			
	जुलाई 20	जून 7	जून 21	जुलाई 5	जुलाई 19
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	163850.66	218665.83	215944.00	231054.00	224039.00
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	9735.75	19162.74	28069.79	26801.37	10406.96
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.65-8.60	6.35-8.00	5.97-6.96	5.95-7.36	5.86-7.36

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2018	2019			
	जुलाई 31	जून 15	जून 30	जुलाई 15	जुलाई 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	639529.66	556177.60	503943.30	544981.40	509412.80
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	167712.25	107868.85	107691.05	81216.10	119806.65
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.19-12.47	5.87-13.97	5.79-11.89	5.81-13.19	5.69-14.47

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

मद	2018-19	2018	2019					
		जुलाई 20	जून 21	जून 28	जुलाई 5	जुलाई 12	जुलाई 19	जुलाई 26
		1	2	3	4	5	6	7
1 मांग मुद्रा	31,280	24,586.0	39,762.1	31,500.5	22,233.2	23,313.9	22,357.7	24,990.9
2 नोटिस मुद्रा	4,930	9,600.4	405.9	5,684.9	5,985.4	288.1	10,947.4	294.5
3 मीयादी मुद्रा	740	1,393.0	849.4	1,259.0	944.5	707.0	816.4	569.6
4 सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रिपो	2,130.1	232,246.5	259,489.9	298,523.3	232,743.9	228,941.3	259,825.6	253,638.1
5 बाजार रिपो	200,970.0	203,407.5	206,779.3	255,193.7	201,201.7	209,802.3	213,252.4	165,619.3
6 कार्पोरेट बांड में रिपो		188.0	4,644.6	3,404.0	1,253.4	2,456.0	4,120.8	120.0
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67,793	57,246	64,690	77,216	63,314	58,869	59,236	59,156
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	65,800	76,687.5	178,072.8	130,125.1	105,357.2	189,627.4	159,471.0	106,224.4
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	4,320	4,563.0	8,041.3	4,573.7	7,390.2	5,840.3	7,222.9	6,809.0
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	3,380	3,599.5	5,173.2	4,985.5	3,485.7	1,445.8	1,946.8	3,733.6
10.2 182-दिवसीय	1,450	861.2	2,403.0	2,883.5	2,567.9	4,007.4	3,501.9	2,022.2
10.3 364-दिवसीय	1,620	1,128.9	1,705.8	2,831.4	5,974.7	4,588.6	6,588.7	4,225.3
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	1,400	1,538.2	-	-	-	-	-	-
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	77970.0	88,378.2	195,396.1	145,399.3	124,775.7	205,509.4	178,731.2	123,014.5
11.1 भारतीय रिजर्व बैंक	-	2026	2788	15	34	868	41	5

टिप्पणी : मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) खंड को समाप्त किया गया तथा उसके स्थान पर 5 नवंबर 2018से त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(करोड़ ₹)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2018-19		2018-19(अप्रैल-जुलाई)		2019-20(अप्रैल-जुलाई)*		जुलाई 2018		जुलाई 2019 *	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	129	16754	57	10314	33	54992	13	5057	8	2188
1ए प्रीमियम	124	16083	56	10046	33	33549	13	4949	8	1969
1.1 पब्लिक	119	14606	53	9186	25	3908	11	4079	5	500
1.1.1 प्रीमियम	115	14123	52	8997	25	3805	11	4046	5	483
1.2 राइट्स	10	2149	4	1128	8	51083	2	978	3	1689
1.2.1 प्रीमियम	9	1962	4	1049	8	29744	2	903	3	1485
2 अधिमान शेयर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 डिबेंचर	25	36680	7	21048	10	4091	2	5629	—	—
3.1 परिवर्तनीय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अपरिवर्तनीय	25	36680	7	21048	10	4091	2	5629	—	—
3.1.1 पब्लिक	25	36680	7	21048	10	4091	2	5629	—	—
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 बांड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 कुल (1+2+3+4)	154	53432	64	31361	43	59083	15	10686	8	2188
5.1 पब्लिक	144	51284	60	30234	35	8000	13	9708	5	500
5.2 राइट्स	10	2149	4	1128	8	51083	2	978	3	1689

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

टिप्पणी : अप्रैल 2018 से मासिक डाटा का समेकन निर्गम की समाप्ति की तारीख के आधार पर की जाती है जबकि पूर्व में समेकन का कार्य निर्गम चालू होने की तारीख के आधार पर किया जाता था।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2018-19	2018		2019			
		1	जुलाई	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई
			2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड़ ₹	2,307,726.2	176,914.6	227,370.0	181,253.6	209,236.6	173,678.9	181,190.3
	अमेरिकी मिलियन डालर	330,078.1	25,754.2	32,725.2	26,106.9	29,988.2	25,011.8	26,332.6
1.1 तेल	करोड़ ₹	325,929.1	26,395.8	25,130.0	25,441.4	36,071.0	18,973.2	25,115.0
	अमेरिकी मिलियन डालर	46,553.6	3,842.6	3,616.9	3,664.5	5,169.8	2,732.4	3,650.0
1.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	1,981,797.1	150,518.8	202,240.0	155,812.2	173,165.7	154,705.8	156,075.3
	अमेरिकी मिलियन डालर	283,524.5	21,911.7	29,108.2	22,442.5	24,818.4	22,279.4	22,682.6
2 आयात	करोड़ ₹	3,594,674.6	304,916.8	303,555.1	287,539.3	316,474.5	280,075.5	273,579.7
	अमेरिकी मिलियन डालर	514,078.4	44,388.1	43,690.4	41,415.8	45,357.7	40,334.1	39,759.7
2.1 तेल	करोड़ ₹	986,275.1	84,707.6	81,847.5	79,483.2	87,061.7	76,876.2	66,056.8
	अमेरिकी मिलियन डालर	140,920.6	12,331.3	11,780.2	11,448.4	12,477.8	11,071.1	9,600.1
2.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	2,608,399.6	220,209.2	221,707.6	208,056.1	229,412.8	203,199.2	207,522.9
	अमेरिकी मिलियन डालर	373,157.8	32,056.8	31,910.2	29,967.4	32,879.8	29,263.0	30,159.6
3 व्यापार शेष	करोड़ ₹	-1,286,948.4	-128,002.2	-76,185.1	-106,285.8	-107,237.8	-106,396.5	-92,389.4
	अमेरिकी मिलियन डालर	-184,000.3	-18,633.8	-10,965.3	-15,308.9	-15,369.5	-15,322.3	-13,427.1
3.1 तेल	करोड़ ₹	-660,345.9	-58,311.8	-56,717.5	-54,041.8	-50,990.7	-57,903.0	-40,941.8
	अमेरिकी मिलियन डालर	-94,367.1	-8,488.7	-8,163.3	-7,783.9	-7,308.1	-8,338.7	-5,950.1
3.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	-626,602.5	-69,690.4	-19,467.6	-52,243.9	-56,247.1	-48,493.5	-51,447.6
	अमेरिकी मिलियन डालर	-89,633.3	-10,145.1	-2,802.0	-7,525.0	-8,061.4	-6,983.6	-7,477.0

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2018	2019						
		1	अगस्त 24	जुलाई 19	जुलाई 26	अगस्त 2	अगस्त 9	अगस्त 16	अगस्त 23
			2	3	4	5	6	7	
1 कुल भंडार	करोड़ ₹	2,809,760	2,963,555	2,962,028	2,981,119	3,045,640	3,059,903	3,078,248	
	अमेरिकी मिलियन डालर	401,293	430,376	429,649	428,952	430,572	430,501	429,051	
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड़ ₹	2,639,680	2,761,770	2,753,153	2,771,077	2,820,547	2,831,145	2,849,226	
	अमेरिकी मिलियन डालर	376,592	401,091	399,357	398,724	398,739	398,327	397,129	
1.2 स्वर्ण	करोड़ ₹	142,460	167,502	174,624	174,884	189,253	192,691	192,762	
	अमेरिकी मिलियन डालर	20,763	24,304	25,330	25,164	26,755	27,111	26,867	
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1,054	1,047	1,047	1,047	1,047	1,046	1,046	
	करोड़ ₹	10,320	9,964	9,957	9,971	10,196	10,221	10,285	
	अमेरिकी मिलियन डालर	1,472	1,447	1,444	1,435	1,441	1,438	1,434	
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड़ ₹	17,300	24,320	24,294	25,188	25,644	25,846	25,975	
	अमेरिकी मिलियन डालर	2,467	3,534	3,518	3,630	3,636	3,626	3,621	

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(अमेरिकी मिलियन डालर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2018-19	2018	2019		2018-19	2019-20
		जुलाई	जून	जुलाई	अप्रैल-जुलाई	अप्रैल-जुलाई
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	130,423	124,866	133,586	133,110	4,312	3,039
1.1 एफसीएनआर (बी)	23,170	22,777	24,364	23,959	751	789
1.2 एनआर (ई) आरए	92,017	88,111	93,422	93,211	2,941	1,496
1.3 एनआरओ	15,236	13,977	15,801	15,940	619	754

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	2018-19	2018-19	2019-20	2018	2019	
		अप्रैल-जुलाई	अप्रैल-जुलाई	जुलाई	जून	जुलाई
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	30,712	11,381	18,301	1,809	7,000	3,812
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	43,302	15,932	21,929	2,806	7,845	4,598
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	62,001	21,117	27,261	4,157	9,198	5,951
1.1.1.1.1 ईक्विटी	45,055	15,740	21,021	2,826	7,336	4,529
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	2,429	1,544	2,766	3	2,444	50
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	36,315	12,016	15,953	1,978	4,628	3,761
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	5,622	1,961	2,083	788	210	661
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	689	219	219	56	54	56
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	13,672	4,342	4,342	1,115	1,076	1,115
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	3,274	1,034	1,898	217	785	308
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	18,699	5,185	5,332	1,352	1,353	1,353
1.1.1.2.1 ईक्विटी	18,452	5,119	5,301	1,298	1,341	1,341
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	247	66	31	54	12	12
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	12,590	4,551	3,628	997	844	786
1.1.2.1 ईक्विटी पूंजी	7,201	2,960	1,553	634	372	326
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3,032	1,011	1,011	253	253	253
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5,202	1,106	1,575	360	347	334
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	2,845	526	511	250	127	127
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	-618	-3,314	2,625	4,831	1,053	-1,313
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	1,820	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	-2,225	-4,535	3,220	4,571	1,658	-708
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	213	-1,221	595	-261	605	605
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	30,094	8,067	20,926	6,640	8,053	2,498

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	2018-19	2018	2019		
		जुलाई	मई	जून	जुलाई
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	13,787.6	1,222.9	1,486.1	1,407.5	1,691.6
1.1 जमाराशियां	455.9	33.3	50.2	37.4	49.6
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	84.5	5.6	9.4	3.9	6.5
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	422.9	27.6	31.6	28.6	30.1
1.4 उपहार	1,370.2	113.4	154.2	130.9	151.2
1.5 दान	8.7	0.4	2.8	0.9	1.1
1.6 यात्रा	4,803.8	449.8	568.3	595.9	653.5
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2,800.9	232.5	300.0	230.2	292.8
1.8 चिकित्सा उपचार	28.6	2.5	2.5	2.2	3.1
1.9 विदेश में शिक्षा	3,569.9	343.6	334.4	353.9	477.6
1.10 अन्य	242.2	14.3	32.7	23.5	26.2

**सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)**

मद	2017-18	2018-19	2018	2019	
			अगस्त	जुलाई	अगस्त
	1	2	3	4	5
36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	76.94	72.64	73.43	74.68	73.33
1.2 रीर	119.71	114.01	115.71	117.45	115.32
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	78.89	74.18	74.88	76.28	74.68
2.2 रीर	121.94	116.32	118.02	120.24	117.73
6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक					
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100					
1.1 नीर	67.91	63.07	63.84	65.12	63.67
1.2 रीर	129.19	121.70	123.63	125.02	122.35
2 आधार : 2017-18 (अप्रैल-मार्च) =100					
2.1 नीर	100.00	92.88	94.01	95.89	93.76
2.2 रीर	100.00	94.20	95.70	96.77	94.71

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार — पंजीकरण

(राशि मिलियन अमरिकी डालर में)

मद	2018-19	2018	2019	
		जुलाई	जून	जुलाई
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	999	85	104	90
1.2 राशि	28,387	1,175	3,499	3,418
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	21	1	5	3
2.2 राशि	13,537	1,000	1,900	1,563
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1,020	86	109	93
3.2 राशि	41,924	2,175	5,399	4,981
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.20	5.20	4.80	5.70
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.20	1.33	1.59	1.38
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-15.00	0.00-12.00	0.00-9.53	0.00-11.20

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	जनवरी-मार्च 2018 (आं.सं)			जनवरी-मार्च 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	329,455	316,218	13,237	324,141	309,979	14,162
1 चालू खाता (1.1+1.2)	156,683	169,750	-13,066	165,160	169,807	-4,647
1.1 पण्य	82,218	123,841	-41,623	87,367	122,581	-35,214
1.2 अदृश्य मर्चे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	74,466	45,909	28,557	77,792	47,226	30,567
1.2.1 सेवाएं	51,585	31,421	20,164	54,630	33,299	21,331
1.2.1.1 यात्रा	7,710	4,728	2,983	7,583	5,112	2,470
1.2.1.2 परिवहन	4,688	4,941	-253	5,154	5,436	-282
1.2.1.3 बीमा	638	370	268	720	603	117
1.2.1.4 जीएनआईई	179	305	-126	156	285	-129
1.2.1.5 विविध	38,370	21,076	17,293	41,018	21,863	19,155
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	19,906	1,345	18,561	21,439	1,571	19,868
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	9,936	9,433	503	10,290	11,109	-820
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1,686	1,171	515	1,111	618	494
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	600	263	337	760	336	424
1.2.2 अंतरण	18,100	1,887	16,213	17,972	1,812	16,160
1.2.2.1 आधिकारिक	30	219	-190	69	226	-157
1.2.2.2 निजी	18,070	1,668	16,402	17,903	1,587	16,317
1.2.3 आय	4,781	12,601	-7,820	5,190	12,115	-6,925
1.2.3.1 निवेश आय	3,651	11,984	-8,333	4,033	11,521	-7,488
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षति पूर्ति	1,129	617	513	1,157	593	564
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	171,492	146,468	25,024	158,982	139,740	19,241
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	85,777	77,094	8,683	93,816	77,960	15,856
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	13,840	7,432	6,408	16,654	10,235	6,420
2.1.1.1 भारत में	13,097	4,492	8,605	15,461	5,671	9,790
2.1.1.1.1 इक्विटी	9,096	4,458	4,638	11,058	5,636	5,422
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3,393	-	3,393	3,650	-	3,650
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	608	34	574	753	36	718
2.1.1.2 विदेश में	743	2,941	-2,198	1,193	4,563	-3,370
2.1.1.2.1 इक्विटी	743	1,263	-520	1,193	1,683	-489
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	713	-713	0	758	-758
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	964	-964	0	2,123	-2,123
2.1.2 संविभाग निवेश	71,937	69,661	2,276	77,162	67,726	9,436
2.1.2.1 भारत में	71,802	69,427	2,376	76,807	65,338	11,469
2.1.2.1.1 एफआईआई	71,802	69,427	2,376	76,807	65,338	11,469
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	58,274	56,148	2,126	58,600	50,602	7,998
2.1.2.1.1.2 ऋण	13,528	13,279	249	18,207	14,736	3,471
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	-	0
2.1.2.2 विदेश में	135	235	-100	355	2,388	-2,033
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	40,835	33,870	6,965	31,255	20,997	10,258
2.2.1 बाह्य सहायता	2,686	1,257	1,430	2,554	1,301	1,253
2.2.1.1 भारत द्वारा	14	31	-17	12	30	-18
2.2.1.2 भारत को	2,673	1,225	1,447	2,542	1,271	1,271
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	13,581	12,589	992	17,993	10,456	7,537
2.2.2.1 भारत द्वारा	6,134	6,098	36	7,291	7,000	292
2.2.2.2 भारत को	7,447	6,491	956	10,702	3,456	7,246
2.2.3 भारत को अल्पावधि	24,568	20,025	4,543	10,708	9,241	1,468
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	22,951	20,025	2,926	10,052	9,241	812
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	1,617	0	1,617	656	0	656
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	31,834	27,205	4,629	21,606	29,670	-8,064
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	31,751	27,205	4,547	20,599	29,668	-9,069
2.3.1.1 आस्तियां	7,132	10,960	-3,829	443	16,542	-16,099
2.3.1.2 देयताएं	24,620	16,244	8,375	20,156	13,127	7,029
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	20,068	15,432	4,636	14,974	11,563	3,411
2.3.2 अन्य	83	0	83	1,007	1	1,006
2.4 रुपया ऋण चुकौती	-	50	-50	-	7	-7
2.5 अन्य पूंजी	13,045	8,250	4,795	12,304	11,107	1,197
3 भूल-चूक	1,279	-	1,279	-	431	-431
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	13,237	-13,237	0	14,162	-14,162
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	13,237	-13,237	0	14,162	-14,162

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	जनवरी-मार्च 2018 (आं.सं)			जनवरी-मार्च 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	2,119,845	2,034,674	85,171	2,284,475	2,184,661	99,814
1 चालू खाता (1.1+1.2)	1,008,164	1,092,238	-84,074	1,164,009	1,196,763	-32,754
1.1 पण्य	529,021	796,841	-267,820	615,745	863,926	-248,181
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	479,143	295,397	183,745	548,264	332,837	215,427
1.2.1 सेवाएं	331,921	202,176	129,745	385,022	234,684	150,338
1.2.1.1 यात्रा	49,610	30,419	19,191	53,440	36,030	17,411
1.2.1.2 परिवहन	30,167	31,795	-1,628	36,323	38,310	-1,987
1.2.1.3 बीमा	4,106	2,384	1,723	5,072	4,249	823
1.2.1.4 जीएनआईई	1,152	1,966	-813	1,101	2,009	-908
1.2.1.5 विविध	246,886	135,613	111,273	289,085	154,086	134,999
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	128,084	8,654	119,431	151,099	11,073	140,026
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	63,932	60,693	3,238	72,520	78,297	-5,777
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	10,850	7,536	3,313	7,832	4,353	3,479
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	3,859	1,691	2,168	5,353	2,365	2,988
1.2.2 अंतरण	116,461	12,143	104,318	126,664	12,772	113,892
1.2.2.1 आधिकारिक	192	1,412	-1,220	486	1,590	-1,104
1.2.2.2 निजी	116,269	10,731	105,538	126,178	11,182	114,996
1.2.3 आय	30,760	81,078	-50,318	36,578	85,381	-48,803
1.2.3.1 निवेश आय	23,493	77,110	-53,617	28,422	81,198	-52,776
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	7,267	3,967	3,300	8,156	4,183	3,973
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1,103,448	942,436	161,013	1,120,466	984,859	135,607
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	551,925	496,052	55,873	661,194	549,446	111,748
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	89,051	47,822	41,229	117,377	72,131	45,246
2.1.1.1 भारत में	84,270	28,901	55,369	108,965	39,968	68,997
2.1.1.1.1 इक्विटी	58,525	28,684	29,841	77,934	39,718	38,216
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	21,833	0	21,833	25,723	0	25,723
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	3,912	218	3,694	5,309	250	5,058
2.1.1.2 विदेश में	4,781	18,921	-14,140	8,411	32,162	-23,751
2.1.1.2.1 इक्विटी	4,781	8,129	-3,348	8,411	11,860	-3,449
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	4,589	-4,589	0	5,343	-5,343
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	6,203	-6,203	0	14,960	-14,960
2.1.2 संविभाग निवेश	462,874	448,230	14,644	543,817	477,315	66,502
2.1.2.1 भारत में	462,006	446,719	15,287	541,318	460,488	80,830
2.1.2.1.1 एफआईआई	462,006	446,719	15,287	541,318	460,488	80,830
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	374,960	361,278	13,682	412,998	356,633	56,365
2.1.2.1.1.2 ऋण	87,046	85,441	1,605	128,320	103,855	24,464
2.1.2.1.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	868	1,511	-643	2,499	16,827	-14,328
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	262,752	217,934	44,817	220,281	147,982	72,299
2.2.1 बाह्य सहायता	17,286	8,085	9,200	17,999	9,166	8,833
2.2.1.1 भारत द्वारा	89	200	-112	81	209	-128
2.2.1.2 भारत को	17,197	7,885	9,312	17,918	8,957	8,961
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	87,387	81,002	6,385	126,813	73,691	53,122
2.2.2.1 भारत द्वारा	39,470	39,236	234	51,389	49,334	2,055
2.2.2.2 भारत को	47,917	41,766	6,151	75,424	24,357	51,067
2.2.3 भारत को अल्पावधि	158,079	128,847	29,232	75,469	65,125	10,344
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	147,674	128,847	18,827	70,846	65,125	5,721
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	10,404	0	10,404	4,623	0	4,623
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	204,834	175,046	29,788	152,275	209,105	-56,830
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	204,301	175,046	29,255	145,176	209,094	-63,919
2.3.1.1 आस्तियां	45,888	70,522	-24,635	3,121	116,581	-113,460
2.3.1.2 देयताएं	158,413	104,523	53,890	142,054	92,513	49,541
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	129,128	99,296	29,832	105,531	81,492	24,039
2.3.2 अन्य	533	1	533	7,099	10	7,089
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	319	-319	0	50	-50
2.5 अन्य पूंजी	83,938	53,084	30,854	86,716	78,277	8,439
3 भूल-चूक	8,232	0	8,232	0	3,039	-3,039
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	85,171	-85,171	0	99,814	-99,814
4.1 आईएमएफ	-	-	-	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	0	85,171	-85,171	0	99,814	-99,814

टिप्पणी : पी: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	जनवरी-मार्च 2018 (आं.सं)			जनवरी-मार्च 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	156,683	169,730	-13,047	165,158	169,786	-4,628
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)	133,803	155,262	-21,459	141,998	155,880	-13,883
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	82,218	123,841	-41,623	87,367	122,581	-35,214
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	82,872	116,776	-33,904	86,579	114,412	-27,832
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	-655	0	-655	788	0	788
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	-	7,065	-7,065	-	8,170	-8,170
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	51,585	31,421	20,164	54,630	33,299	21,331
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	55	13	43	78	11	67
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	60	155	-95	41	358	-317
1.अ.ख.3 परिवहन	4,688	4,941	-253	5,154	5,436	-282
1.अ.ख.4 यात्रा	7,710	4,728	2,983	7,583	5,112	2,470
1.अ.ख.5 निर्माण	535	585	-50	747	625	122
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	638	370	268	720	603	117
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1,686	1,171	515	1,111	618	494
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	212	1,704	-1,492	120	1,826	-1,706
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	20,574	1,708	18,866	22,262	2,029	20,233
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	9,936	9,433	503	10,290	11,109	-820
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	480	616	-136	451	649	-198
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	179	305	-126	156	285	-129
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	4,830	5,691	-861	5,917	4,638	1,279
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	4,781	12,601	-7,820	5,190	12,115	-6,925
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1,129	617	513	1,157	593	564
1.आ.2 निवेश आय	2,844	11,841	-8,997	3,390	11,109	-7,719
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1,337	5,968	-4,631	1,411	4,708	-3,297
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	56	2,347	-2,292	71	2,435	-2,364
1.आ.2.3 अन्य निवेश	268	3,515	-3,247	354	3,951	-3,596
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1,183	11	1,173	1,553	15	1,538
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	807	143	664	643	412	231
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	18,099	1,868	16,231	17,970	1,791	16,179
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	18,070	1,668	16,402	17,903	1,587	16,317
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	17,484	1,260	16,224	17,322	1,199	16,123
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	586	408	178	581	387	194
1.इ.2 सामान्य सरकार	29	200	-171	67	204	-138
2 पूँजी खाता (2.1+2.2)	62	105	-43	84	167	-83
2.1 अनुपादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	6	5	1	14	94	-81
2.2 पूँजी अंतरण	56	100	-44	70	72	-3
3 वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	171,430	159,620	11,811	158,900	153,757	5,143
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	13,840	7,432	6,408	16,654	10,235	6,420
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	13,097	4,492	8,605	15,461	5,671	9,790
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	12,489	4,458	8,031	14,708	5,636	9,072
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	9,096	4,458	4,638	11,058	5,636	5,422
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3,393	-	3,393	3,650	-	3,650
3.1.अ.2 ऋण लिखत	608	34	574	753	36	718
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	608	34	574	753	36	718
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	743	2,941	-2,198	1,193	4,563	-3,370
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	743	1,976	-1,234	1,193	2,441	-1,247
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	743	1,263	-520	1,193	1,683	-489
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	-	713	-713	-	758	-758
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	964	-964	0	2,123	-2,123
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	-	964	-964	-	2,123	-2,123
3.2 संविभाग निवेश	71,937	69,661	2,276	77,162	67,726	9,436
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	71,802	69,427	2,376	76,807	65,338	11,469
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	58,274	56,148	2,126	58,600	50,602	7,998
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	13,528	13,279	249	18,207	14,736	3,471
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	135	235	-100	355	2,388	-2,033
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	5,010	5,114	-104	6,425	5,687	739
3.4 अन्य निवेश	80,643	64,175	16,468	58,659	55,948	2,711
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाशियां	20,151	15,432	4,719	15,981	11,564	4,417
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	83	0	83	1,007	1	1,006
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाशियां)	20,068	15,432	4,636	14,974	11,563	3,411
3.4.2.3 सामान्य सरकार	-	-	-	-	-	-
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	27,951	25,618	2,333	26,172	29,862	-3,690
3.4.3अ भारत को ऋण	21,803	19,489	2,313	22,832	22,832	-3,963
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	6,148	6,129	19	7,303	7,030	273
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	41	951	-910	21	364	-344
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	24,568	20,025	4,543	10,708	9,241	1,468
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	7,933	2,149	5,784	5,777	4,917	860
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	-	-	-	-	-	-
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	13,237	-13,237	0	14,162	-14,162
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	-	-	-	-	-	-
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	13,237	-13,237	0	14,162	-14,162
4 कुल आस्तियां / देयताएं	171,430	159,620	11,811	158,900	153,757	5,143
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	76,692	68,882	7,810	81,302	67,117	14,184
4.2 ऋण लिखत	86,806	75,352	11,454	71,822	67,561	4,261
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	7,933	15,386	-7,453	5,777	19,079	-13,303
5 निवल भूल-चूक	1,279	-	1,279	-	431	-431

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(करोड़ ₹)

मद	जनवरी-मार्च 2018			जनवरी-मार्च 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	1,008,160	1,092,113	-83,952	1,163,995	1,196,614	-32,620
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	860,943	999,017	-138,075	1,000,767	1,098,610	-97,843
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	529,021	796,841	-267,820	615,745	863,926	-248,181
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	533,233	751,383	-218,150	610,190	806,347	-196,157
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	-4,211	0	-4,211	5,555	0	5,555
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	45,458	-45,458	0	57,579	-57,579
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	331,921	202,176	129,745	385,022	234,684	150,338
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	356	82	274	552	79	473
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	387	1,000	-613	291	2,524	-2,233
1.अ.ख.3 परिवहन	30,167	31,795	-1,628	36,323	38,310	-1,987
1.अ.ख.4 यात्रा	49,610	30,419	19,191	53,440	36,030	17,411
1.अ.ख.5 निर्माण	3,445	3,767	-323	5,263	4,402	861
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4,106	2,384	1,723	5,072	4,249	823
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	10,850	7,536	3,313	7,832	4,353	3,479
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	1,367	10,964	-9,598	844	12,867	-12,023
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	132,382	10,991	121,391	156,901	14,303	142,598
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	63,932	60,693	3,238	72,520	78,297	-5,777
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	3,088	3,961	-873	3,178	4,571	-1,394
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1,152	1,966	-813	1,101	2,009	-908
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	31,080	36,617	-5,537	41,704	32,690	9,015
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	30,760	81,078	-50,318	36,578	85,381	-48,803
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	7,267	3,967	3,300	8,156	4,183	3,973
1.आ.2 निवेश आय	18,301	76,192	-57,890	23,889	78,292	-54,403
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	8,603	38,401	-29,798	9,947	33,182	-23,235
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	358	15,104	-14,745	498	17,161	-16,663
1.आ.2.3 अन्य निवेश	1,725	22,618	-20,893	2,498	27,843	-25,345
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	7,615	69	7,546	10,946	107	10,840
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	5,192	919	4,273	4,533	2,907	1,626
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	116,458	12,018	104,440	126,649	12,623	114,026
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तोत्तर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	116,269	10,731	105,538	126,178	11,182	114,996
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	112,500	8,106	104,394	122,084	8,454	113,630
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	3,769	2,625	1,144	4,094	2,728	1,365
1.इ.2 सामान्य सरकार	188	1,287	-1,098	472	1,441	-969
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	399	675	-276	589	1,176	-587
2.1 अनुत्पादित वित्तोत्तर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	36	31	5	97	666	-569
2.2 पूँजी अंतरण	363	644	-281	492	510	-18
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	1,103,053	1,027,057	75,996	1,119,892	1,083,646	36,245
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	89,051	47,822	41,229	117,377	72,131	45,246
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	84,270	28,901	55,369	108,965	39,968	68,997
3.1अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	80,358	28,684	51,674	103,657	39,718	63,939
3.1अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	58,525	28,684	29,841	77,934	39,718	38,218
3.1अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	21,833	0	21,833	25,723	0	25,723
3.1अ.2 ऋण लिखत	3,912	218	3,694	5,309	250	5,058
3.1अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	3,912	218	3,694	5,309	250	5,058
3.1आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	4,781	18,921	-14,140	8,411	32,162	-23,751
3.1आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	4,781	12,718	-7,937	8,411	17,203	-8,792
3.1आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	4,781	8,129	-3,348	8,411	11,860	-3,449
3.1आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	4,589	-4,589	0	5,343	-5,343
3.1आ.2 ऋण लिखत	0	6,203	-6,203	0	14,960	-14,960
3.1आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	6,203	-6,203	0	14,960	-14,960
3.2 संविभाग निवेश	462,874	448,230	14,644	543,817	477,315	66,502
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	462,006	446,719	15,287	541,318	460,488	80,830
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	374,960	361,278	13,682	412,998	356,633	56,365
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	87,046	85,441	1,605	128,320	103,855	24,464
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	868	1,511	-643	2,499	16,827	-14,328
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	32,237	32,907	-669	45,285	40,078	5,206
3.4 अन्य निवेश	518,890	412,927	105,963	413,413	394,308	19,105
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमा राशियां	129,662	99,297	30,365	112,631	81,503	31,128
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	533	1	533	7,099	10	7,089
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमा राशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमा राशियां)	129,128	99,296	29,832	105,531	81,492	24,039
3.4.2.3 सामान्य सरकार	-	-	-	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	-	-	-	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	179,845	164,837	15,008	184,456	210,459	-26,003
3.4.3अ भारत को ऋण	140,286	125,400	14,886	132,986	160,916	-27,930
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	39,559	39,437	122	51,470	49,543	1,927
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	264	6,120	-5,856	145	2,568	-2,424
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	158,079	128,847	29,232	75,469	65,125	10,344
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	51,041	13,827	37,214	40,713	34,653	6,059
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	-	-	-	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	85,171	-85,171	0	99,814	-99,814
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	-	-	-	-	-	-
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	-	-	-	-	-	-
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	-	-	-	-	-	-
3.5.5 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	85,171	-85,171	0	99,814	-99,814
4. कुल आस्तियां / देयताएं	1,103,053	1,027,057	75,996	1,119,892	1,083,646	36,245
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	493,468	443,217	50,251	572,995	473,028	99,967
4.2 ऋण लिखत	558,544	484,842	73,701	506,184	476,152	30,032
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	51,041	98,997	-47,956	40,713	134,467	-93,755
5. निवल भूल-चूक	8,232	-	8,232	0	3,039	-3,039

टिप्पणी : पी: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2018-19		2018				2019	
			मार्च		दिसंबर		मार्च	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	169,964	399,199	157,373	378,957	166,594	386,203	169,964	399,199
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	111,122	382,105	103,734	363,190	109,875	369,544	111,122	382,105
1.2 अन्य पूंजी	58,841	17,094	53,640	15,767	56,719	16,659	58,841	17,094
2 संविभाग निवेश	4,699	260,009	3,577	272,151	2,666	245,849	4,699	260,009
2.1 इक्विटी	637	147,479	2,054	155,106	1,386	138,091	637	147,479
2.2 ऋण	4,062	112,530	1,524	117,045	1,280	107,759	4,062	112,530
3 अन्य निवेश	54,538	419,309	48,246	401,166	41,550	401,290	54,538	419,309
3.1 व्यापार ऋण	924	105,191	1,696	103,155	252	103,648	924	105,191
3.2 ऋण	9,884	168,143	8,235	159,820	6,553	160,454	9,884	168,143
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	25,158	130,644	20,790	126,456	17,211	125,997	25,158	130,644
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	18,574	15,332	17,524	11,736	17,534	11,190	18,574	15,332
4 रिज़र्व्स	412,871	–	424,545	–	395,591	–	412,871	–
5 कुल आस्तियां/देयताएं	642,072	1,078,518	633,741	1,052,275	606,401	1,033,342	642,072	1,078,518
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-436,446		-418,533		-426,942		-436,446

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (करोड़ ₹)			
	2018-19	2019			2018-19	2019		
		मई	जून	जुलाई		मई	जून	जुलाई
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 आरटीजीएस	1366.30	124.91	118.26	127.45	171552061	15837963	15299131	16004194
1.1 ग्राहक लेनदेन	1332.96	122.24	115.99	125.07	118436812	10488616	10177608	10886126
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	33.07	2.64	2.24	2.35	17251375	1908766	1824135	1690930
1.3 अंतरबैंक समाशोधन	0.267	0.027	0.024	0.027	35863874	3440581	3297389	3427138
2 सीसीआईएल परिचालित प्रणाली	36.17	3.15	3.10	3.62	116551038	10898782	10918363	11683806
2.1 सीबीएलओ	1.30	—	—	—	18140463	—	—	—
2.2 सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	11.11	1.27	1.48	1.78	50931587	6443830	6828452	7518962
2.2.1 एकमुश्त	8.06	0.86	1.11	1.36	9355007	1032918	1507446	1766292
2.2.2 रिपो	2.162	0.225	0.205	0.229	27124989	2416631	2441204	2562517
2.2.3 त्रिपक्षीय रिपो	0.89	0.19	0.17	0.19	14451590	2994282	2879802	3190152
2.3 विदेशी समाशोधन	23.76	1.88	1.62	1.84	47478988	4454952	4089910	4164844
3 पेपर समाशोधन	11237.61	921.11	839.64	937.63	8246065	717078	635798	687403
3.1 चेक ट्रंकेशन प्रणाली	11116.69	917.67	836.46	934.80	8153592	713688	633018	685224
3.2 एमआईसीआर समाशोधन	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2.1 आरबीआई के केन्द्र	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2.2 अन्य केन्द्र	—	—	—	—	—	—	—	—
3.3 गैर-एमआईसीआर समाशोधन	120.92	3.44	3.18	2.83	92473	3391	2781	2179
4 खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन	71132.50	6838.14	6436.48	6887.21	25874543	2483416	2058081	2114124
4.1 ईसीएस नामे	9.25	0.33	0.27	0.22	1258	9	9	4
4.2 ईसीएस जमा (एनईसीएस शामिल है)	53.57	2.94	3.30	2.82	13235	777	924	968
4.3 ईएफटी/एनईएफटी	23188.87	2176.80	1991.40	2194.19	22793608	2127774	1749645	1784264
4.4 तुरंत भुगतान सेवाएं (आईएमपीएस)	17529.09	1833.25	1713.25	1892.76	1590257	180456	173019	182021
4.5 राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	30351.71	2824.82	2728.27	2797.21	1476184	174400	134484	146867
5 कार्ड	160462.56	13973.43	13719.06	14160.95	4512210	414019	397762	400256
5.1 क्रेडिट कार्ड	17723.61	1740.43	1640.46	1792.73	607946	61700	57317	60020
5.1.1 एटीएम का प्रयोग	97.71	8.90	8.12	8.66	4533	417	388	409
5.1.2 पीओएस का प्रयोग	17625.90	1731.53	1632.33	1784.07	603413	61282	56928	59611
5.2 डेबिट कार्ड	142738.96	12233.00	12078.60	12368.21	3904264	352319	340445	340236
5.2.1 एटीएम का प्रयोग	98596.15	8157.10	8004.84	8160.01	3310789	294667	283403	282135
5.2.2 पीओएस का प्रयोग	44142.81	4075.90	4073.76	4208.20	593475	57652	57042	58101
6 प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)	46043.38	4189.98	3898.19	4075.89	212876	18297	17764	18437
6.1 एम-वॉलेट	41392.81	3674.55	3347.01	3471.32	183655	15727	15471	15949
6.2 पीपीआई कार्ड	4650.03	515.43	551.17	604.57	29134	2570	2293	2488
6.3 पेपर वाउचर	0.54	0.00	0.00	0.00	87	—	—	—
7 मोबाइल बैंकिंग	62003.19	8417.38	8486.06	9111.82	2958407	485008	497543	563140
8 कार्ड बकाया	9717.19	8738.54	8865.40	8908.65	—	—	—	—
8.1 क्रेडिट कार्ड	470.89	489.21	496.48	502.49	—	—	—	—
8.2 डेबिट कार्ड	9246.30	8249.34	8368.92	8406.16	—	—	—	—
9 एटीएम की संख्या (वास्तव में)	221703	227227	226839	227629	—	—	—	—
10 पीओएस की संख्या (वास्तव में)	3722229	3840490	4068954	4252804	—	—	—	—
11 कुल जोड़ (1.1+1.2+2+3+4+5+6)	290278.25	26050.69	25470.10	26192.72	291084919	26928975	26029510	27481083

टिप्पणी: पिछले 12 माह अवधि का डाटा अनंतिम है।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

2.1: 5 नवंबर 2018 से सीसीआईएल ने सीबीएलओ को समाप्त कर दिया है।

2.2.3: 5 नवंबर 2018 से सिक्कुरिटीज सेगमेंट के अंतर्गत त्रिपक्षीय रिपो की शुरुआत की गई है।

अवसरिक श्रृंखलाएं

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2017-18	2018		2019	
			फरवरी	दिसंबर	जनवरी	फरवरी
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	72,898.00	5,921.00	10,415.00	8,567.00	9,839.00
	बकाया	803,971.00	791,997.00	880,698.00	889,396.00	899,191.00
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	58,332.00	4,620.00	8,579.00	6,358.00	7,130.00
	बकाया	527,310.00	519,772.00	593,432.00	599,790.00	606,920.00
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	17,145.00	1,511.00	2,915.00	2,318.00	2,360.00
	बकाया	109,210.00	106,694.00	130,185.00	132,503.00	134,863.00
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-162.00	-19.00	-30.00	-21.00	-19.00
	बकाया	3,138.00	3,032.00	2,917.00	2,896.00	2,877.00
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	5.00	-68.00	-1.00	4.00	0.00
	बकाया	-43.00	-46.00	-12.00	-8.00	-8.00
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	1,625.00	527.00	1,036.00	966.00	928.00
	बकाया	181,691.00	180,801.00	189,759.00	190,725.00	191,653.00
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	12,264.00	1,039.00	1,232.00	1,190.00	1,184.00
	बकाया	41,718.00	40,590.00	52,072.00	53,262.00	54,446.00
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	19,633.00	1,500.00	2,317.00	2,508.00	2,451.00
	बकाया	99,292.00	97,390.00	116,728.00	119,236.00	121,687.00
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	59,818.00	59,068.00	67,662.00	68,920.00	70,179.00
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	4,597.00	4,559.00	5,617.00	5,734.00	5,824.00
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	6,140.00	6,036.00	6,860.00	6,888.00	6,910.00
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	28,737.00	27,727.00	36,589.00	37,694.00	38,774.00
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	7,868.00	130.00	1,110.00	-607.00	215.00
	बकाया	92,320.00	91,357.00	101,799.00	101,192.00	101,407.00
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	-45.00	0.00	0.00	0.00	11.00
	बकाया	-37.00	-68.00	-37.00	-37.00	-26.00
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	21.00	22.00	21.00	21.00	21.00
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	7,943.00	790.00	1,500.00	1,623.00	1,732.00
	बकाया	206,676.00	205,953.00	215,815.00	217,569.00	219,257.00
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	-65.00	583.00	1,124.00	1,159.00	1,262.00
	बकाया	87,174.00	86,205.00	92,374.00	93,533.00	94,795.00
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	-956.00	-1.00	5.00	9.00	3.00
	बकाया	-71.00	1,104.00	288.00	297.00	300.00
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-15,592.00	-1,280.00	-1,895.00	-1,655.00	-1,609.00
	बकाया	37,981.00	38,877.00	24,496.00	22,841.00	21,232.00
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	24,588	1,489	2,259	2,095	2,065
	बकाया	70,612	68,783.00	87,154.00	89,249.00	91,314.00
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	-29.00	0.00	7.00	15.00	12.00
	बकाया	-140.00	-145.00	-74.00	-59.00	-47.00
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-3.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00
	बकाया	-64.00	-64.00	-81.00	-81.00	-82.00
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	11,184.00	11,193.00	11,658.00	11,789.00	11,745.00
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	6,623.00	511.00	336.00	586.00	977.00
	बकाया	69,985.00	66,272.00	71,451.00	72,037.00	73,014.00

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों पर प्राप्त डाटा निवल प्राप्तियां अर्थात् सकल भुगतानों और सकल प्राप्तियों का अंतर हैं।

स्रोत : महालेखाकार, डाक और तार।

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2018				2019
	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर	मार्च
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ बिलियन में)	53967.78	54556.81	56028.30	57581.03	59210.26
1. वाणिज्यिक बैंक	42.68	41.84	41.41	40.51	40.28
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.29	0.33	0.37	0.33	0.31
3. बीमाकृत कंपनियां	23.49	24.24	24.61	24.57	24.34
4. म्यूच्युअल फंड	1.00	1.13	1.41	0.64	0.35
5. सहकारी बैंक	2.57	2.59	2.51	2.38	2.29
6. वित्तीय संस्थाएं	0.90	0.93	0.97	1.01	1.05
7. कॉरपोरेट	0.91	1.09	1.01	1.05	0.97
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	4.35	3.84	3.65	3.60	3.22
9. भविष्य निधियां	5.88	5.79	5.71	5.54	5.47
10. भारतीय रिजर्व बैंक	11.62	11.63	11.76	13.81	15.27
11. अन्य	6.30	6.58	6.58	6.55	6.46
11.1 राज्य सरकार	1.91	1.97	1.99	1.97	2.00

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2018				2019
	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर	मार्च
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ बिलियन में)	24288.29	24954.61	25668.33	26693.93	27772.29
1. वाणिज्यिक बैंक	35.79	35.02	34.66	34.00	33.87
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.51	0.75	0.58	0.60	0.58
3. बीमाकृत कंपनियां	34.13	34.24	33.74	33.90	33.04
4. म्यूच्युअल फंड	1.64	1.20	1.05	1.23	1.20
5. सहकारी बैंक	4.78	4.79	4.75	4.67	4.55
6. वित्तीय संस्थाएं	0.35	0.35	0.43	0.37	0.42
7. कॉरपोरेट	0.15	0.16	0.17	0.22	0.29
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.23	0.15	0.10	0.09	0.09
9. भविष्य निधियां	19.67	20.34	21.04	21.29	22.15
10. भारतीय रिजर्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	2.76	2.99	3.48	3.64	3.81
11.1 राज्य सरकार	0.05	0.06	0.07	0.07	0.11

खजाना बिल					
श्रेणी	2018				2019
	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर	मार्च
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ बिलियन में)	3798.76	5280.07	5657.50	5298.26	4127.04
1. वाणिज्यिक बैंक	60.74	55.30	47.84	53.76	57.56
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	2.17	1.41	1.86	2.06	2.68
3. बीमाकृत कंपनियां	4.17	3.66	4.55	4.74	6.61
4. म्यूच्युअल फंड	2.27	7.03	10.69	5.65	2.78
5. सहकारी बैंक	2.42	1.29	1.20	1.21	2.48
6. वित्तीय संस्थाएं	3.55	2.36	1.67	1.88	2.49
7. कॉरपोरेट	2.45	1.88	6.67	1.86	2.23
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
9. भविष्य निधियां	0.11	0.21	0.01	0.02	0.08
10. भारतीय रिजर्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	22.12	26.87	25.50	28.72	23.10
11.1 राज्य सरकार	16.35	23.11	21.36	24.04	17.91

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (सं.अ.)	2019-20 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	3285210	3760611	4265969	4303731	5222868	5785680
1.1 गतिविधियां	1872062	2201287	2537905	2482952	3123932	3449651
1.1.1 राजस्व	1483018	1668250	1878417	1921163	2388281	2681076
1.1.2 पूंजी	332262	412069	501213	483148	640539	681445
1.1.3 ऋण	56782	120968	158275	78641	95112	87130
1.2 गैर गतिविधियां	1366769	1510810	1672646	1753528	2018868	2244695
1.2.1 राजस्व	1269520	1379727	1555239	1684601	1936943	2137418
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	584542	648091	724448	795701	880847	984151
1.2.2 पूंजी	94687	127306	115775	67685	80726	105649
1.2.3 ऋण	2563	3777	1632	1242	1199	1628
1.3 अन्य	46379	48514	55417	67250	80069	91335
2. कुल प्राप्तियां	3189737	3778049	4288432	4311973	5076537	5722670
2.1 राजस्व प्राप्तियां	2387693	2748374	3132201	3194410	3968584	4412194
2.1.1 कर प्राप्तियां	2020728	2297101	2622145	2845556	3364928	3750806
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1212348	1440952	1652377	1746857	2068850	2271964
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	805176	852271	965622	1095613	1293267	1474663
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	3204	3878	4146	3086	2812	4179
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	366965	451272	510056	348854	603655	661388
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	39622	35779	33220	33594	36193	32994
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	60955	59827	69063	141599	126620	167105
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	22072	16561	20942	41379	46382	60179
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	38883	43266	48122	100219	80238	106926
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	836563	952410	1064704	967722	1127665	1206381
अक वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
अक.1 घरेलू वित्तपोषण	823630	939662	1046708	959791	1132558	1209333
अक.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	-37476	231090	617123	144792	386389	----
अक.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	-334185	60472	195816	-144847	325987	----
अक.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	861106	708572	429585	814999	746169	----
अक.2 बाह्य वित्तपोषण	12933	12748	17997	7931	-4893	-2952
अख वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
अख.1 घरेलू वित्तपोषण	823630	939662	1046708	959791	1132558	1209333
अख.1.1 बाजार उधार (निवल)	664058	673298	689821	794856	831554	959294
अख.1.2 लघु बचत (निवल)	-56580	-78515	-105038	-163222	-217165	-208528
अख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	34339	35261	45688	42351	42703	42482
अख.1.4 आरक्षित निधियां	5109	-3322	-6436	18423	-14577	-871
अख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	27545	13470	17792	25138	16011	13706
अख.1.6 नकद शेष	95474	-17438	-22463	-8243	146331	63010
अख.1.7 अन्य	53684	316908	427343	250487	327701	340240
अख.2 बाह्य वित्तपोषण	12933	12748	17997	7931	-4893	-2952
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	26.3	27.3	27.8	25.2	27.5	27.4
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	25.6	27.4	27.9	25.2	26.7	27.1
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	19.2	20.0	20.4	18.7	20.9	20.9
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	16.2	16.7	17.1	16.6	17.7	17.8
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.7	6.9	6.9	5.7	5.9	5.7

...: उपलब्ध नहीं। आरई: संशोधित अनुमान; बीई: बजट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज।

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जुलाई 2019 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	338	2	-	-	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	2832	17	-	-	-	-
6	गोवा	96	20	0	1	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	321	4	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	71	4	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	503	26	546	5
11	झारखंड	-	-	99	2	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	249	23	367	12	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	221	2	-	-	-	-
16	मणिपुर	77	16	61	8	-	-
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिजोरम	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	108	15	-	-	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	73	24	638	18	133	3
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	1011	25	-	-	-	-
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	322	19	60	1	-	-
29	पश्चिम बंगाल	381	7	-	-	-	-

- टिप्पणी :** 1. राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।
3. राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।
4. प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।
5. -: नगण्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जुलाई 2019 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	7628	753	2	0
2	अरुणाचल प्रदेश	1054	1	--	0
3	असम	3895	48	--	4000
4	बिहार	6521	--	--	12600
5	छत्तीसगढ़	3944	--	1	0
6	गोवा	550	276	--	0
7	गुजरात	12589	442	--	0
8	हरियाणा	1918	1102	--	0
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	0
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	0
11	झारखंड	--	--	--	0
12	कर्नाटक	3575	--	--	3000
13	केरल	1974	--	--	0
14	मध्य प्रदेश	--	850	--	0
15	महाराष्ट्र	36088	270	--	14000
16	मणिपुर	348	92	--	0
17	मेघालय	564	28	9	0
18	मिज़ोरम	509	30	--	0
19	नगालैंड	1372	30	--	0
20	उड़ीसा	12346	1339	78	18895
21	पुदुचेरी	294	--	--	772
22	पंजाब	76	--	8	0
23	राजस्थान	--	--	129	1000
24	तमिलनाडु	6110	--	45	11833
25	तेलंगाना	5130	1041	1	0
26	त्रिपुरा	303	5	--	0
27	उत्तरप्रदेश	--	--	180	0
28	उत्तराखंड	2768	73	--	0
29	पश्चिम बंगाल	10166	488	214	0
	कुल	119722	6867	666	66100

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य	2017-18		2018-19		2019-20						2019-20 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	मई		जून		जुलाई		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	22800	18922	30200	23824	2000	1417	3104	2521	2974	1808	13078	9229
2	अरुणाचल प्रदेश	888	703	719	693	-	-	261	261	-	-	472	472
3	असम	7760	6797	10595	8089	-	-	-	-	500	500	500	500
4	बिहार	10000	8908	14300	10903	-	-	-	-1000	3600	3600	3600	2600
5	छत्तीसगढ़	8100	8100	12900	12900	-	-	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	1800	1400	2350	1850	100	100	200	100	200	200	600	500
7	गुजरात	24000	15785	36971	27457	2000	2000	2000	1000	3700	2200	11000	8500
8	हरियाणा	16640	15840	21265	17970	1000	1000	-	-700	3501	3501	5501	4801
9	हिमाचल प्रदेश	4600	2551	4210	2108	200	200	-	-	500	500	1100	1100
10	जम्मू और कश्मीर	6200	3974	6684	4927	300	300	249	249	1000	1000	2349	1810
11	झारखंड	6000	4807	5509	4023	-	-	1500	1500	-	-	1500	983
12	कर्नाटक	22098	17348	39600	31383	-	-	-	-	2000	1000	2000	1000
13	केरल	20500	16203	19500	14784	2500	2500	729	129	3000	3000	9229	8629
14	मध्य प्रदेश	15000	13125	20496	14971	1500	1500	2000	2000	1000	1000	5000	5000
15	महाराष्ट्र	45000	36480	20869	3117	3500	3500	2000	2000	4500	1500	12500	9500
16	मणिपुर	525	278	970	667	-	-	400	400	-	-	603	603
17	मेघालय	1116	920	1122	863	-	-	-	-50	200	200	200	150
18	मिज़ोरम	424	277	0	-123	-	-	-	-	-	-	158	158
19	नगालैंड	1135	766	822	355	-	-	-	-	-	-	100	-160
20	उड़ीसा	8438	8438	5500	4500	-	-	-	-	1000	1000	2000	2000
21	पुदुचेरी	825	488	825	475	-	-	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	17470	13349	22115	17053	1000	1000	1900	1400	3420	2120	8620	5720
23	राजस्थान	24914	16777	33178	20186	1500	1000	5995	3183	2387	1887	13882	10070
24	सिक्कीम	995	745	1088	795	-	-	213	213	-	-	213	213
25	तमिलनाडु	40965	36023	43125	32278	4000	4000	4000	4000	4615	4615	15615	15615
26	तेलंगाना	24600	21828	26740	22183	2500	2083	3300	2883	3000	2166	10300	7549
27	त्रिपुरा	1137	1137	1543	1387	-	-	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	41600	37178	46000	33307	-	-1500	-	-500	4000	2500	4000	500
29	उत्तराखंड	6660	5830	6300	5289	-	-	-	-	500	200	1000	400
30	पश्चिम बंगाल	36911	25304	42828	30431	-	-4000	2000	2000	5010	3010	7010	-990
	कुल	419100	340281	478323	348643	22100	15100	29851	21589	50606	37506	132129	96451

- : शून्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
- 3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
- 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
- 4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
- 4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
- 4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
- 7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
- 2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे- आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्वरड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्विजम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

- अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
- 2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

- एनएम2 और एनएम3 में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
- 2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
- 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय संस्थाओं में एक्विजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल1 और एल2 मासिक आधार पर और एल3 तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि. 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.केका.प्लान. बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिजर्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूंजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक। 6-मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

1.3: बहुपक्षीय निवल निपटान समूहों से संबंधित है।

3.1: मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नै - तीन केन्द्रों से संबंधित है।

3.3: 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित है।

6: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।

7: आईएमपीएस लेनदेन शामिल हैं।

9: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले गए एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम शामिल है। अप्रैल 2014 से व्हाइट लेबल एटीएम शामिल किए गए हैं।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खजाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

2011-12 से जीडीपी डाटा 2011-12 के आधार पर हैं। वर्ष 2015-16 का डाटा 29 राज्यों से संबंधित हैं।

2015-16 से जीडीपी डाटा 28 फरवरी 2018 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम से संबंधित है।

जीडीपी के लिए 2016-17 (आरई) और 2017-18 के लिए केंद्रीय बजट 2017-18 से लिए गए हैं।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार हैं।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों और 364 दिन के खज़ाना बिलों के माध्यम से प्राप्त उधारियों सहित।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते हैं।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों (364-दिन के खज़ाना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/scripts/publicationsview.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का टाइम सीरिज डाटा (<https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2019	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष का रियायती दर) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित [®]) ₹2,520 (एक वर्ष का रियायती दर [®])	15 अमरीकी डॉलर एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंड बुक 2018-19	₹650 (सामान्य) ₹700 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंड बुक 2017-18	₹700 (सामान्य) ₹750 (डाक प्रभार सहित) ₹525 (रियायती) ₹575 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2017-18 और 2018-19 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 38, 2017	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 39, 2018	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40. सं. 1, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नंस; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियाः

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
 3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं हैं।
4. प्रकाशनों की (सोमवार से शुक्रवार) तक बिक्री तथा वितरण प्रभाग, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 पर उपलब्ध हैं। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdcs@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, मुख्य महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरी मंजिल, मुख्य भवन, मुंबई - 400 001 को संबोधित होना चाहिए।
एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं
बैंक का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBISOMBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रताशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdcs@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।